दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2016 का अधिनियम संख्यांक 31)

[28 मई, 2016]

निगमित व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों का समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य के अधिकतमीकरण के लिए समेकन तथा संशोधन करने, उद्यमता, उधार की उपलब्धता और सभी पणधारियों के हितों के संतुलन का संवर्धन करने, जिसके अन्तर्गत सरकारी शोध्यों के संदाय की पूर्विकता के क्रम में परिवर्तन भी है तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस संहिता का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परन्तु इस संहिता के भाग 3 का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह उक्त उपबंध के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश है ।

2. लागू होना—इस संहिता के उपबंध—

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन निगमित किसी कंपनी को;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कोई अन्य कंपनी सिवाय जहां तक उक्त उपबंध ऐसे विशेष अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन निगमित किसी सीमित दायित्व भागीदारी को;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगमित ऐसे अन्य निगमित निकाय को जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; [1]***

[2][(ङ) निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता;

(च) भागीदारी फर्म और स्वत्वधारी फर्म; और

(छ) खंड (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यष्टि;]

यथास्थिति, उनके दिवालियापन, परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन या शोधन अक्षमता के संबंध में लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "बोर्ड" से धारा 188 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अभिप्रेत है;

(2) "पीठ" से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की कोई पीठ अभिप्रेत है;

(3) "उपविधि" से धारा 205 के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा बनाई गई उपविधियां अभिप्रेत हैं;

(4) "प्रभार" से, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या उसके किसी उपक्रम या दोनों की संपत्ति या आस्तियों पर प्रतिभूति के रूप में सृजित कोई हित या धारणाधिकार अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत बंधक भी है;

(5) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(6) "दावा" से—

(क) संदाय का कोई अधिकार, चाहे ऐसा अधिकार किसी निर्णय में लेखबद्ध, नियत, विवादित, अविवादित, विधिक, साम्यापूर्ण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत है या नहीं जिसके अंतर्गत उधार या अग्रिम भी है; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संविदा के भंग के लिए उपचार, यदि ऐसे भंग से संदाय का कोई अधिकार उत्पन्न होता है चाहे ऐसा अधिकार निर्णय में लेखबद्ध, नियत, परिपक्व, अपरिपक्व, विवादित, अविवादित, प्रतिभूत या अप्रतिभूत है या नहीं,

अभिप्रेत है;

(7) "निगमित व्यक्ति" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सीमित दायित्व के साथ निगमित कोई अन्य व्यक्ति है, किंतु इसके अतंर्गत कोई वित्तीय सेवा प्रदाता नहीं है;

(8) "निगमित ऋणी" से कोई ऐसा निगमित व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति का ऋणी है;

(9) "कोर सेवाओं" से निम्नलिखित के लिए किसी सूचना उपयोगिता द्वारा दी जाने वाली सेवाएं अभिप्रेत हैं—

(क) ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, वित्तीय जानकारी को इलैक्ट्रानिक रूप में भेजने को स्वीकार करना;

(ख) वित्तीय जानकारी का सुरक्षित और शुद्ध अभिलेखन;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई वित्तीय जानकारी का अधिप्रमाणन और सत्यापन;

(घ) व्यक्तियों को सूचना उपयोगिता के पास भंडारित ऐसी जानकारी तक पहुंच उपलब्ध कराना जो विनिर्दिष्ट की जाए;

(10) "लेनदार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको कोई ऋण शोध्य है और इसके अंतर्गत कोई वित्तीय लेनदार, कोई प्रचालन लेनदार, कोई प्रतिभूत लेनदार, कोई अप्रतिभूत लेनदार और कोई डिक्री धारक भी है;

(11) "ऋण" से किसी दावे के संबंध में कोई दायित्व या बाध्यता अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से शोध्य है और इसके अंतर्गत कोई वित्तीय ऋण और प्रचालन ऋण भी है;

(12) "व्यतिक्रम" से किसी ऋण का तब असंदाय अभिप्रेत है, जब ऋण की संपूर्ण रकम या कोई भाग या किस्त देय और संदेय हो जाती है तथा [1][उसे, यथास्थिति, ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा संदाय] नहीं किया जाता है;

(13) किसी व्यक्ति के संबंध में "वित्तीय जानकारी" से जानकारी के निम्नलिखित एक या अधिक प्रवर्ग अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति के ऋण के अभिलेख;

(ख) दायित्व के अभिलेख जब व्यक्ति ऋण शोधक्षम है;

(ग) व्यक्ति की आस्तियों के अभिलेख जिन पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है;

(घ) किसी ऋण के विरुद्ध व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की घटना के अभिलेख, यदि कोई हों;

(ङ) व्यक्ति के तुलनपत्र और नकदी प्रवाह विवरणों के अभिलेख;

(च) ऐसी अन्य सूचना, जो विनिर्दिष्ट की जाएं;

(14) "वित्तीय संस्था" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(क) कोई अनुसूचित बैंक;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ में यथापरिभाषित वित्तीय संस्था;

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) में यथापरिभाषित कोई लोक वित्तीय संस्था; और

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) कोई अन्य संस्था जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी वित्तीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

COURT BOOK

(15) "वित्तीय उत्पाद" से प्रतिभूति, बीमा की संविदाएं, जमा, प्रत्यय ठहराव, जिसके अंतर्गत बैंक और वित्तीय संस्था के द्वारा दिए गए ऋण और उधार भी हैं, सेवानिवृत्ति फायदा योजनाएं, लघु बचत लिखतें, एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय (चाहे वह भारतीय हो या नहीं) की संविदा जिसका तत्काल निपटान होना है, से भिन्न विदेशी मुद्रा संविदाएं या कोई अन्य लिखत जो विहित की जाए, अभिप्रेत है;

(16) "वित्तीय सेवा" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई सेवा है, अर्थात् :—

(क) जमा को स्वीकार करना;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की आस्तियों को, जो वित्तीय उत्पादों से मिलकर बनी है, सुरक्षित रखना और उनका प्रशासन करना या ऐसा करने के लिए सहमत होना;

(ग) बीमा की संविदाओं को प्रभावी करना;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति की आस्तियों को, जो वित्तीय उत्पादों से मिलकर बनी हैं, प्रस्थापित करना, उनका प्रबंध करना या उनके प्रबंध के लिए सहमत होना;

(ङ) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रतिफल के लिए सलाह देना या देने के लिए सहमत होना या उसके लिए याचना करना,—

(i) किसी वित्तीय उत्पाद का क्रय, विक्रय या प्रतिश्रुति;

(ii) किसी वित्तीय सेवा का उपभोग करना;

(iii) किसी वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा से सहबद्ध किसी अधिकार का प्रयोग करना;

(च) किसी विनिधान स्कीम को स्थापित करना या प्रचालित करना;

(छ) किसी वित्तीय उत्पाद के स्वामित्व के अभिलेखों का अनुरक्षण या अंतरण करना;

(ज) किसी वित्तीय उत्पाद के जारी किए जाने या प्रतिश्रुति की हामीदारी करना; या

(झ) भंडारित मूल्य या संदाय लिखतों का विक्रय, उपलब्ध कराना या जारी करना या संदाय सेवाएं उपलब्ध कराना;

(17) "वित्तीय सेवा प्रदाता" से किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा जारी प्राधिकार या प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों के अनुसार किसी वित्तीय सेवा को प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ व्यक्ति अभिप्रेत है;

(18) "वित्तीय सेवा विनियामक" से वित्तीय क्षेत्र की सेवाओं या संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई गठित प्राधिकरण या कोई निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण और ऐसे अन्य कोई विनियामक प्राधिकारी अभिप्रेत हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं;

(19) "दिवाला संबंधी वृत्तिक" से सदस्य के रूप में किसी दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरण से धारा 207 के अधीन नामांकित और बोर्ड से दिवाला संबंधी वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(20) "दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरण" से धारा 201 के अधीन बोर्ड से दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(21) "सूचना उपयोगिता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 210 के अधीन किसी सूचना उपयोगिता के रूप में बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत है;

(22) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" और "अधिसूचित करना" पदों का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(23) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(क) व्यष्टि;

(ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब;

(ग) कंपनी;

(घ) न्यास;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ङ) भागीदारी;

(च) सीमित दायित्व भागीदारी;

(छ) किसी कानून के अधीन स्थापित कोई अन्य अस्तित्व,

और जिसके अंतर्गत भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति भी है;

(24) "भारत में निवासी व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (फ) में ऐसे पद का है;

(25) "भारत से बाहर निवासी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में निवासी व्यक्ति से भिन्न है;

(26) "विहित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(27) "संपत्ति" के अंतर्गत धन, माल, अनुयोज्य दावे, भारत या भारत से बाहर स्थित भूमि और संपत्ति के प्रत्येक विवरण तथा संपत्ति से उद्भूत होने वाले या आनुषंगिक हित का प्रत्येक विवरण आता है, जिसके अंतर्गत, वर्तमान में या भविष्य में या निहित या आकस्मिक हित भी हैं;

(28) "विनियम" से इस संहिता के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(29) "अनुसूची" से इस संहिता से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(30) "प्रतिभूत लेनदार" से कोई लेनदार अभिप्रेत है जिसके पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित किया गया है;

(31) "प्रतिभूति हित" से किसी संव्यवहार द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित या उसके लिए उपलब्ध सम्पत्ति में का अधिकार, हक या हित या कोई दावा अभिप्रेत है जो किसी बाध्यता के संदाय या पालन को प्रतिभूत करता है और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की किसी बाध्यता के संदाय या पालन को प्रतिभूत करने वाला बंधक, प्रभार, आडमान, समनुदेशन और विल्लंगम या कोई अन्य करार या ठहराव भी है :

परन्तु प्रतिभूति हित के अंतर्गत कोई पालन प्रत्याभूति नहीं होगी;

(32) "विनिर्दिष्ट" से इस संहिता के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है और "विनिर्दिष्ट करना" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(33) "संव्यवहार" के अंतर्गत निगमित लेनदार से या उसको आस्तियों या निधियों, माल या सेवाओं के अंतरण के लिए लिखित में कोई करार या ठहराव भी है;

(34) "अंतरण" के अंतर्गत विक्रय, क्रय, विनिमय, बंधक, गिरवी, दान, ऋण या अधिकार, हक, कब्जा या धारणाधिकार के अंतरण का कोई अन्य रूप भी है;

(35) "संपत्तियों का अंतरण" से किसी संपत्ति का अंतरण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संपत्ति में किसी हित का अंतरण और ऐसी संपत्ति पर किसी प्रभार का सृजन भी है;

(36) "कर्मकार" का वही अर्थ है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ध) में है;

(37) उन शब्दों और पदों के, जो इस संहिता में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9), भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51), सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2008 का 6) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 19) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उन अधिनियमों में हैं ।

भाग 2

निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन

अध्याय 1

प्रारंभिक

4. इस भाग का लागू होना—यह भाग निगमित ऋणियों के दिवाला और परिसमापन से संबंधित विषयों को वहां लागू होगा, जहां व्यतिक्रम की न्यूनतम रकम एक लाख रुपए है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उच्चतर मूल्य के व्यतिक्रम की न्यूनतम रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

5. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" से इस भाग के प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है;

(2) "लेखापरीक्षक" से चार्टर्ड अकाउटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 6 के अधीन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा ऐसे रूप में व्यवसाय के लिए प्रमाणित कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है;

(3) "अध्याय" से इस भाग के अधीन कोई अध्याय अभिप्रेत है;

(4) किसी निगमित व्यक्ति के संबंध में "संवैधानिक दस्तावेज" के अंतर्गत किसी कंपनी के संगम-अनुच्छेद, संगम ज्ञापन और किसी सीमित दायित्व भागीदारी का निगमन दस्तावेज भी है;

(5) "निगमित आवेदक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) निगमित ऋणी; या

(ख) निगमित ऋणी का कोई सदस्य या भागीदार, जो निगमित ऋणी के संवैधानिक दस्तावेजों के अधीन निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन करने के लिए प्राधिकृत है; या

(ग) कोई व्यष्टि, जो निगमित ऋणी के प्रचालनों और संसाधनों के प्रबंध का भारसाधक है; या

(घ) कोई व्यक्ति जो निगमित ऋणी के वित्तीय मामलों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है;

[1][(5क) "निगमित प्रत्याभूतिदाता" से ऐसा कोई निगमित व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी निगमित ऋणी का किसी गारंटी संविदा में प्रतिभू है;]

(6) "विवाद" से निम्नलिखित के संबंध में कोई वाद या माध्यस्थम् कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं,—

(क) ऋण की रकम की विद्यमानता;

(ख) माल या सेवाओं की क्वालिटी; या

(ग) किसी अभ्यावेदन या वारंटी का भंग;

(7) "वित्तीय लेनदार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको कोई वित्तीय ऋण देय है, और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसको ऐसा ऋण विधिक रूप से समनुदेशित या अंतरित किया गया है;

(8) "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कोई ऋण अभिप्रेत है जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध संवितरित किया गया है और इसके अंतर्गत है—

(क) ब्याज के संदाय के लिए उधार लिया गया धन;

(ख) किसी स्वीकृति प्रत्यय सुविधा के अधीन स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई रकम या उसको अक्रियान्वित समतुल्य;

(ग) किसी नोट क्रय सुविधा के अनुसरण में जुटाई गई कोई रकम या बंधपत्र, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टाक या किसी वैसी ही लिखत का निर्गमन;

(घ) किसी पट्टे या अवक्रय संविदा के संबंध में किसी दायित्व की रकम जो भारतीय लेखा मानक या ऐसे अन्य लेखा मानकों के, जो विहित किए जाएं, अधीन किसी वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में समझी गई है;

(ङ) गैर-अवलंब आधार पर विक्रीत किन्हीं प्राप्यों से भिन्न विक्रीत या मितिकाटा प्राप्य;

(च) किसी अन्य संव्यवहार के अधीन जुटाई गई कोई रकम, जिसके अंतर्गत उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव वाला कोई अग्रिम विक्रय या क्रय करार भी है;

[1][**स्पष्टीकरण**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन किसी आबंटिती से ली गई किसी रकम को ऐसी रकम के रूप में माना जाएगा, जिसका आधार के रूप में वाणिज्यिक प्रभाव है; और

(ii) "आबंटिती" और "भू-संपदा परियोजना" पदों का क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (घ) और खंड (यढ) में है;]

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(छ) किसी दर या कीमत में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध या उससे लाभ के संरक्षण के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न संव्यवहार और किसी भी संव्यवहार के मूल्य की संगणना करने के लिए केवल ऐसे संव्यवहार के बाजार मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ज) किसी प्रत्याभूति, क्षतिपूर्ति, बंधपत्र, प्रत्यय का दस्तावेजी पत्र या किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जारी किसी अन्य लिखत के संबंध में कोई प्रति क्षतिपूर्ति बाध्यता;

(झ) इस खंड के उपखंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी मद के लिए किसी प्रत्याभूति या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी दायित्व की रकम;

(9) किसी व्यक्ति के संबंध में "वित्तीय स्थिति" से किसी कतिपय तारीख पर किसी व्यक्ति की वित्तीय जानकारी अभिप्रेत है;

(10) "सूचना ज्ञापन" से धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा तैयार किया गया कोई ज्ञापन अभिप्रेत है;

(11) "आरम्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको, यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार, वित्तीय ऋणी या प्रचालन लेनदार निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कोई आवेदन करता है;

[1]* * * * * * *

[2][परंतु जहां धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश में किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति नहीं की जाती है, वहां दिवाला प्रारंभ होने की तारीख वह होगी, जिसको न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की जाती है ।]

(13) "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) किसी अंतरिम वित्त की रकम और ऐसे वित्त को जुटाने में उपगत खर्च;

(ख) किसी समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को संदेय फीस;

(ग) किसी चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के कारबार को चलाने में समाधान वृत्तिक द्वारा उपगत कोई खर्च;

(घ) दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए सरकार की हानि करके उपगत कोई खर्च; और

(ङ) ऐसा अन्य खर्च जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(14) "दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि" से दिवाला आरंभ होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उससे एक सौ अस्सीवें दिन को समाप्त होने वाली एक सौ अस्सी दिन की अवधि अभिप्रेत है;

(15) "अंतरिम वित्त" से दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा लिया गया कोई वित्तीय ऋण [3][और ऐसा अन्य ऋण, जो अधिसूचित किया जाए] अभिप्रेत है;

(16) "परिसमापन लागत" से परिसमापन की अवधि के दौरान परिसमापक द्वारा, ऐसे विनियमों के अध्यधीन जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपगत कोई लागत अभिप्रेत है;

(17) "परिसमापन प्रारंभ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको, यथास्थिति, धारा 33 या धारा 59 के अनुसार परिसमापन की कार्यवाहियां प्रारंभ होती हैं;

(18) "परिसमापक" से इस भाग के, यथास्थिति, अध्याय 3 या अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार परिसमापक के रूप में नियुक्त कोई दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिप्रेत हैं;

(19) इस भाग के अध्याय 7 के प्रयोजनों के लिए "अधिकारी" से, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (60) में यथा परिभाषित ऐसा अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया है या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा परिभाषित कोई अभिहित भागीदार अभिप्रेत है;

(20) "प्रचालन लेनदार" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको कोई प्रचालन ऋण देय है और इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति भी है जिसको ऐसा ऋण विधिक रूप से समनुदेशित या अंतरित किया गया है;

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(21) "प्रचालन ऋण" से माल या सेवाओं के उपबंध के संबंध में कोई दावा जिसके अंतर्गत नियोजन भी है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रोद्भूत और केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय किसी शोध्य के [1][संदाय] के संबंध में कोई ऋण अभिप्रेत है;

(22) "वैयक्तिक प्रत्याभूति दाता" से कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो किसी निगमित ऋणी की किसी गारंटी संविदा में प्रतिभू है;

(23) "कार्मिक" के अन्तर्गत निगमित ऋणी के निदेशक, प्रबंधक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अभिहित भागीदार और कर्मचारी, यदि कोई हों, आते हैं;

(24) किसी निगमित ऋणी के संबंध में "संबंधित पक्षकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(क) निगमित ऋणी का निदेशक या भागीदार या निगमिम ऋणी के निदेशक या भागीदार का कोई नातेदार;

(ख) निगमित ऋणी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या निगमित ऋणी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नातेदार;

(ग) कोई सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदारी फर्म, जिसमें निगमित ऋणी का कोई निदेशक, भागीदार या प्रबंधक या उसका नातेदार भागीदार है;

(घ) कोई प्राइवेट कंपनी, जिसमें निगमित ऋणी का कोई निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक है और अपने नातेदारों के साथ उसकी समादत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करता है;

(ङ) कोई पब्लिक कंपनी, जिसमें निगमित ऋणी का कोई निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक है और अपने नातेदारों के साथ उसकी समादत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करता है;

(च) कोई निगमित निकाय, जिसका निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक कारबार के मामूली अनुक्रम में निगमित ऋणी के किसी निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करते हैं;

(छ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदारी फर्म, जिसके भागीदार या कर्मचारी, कारबार के मामूली अनुक्रम में निगमित ऋणी के किसी निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करते हैं;

(ज) कोई व्यक्ति, जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों पर निगमित ऋणी का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक कार्य करने के अभ्यस्त हैं;

(झ) कोई निगमित निकाय, जो निगमित ऋणी की नियंत्री या अनुषंगी या कोई सहयुक्त कंपनी है या किसी नियंत्री कंपनी की अनुषंगी है, जिसका निगमित ऋणी अनुषंगी है;

(ञ) कोई व्यक्ति जो स्वामित्व या किसी मतदान करार के मद्दे निगमित ऋणी के मतदान अधिकार का बीस प्रतिशत से अधिक नियंत्रण रखता है;

(ट) कोई व्यक्ति जिसमें निगमित ऋणी, स्वामित्व या किसी मतदान करार के मद्दे मतदान अधिकार के बीस प्रतिशत से अधिक नियंत्रण रखता है;

(ठ) कोई व्यक्ति जो निगमित ऋणी के निदेशक बोर्ड या तत्स्थानी शासी निकाय की संरचना पर नियंत्रण कर सकता है;

(ड) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित के मद्दे निगमित ऋणी से सहयुक्त है—

(i) निगमित ऋणी की नीति निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी; या

(ii) निगमित ऋणी और ऐसे व्यक्ति के मध्य दो से अधिक साझा निदेशक रखना; या

(iii) निगमित ऋणी और ऐसे व्यक्ति के मध्य प्रबंधकीय कार्मिकों का अंत: परिवर्तन; या

(iv) निगमित ऋणी को, या उससे आवश्यक तकनीकी जानकारी का उपबंध करना;

[2][(24क) किसी व्यष्टि के संबंध में, संबंधित पक्षकार, से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि का नातेदार या व्यष्टि के पति/पत्नी का नातेदार है;

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी या कोई समिति दायित्व भागीदारी या किसी ऐसी भागीदारी फर्म का भागीदार, जिसमें व्यष्टि एक भागीदार है;

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे न्यास का न्यासी है, जिसके फायदग्राही में व्यष्टि सम्मिलित है या न्यास के निबंधन न्यासी को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग व्यष्टि के फायदे के लिए किया जा सकता है ;

(घ) ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी, जिसमें व्यष्टि एक निदेशक है और अपने नातेदारों के साथ उसकी शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करता है;

(ङ) ऐसी कोई लोक कंपनी, जिसमें व्यष्टि एक निदेशक है और अपने नातेदारों के साथ उसकी समादत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करता है;

(च) ऐसा निगमित निकाय, जिसका निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, कारबार के सामान्य अनुक्रम में व्यष्टि की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है;

(छ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदारी फर्म, जिसके भागीदार या कर्मचारी कारबार के सामन्य अनुक्रम में व्यष्टि की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करते है;

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार व्यष्टि कार्रवाई करने का अभ्यस्त है;

(झ) ऐसा कोई कंपनी, जहां व्यष्टि या अपने संबद्ध पक्षकार सहित व्यष्टि, कंपनी की शेयर पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक का स्वामी है या कंपनी के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति को नियंत्रित करता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी व्यक्ति के प्रतिनिर्देश से, "नातेदार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित रीति से किसी अन्य व्यक्ति से नातेदारी रखता है, अर्थात् :—

(i) हिन्दू अविभक्त कुटुबं के सदस्यों,

(ii) पति,

(iii) पत्नी,

(iv) पिता,

(v) माता,

(vi) पुत्र,

(vii) पुत्री,

(viii) पुत्र की पुत्री और पुत्र,

(ix) पुत्री की पुत्री और पुत्र,

(x) पौत्र की पुत्री और पुत्र,

(xi) पौत्री की पुत्री और पुत्र,

(xii) भाई,

(xiii) बहन,

(xiv) भाई का पुत्र और पुत्री,

(xv) बहन का पुत्र और पुत्री,

(xvi) पिता के पिता और माता,

(xvii) माता के पिता और माता,

(xviii) पिता के भाई और बहन,

(xix) माता के भाई और बहन; और

(ख) जहां कहीं नातेदारी पुत्र, पुत्री, बहन या भाई की है, वहां उनके पति/पत्नी को भी सम्मिलित किया जाएगा।

COURT BOOK

[1][(25) "समाधान आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, समाधान वृत्तिक को धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन किए गए आमंत्रण के अनुसरण में कोई समाधान योजना प्रस्तुत करता है;]

(26) "समाधान योजना" से भाग 2 के अनुसार किसी चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के दिवाला समाधान के लिए [1][समाधान आवेदक] द्वारा प्रस्तावित योजना अभिप्रेत है;

[2][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी समाधान योजना में निगमित ऋणी की पुन: संरचना करने के लिए उपबंध सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके अंतर्गत विलयन, समामेलन और निर्विलयन के माध्यम से समाधान भी है ;]

[3][(25) **स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी समाधान योजना में निगमित ऋणी की पुन: संरचना करने के लिए उपबंध सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके अंतर्गत विलयन, समामेलन और निर्विलयन के माध्यम से समाधान भी है ;]

(27) इस भाग के प्रयोजन के लिए "समाधान वृत्तिक" से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने के लिए नियुक्त कोई दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत अंतरिम समाधान वृत्तिक भी है; और

(28) "मतदान भाग" से लेनदारों की समिति में किसी एकल वित्तीय लेनदार के मतदान अधिकार का भाग अभिप्रेत है, जो निगमित ऋणी द्वारा लिए जाने वाले वित्तीय ऋण के संबंध में ऐसे वित्तीय लेनदार को देय वित्तीय ऋण के अनुपात पर आधारित है।

अध्याय 2

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

6. व्यक्ति जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेंगे—जहां कोई वित्तीय ऋणी कोई व्यतिक्रम करता है, वहां कोई वित्तीय लेनदार, कोई प्रचालन लेनदार या निगमित ऋणी स्वयं इस अध्याय के अधीन यथा उपबंधित रीति में ऐसे निगमित ऋणी के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा।

7. वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ—(1) जब कोई व्यतिक्रम होता है तो वित्तीय लेनदार स्वयं या [4][किन्हीं अन्य वित्तीय लेनदारों या वित्तीय लेनदार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए,] के साथ संयुक्त रूप से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा :

[5][परंतु धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए निगमित ऋणी के विरूद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कोई आवेदन उसी वर्ग के ऐसे कम से कम एक सौ लेनदारों या उसी वर्ग के ऐसे लेनदारों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, द्वारा संयुक्तत: फाइल किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे वित्तीय लेनदारों के लिए, जो किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन आबंटिती हैं निगमित ऋणी के विरूद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन उसी भू-संपदा परियोजना के अधीन ऐसे कम से कम एक सौ आबंटितियों या उसी भू-संपदा परियोजना के अधीन ऐसे कुल आबंटितियों की संख्या के कम से कम दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, द्वारा संयुक्तत: फाइल किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन पहले और दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार द्वारा फाइल किया गया है और उसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिन के भीतर, पहले या दूसरे परंतुक की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उपांतरित किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर ऐसा आवेदन उसके स्वीकार किए जाने से पूर्व वापस लिया गया समझा जाएगा।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यतिक्रम के अंतर्गत न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार को देय किसी वित्तीय ऋण के संबंध में कोई व्यतिक्रम आता है बल्कि निगमित ऋणी के किसी अन्य वित्तीय लेनदार को देय वित्तीय ऋण के संबंध में व्यतिक्रम भी आता है।

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा "किन्हीं अन्य वित्तीय लेनदारों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) वित्तीय लेनदार उपधारा (1) के अधीन ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित किए जाएं, आवेदन करेगा ।

(3) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ निम्नलिखित देगा—

(क) सूचना उपयोगिता के पास अभिलिखित व्यतिक्रम का अभिलेख या व्यतिक्रम के ऐसे अन्य अभिलेख या साक्ष्य जो विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान वृत्तिक का नाम; और

(ग) ऐसी अन्य जानकारी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर या सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या उपधारा (3) के अधीन वित्तीय लेनदार के द्वारा दिए गए अन्य साक्ष्य के आधार पर किसी व्यतिक्रम की विद्यमानता को अभिनिश्चित करेगा :

[1][परंतु यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने व्यतिक्रम की विद्यमानता को अभिनिश्चित नहीं किया है और ऐसे समय के भीतर धारा 5 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया है, तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणो को लेखबद्ध करेगा ।]

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) कोई व्यतिक्रम हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन पूर्ण है और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं, तो वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकेगा;

(ख) व्यतिक्रम नहीं हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन अपूर्ण है या प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, तो वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा :

परन्तु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व इस संबंध में आवेदक को, सूचना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से ऐसी सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर अपने आवेदन में त्रुटि का सुधार करने के लिए देगा ।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रकिया, उपधारा (5) के अधीन आवेदन के स्वीकार करने की तारीख से प्रारंभ होगी ।

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे आवेदन के स्वीकार करने या उसे नामंजूर करने के सात दिन के भीतर—

(क) निगमित लेनदार और निगमित ऋणी को उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन आदेश की;

(ख) वित्तीय लेनदार को उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन आदेश की,

संसूचना देगा ।

8. प्रचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान—(1) कोई प्रचालन लेनदार किसी व्यतिक्रम के होने पर असंदत्त प्रचालन ऋण की कोई मांग सूचना या निगमित ऋणी को व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम के संदाय की मांग के लिए किसी बीजक की प्रति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, भेजेगा ।

(2) निगमित ऋणी, उपधारा (1) में वर्णित मांग सूचना या बीजक की प्रति की प्राप्ति के दस दिन के भीतर निम्नलिखित को प्रचालन लेनदार के ध्यान में लाएगा—

(क) किसी विवाद, यदि कोई हो, [2][की विद्यमानता या ऐसे विवाद] के संबंध में ऐसी सूचना या ऐसे बीजक की प्राप्ति से पूर्व फाइल किए गए किसी वाद या माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लंबित होने का अभिलेख;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का [3][संदाय]—

(i) निगमित ऋणी के बैंक खाते से असंदत्त रकम के इलैक्ट्रोनिक अंतरण के अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति भेजे जाने के द्वारा; या

(ii) अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति जो कि प्रचालन लेनदार ने निगमित ऋणी द्वारा जारी किसी चेक को भुना लिया है, भेजने के द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "मांग सूचना" से किसी प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित ऋणी को प्रचालन ऋण के प्रति संदाय की मांग जिसकी बाबत व्यतिक्रम हुआ है, तामील की गई कोई सूचना अभिप्रेत है ।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 5 द्वारा "की विद्यमानता या ऐसे विवाद" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 5 द्वारा "पुनर्संदाय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

9. प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन—(1) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन मांग संदाय सूचना या बीजक के परिदान की तारीख से दस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, यदि प्रचालन लेनदार निगमित ऋणी से संदाय प्राप्त नहीं करता है या धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन विवाद की सूचना प्राप्त नहीं करता है तो प्रचालन लेनदार किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन फाइल कर सकेगा।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में फाइल किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(3) प्रचालन लेनदार आवेदन के साथ निम्नलिखित देगा—

(क) निगमित ऋणी को प्रचालन लेनदार द्वारा परिदत्त मांग संदाय की बीजक या सूचना की प्रति;

(ख) इस प्रभाव का शपथपत्र कि असदंत्त प्रचालन ऋण के किसी विवाद से संबंधित निगमित ऋणी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है;

(ग) प्रचालन लेनदार के लेखों का अनुरक्षण करने वाली वित्तीय संस्था से प्रमाणपत्र की प्रति इस बात की पुष्टि करने के लिए कि [1][निगमित ऋणी, यदि उपलब्ध हो, द्वारा] असंदत्त प्रचालन ऋण का संदाय नहीं किया गया है; और

[2][(घ) सूचना उपयोगिता के किसी अभिलेख की कोई प्रति, जो वह पुष्टि करती हो कि निगमित ऋणी, यदि उपलब्ध हो, द्वारा किसी असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई संदाय नहीं किया गया है; और

(ङ) यह पुष्टि करने वाला कोई अन्य सबूत कि निगमित ऋणी द्वारा किसी असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई संदाय नहीं किया गया है या ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो विहित की जाए।]

(4) इस धारा के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने वाला कोई प्रचालन लेनदार किसी समाधान वृत्तिक को अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्ताव कर सकेगा।

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर आदेश द्वारा—

(i) आवेदन को स्वीकार करेगा और इस विनिश्चय से प्रचालन लेनदार तथा निगमित ऋणी को संसूचित करेगा, यदि—

(क) उपधारा (2) के अधीन किया गया आवेदन पूर्ण है;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई [2][संदाय] नहीं किया गया है;

(ग) निगमित ऋणी को संदाय के लिए बीजक या सूचना प्रचालन लेनदार द्वारा परिदत्त कर दी गई है;

(घ) विवाद की कोई सूचना प्रचालन लेनदार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है और सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई अभिलेख नहीं है; और

(ङ) उपधारा (4) के अधीन प्रस्तावित किसी समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, यदि कोई हो, लंबित नहीं है;

(ii) आवेदन को अस्वीकार करेगा और ऐसे विनिश्चय से प्रचालन लेनदार तथा निगमित ऋणी को संसूचित करेगा, यदि—

(क) उपधारा (2) के अधीन किया गया आवेदन अपूर्ण है;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का [2][संदाय] किया गया है;

(ग) लेनदार ने निगमित ऋणी को संदाय के लिए बीजक या सूचना का परिदान नहीं किया है;

(घ) प्रचालन लेनदार ने विवाद की सूचना प्राप्त की है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई अभिलेख है; या

(ङ) किसी प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है :

परन्तु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, खंड (ii) के उपखंड (क) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने से पूर्व, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त करने के सात दिन के भीतर आवेदक को उसके आवेदन में इस त्रुटि को सुधारने के लिए सूचना देगा।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 6 द्वारा "निगमित ऋणी द्वारा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया इस धारा की उपधारा (5) के अधीन आवेदन के स्वीकार होने की तारीख से प्रारंभ होगी ।

COURT BOOK

10. निगमित आवेदक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का आरंभ—(1) जहां निगमित ऋणी कोई व्यतिक्रम करता है, वहां उसका निगमित आवेदक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में फाइल होगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी और ऐसी रीति में तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए ।

[1][(3) निगमित आवेदक, आवेदन के साथ निम्निलिखित प्रस्तुत करेगा,—

(क) ऐसी अवधि के लिए उसकी लेखा बहियों और ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, से संबंधित जानकारी;

(ख) किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से संबंधित जानकारी; और

(ग) यथास्थिति, निगमित ऋणी के शेयर धारकों द्वारा द्वारा पारित विशेष संकल्प या निगमित ऋणी के भागीदारों की कुल संख्या के न्यूनतम तीन चौथाई द्वारा पारित ऐसे संकल्प, जिसके द्वारा आवेदन के फाइल किए जाने का अनुमोदन किया गया हो ।]

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति से चौदह दिन की अवधि के भीतर आदेश द्वारा निम्नलिखित करेगा,—

(क) आवेदन को स्वीकार, यदि वह पूर्ण है [2][और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है];

(ख) आवेदन को अस्वीकार, यदि वह अपूर्ण है [1][या प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है];

परन्तु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, किसी आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व, आवेदक को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उसके आवेदन में त्रुटियों को सुधारने के लिए सूचना देगा ।

(5) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उपधारा (4) के अधीन आवेदन के स्वीकार होने की तारीख से प्रारंभ होगी ।

[3][**10क. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के आरंभ किए जाने का निलंबन**—धारा 7, धारा 9 और धारा 10 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 28 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् उद्‌भूत किसी व्यतिक्रम हेतु, छह मास के लिए या ऐसी तारीख से एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि, जो इस संबंध में अधिसूचित की जाए, के लिए निगमित ऋणी के विषय में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा :

परंतु उक्त अवधि के दौरान उद्‌भूत उक्त व्यतिक्रम के लिए निगमित ऋणी के विषय में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कोई आवेदन कभी भी फाइल नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के उपबंध 25 मार्च, 2020 से पूर्व उक्त धाराओं के अधीन किए गए किसी व्यतिक्रम को लागू नहीं होंगे ।]

11. व्यक्ति जो आवेदन करने के लिए हकदार नहीं—निम्नलिखित व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) कोई निगमित ऋणी जो किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को भुगत रहा है; या

(ख) कोई निगमित ऋणी जिसने आवेदन करने की तारीख से बाहर मास पूर्व निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पूर्ण की है; या

(ग) कोई निगमित ऋणी या कोई वित्तीय लेनदार, जिसने ऐसी समाधान योजना, जो इस अध्याय के अधीन किसी आवेदन के किए जाने की तारीख से बारह महीने पूर्व अनुमोदित की गई थी, के किन्हीं निबंधनों का उल्लंघन किया है; या

(घ) कोई निगमित ऋणी, जिसके संबंध में कोई परिसमापन आदेश किया गया है ।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2020 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

स्पष्टीकरण [1][(1)]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी निगमित ऋणी के अंतर्गत ऐसे निगमित ऋणी के संबंध में कोई निगमित आवेदक भी है ।

[2][**स्पष्टीकरण 2—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में की कोई बात खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी निगमित ऋणी को किसी अन्य निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने से निवारित नहीं करेगी ।]

12. दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण किए जाने के लिए समय सीमा—(1) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन के स्वीकार करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी ।

(2) समाधान वृत्तिक एक सौ अस्सी दिन की अवधि से परे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निगमित दिवाला समाधान की अवधि का विस्तार करने के लिए आवेदन फाइल करेगा, यदि मतदान शेयर के पचहत्तर प्रतिशत मत द्वारा, लेनदारों की समिति की किसी बैठक में पारित संकल्प द्वारा, ऐसा करने का अनुदेश दिया जाता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले की विषयवस्तु ऐसी है कि कोई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक सौ अस्सी दिन के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि को एक सौ अस्सी दिन से परे ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा जो नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु इस धारा के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का कोई विस्तार एक बारे से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा ।

[3][परंतु यह और कि निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से तीन सौ तीस दिन की अवधि के भीतर आज्ञापक रूप से पूरा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए मंजूर किया गया अवधि का कोई विस्तार और निगमित ऋणी की ऐसी समाधान प्रक्रिया के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में लिया गया समय भी है :

परंतु यह भी कि जहां किसी निगमित ऋणी की दिवाला समाधान प्रक्रिया लंबित है और उसे दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है, वहां ऐसी समाधान प्रक्रिया को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।]

[4][**12क. धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन ग्रहण किए गए आवेदन को वापस लेना**—न्यायनिर्णाक प्राधिकारी, लेनदारों की समिति के मतदान शेयर के नब्बे प्रतिशत के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन ग्रहण किए गए आवेदन को ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, वापस लेना अनुज्ञात कर सकेगा ।]

13. ज्ञापन की घोषणा और सार्वजनिक आख्यापन—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन आवेदन को स्वीकार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा—

(क) धारा 14 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अधिस्थगन की घोषणा करेगा;

(ख) धारा 15 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कोई लोक आख्यापन करेगा और दावों को प्रस्तुत करने की मांग करेगा; और

(ग) धारा 16 में अधिकथित रीति में किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करेगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लोक आख्यापन अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के ठीक पश्चात् किया जाएगा ।

14. अधिस्थगन—(1) उपधारा (2) औश्र उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दिवाला प्रारंभ की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिस्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात् :—

(क) निगमित ऋणी के विरुद्ध वाद को संस्थित करने या लम्बित वादों और कार्यवाहियों को जारी रखने, जिसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण, माध्यस्थम्, पैनल या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन भी है;

(ख) निगमित ऋणी द्वारा उसकी किसी आस्ति या किसी विधिक अधिकार या उसमें किसी फायदाग्राही हित का अंतरण, विल्लंगम, अन्य संक्रामण या व्ययन करना;

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[2] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) अपनी संपत्ति के संबंधमें निगमित ऋणी द्वारा सृजित किसी प्रतिभूति हित के पुरोबंध, वसूली या प्रवृत्त करने की कोई कार्रवाई जिसके अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2000 (2002 का 54) के अधीन कोई कार्रवाई भी है;

(घ) किसी स्वामी या पट्टाकर्ता द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहां ऐसी संपत्ति निगमित ऋणी के अधिभोग में है या उसके कब्जे में है ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित सेक्टरीय विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या वैसा ही अनुदान या अधिकार का प्रदान किया जाना, दिवाला के आधारों पर इस शर्त के अधीन रहते हुए निलंबित या पर्यवसित नहीं किया जाएगा कि अधिस्थगन अवधि के दौरान अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या वैसे ही अनुदान या अधिकार के उपयोग या उसके बने रहने के कारण उद्‌भूत होने वाले चालू शोध्यों के संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया गया है ;]

(2) निगमित ऋणी को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, को अधिस्थगन कालावधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं किया जाएगा ।

[2][(2क) जहां यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी के मूल्य को संरक्षित और परिरक्षित करने के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय को तथा ऐसे निगमित ऋणी की संक्रियाओं का चालू समुत्थान के रूप में प्रबंध करने को संकटपूर्ण समझता है तो ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अधिस्थगन की अवधि के दौरान पर्यवसित, निलंबित या विच्छिन्न नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके जहां ऐसे निगमित ऋणी ने अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रदाय से उद्‌भूत होने वाले शोध्यों का संदाय नहीं किया है ।]

[3][(3) उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

[1][(क) ऐसे संव्यवहार, करार, अन्य ठहराव, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं ;]

(ख) किसी निगमित ऋणी को गारंटी की संविदा में प्रतिभू ।]

(4) अधिस्थगन का आदेश, ऐसे आदेश की तारीख से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा :

परन्तु जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी समय, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन सम्यक् रूप से जमा समाधान योजना का अनुमोदन कर देता है या धारा 33 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन का आदेश पारित कर देता है, तो अधिस्थगन, यथास्थिति, ऐसे अनुमोदन या परिसमापन आदेश की तारीख से प्रभाव में नहीं रहेगा ।

15. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का लोक आख्यापन—(1) धारा 13 में निर्दिष्ट आदेश के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लोक आख्यापन में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :—

(क) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन निगमित ऋणी का नाम और पता;

(ख) प्राधिकारी का नाम जिससे निगमित ऋणी निगमित या रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) दावों को भेजने के लिए [4][ऐसी अंतिम तारीख;]

(घ) अंतरिम समाधान वृत्तिक के ब्यौरे जिसमें निगमित ऋणी का, प्रबंध निहित होगा और जो दावों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) मिथ्या और भ्रामक दावों के लिए शास्ति; और

(च) वह तारीख जिसको निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया समाप्त होगी जो, यथास्थिति, धारा 7, धारा 9, या धारा 10 के अधीन आवेदन स्वीकार करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन होगी ।

(2) इस धारा के अधीन लोक आख्यापन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित किया जाए ।

16. अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति और पदावधि—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, [1][दिवाला प्रारंभ की तारीख को] कोई अंतरिम समाधान वृत्तिक नियुक्त करेगा ।

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 11 द्वारा "अंतिम तारीख" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन, यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार या निगमित ऋणी द्वारा किया जाता है, क्रमश: धारा 7 या धारा 10 के अधीन आवेदन में यथा प्रस्तावित समाधान वृत्तिक को अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किसी प्रचालन लेनदार द्वारा किया गया है, और—

(क) किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के लिए प्रस्ताव नहीं किया गया है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी दिवाला वृत्तिक की सिफारिश के लिए बोर्ड को निर्देश करेगा जो किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य कर सकेगा;

(ख) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के लिए प्रस्ताव किया गया है, वहां यथा प्रस्तावित समाधान वृत्तिक की अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्ति की जाएगी, यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं है ।

(4) बोर्ड, उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किसी ऐसे दिवाला वृत्तिक के नाम की सिफारिश करेगा, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ।

(5) अंतरिम समाधान वृत्तिक की पदावधि, [2][धारा 22 के अधीन समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की तारीख तक जारी रहेगी]।

17. अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित ऋणी के मामलों का प्रबंध—(1) अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की तारीख से,—

(क) निगमित ऋणी के मामलों का प्रबंध अंतरिम समाधान वृत्तिक में निहित होगा;

(ख) यथास्थिति, निदेशक बोर्ड, या निगमित ऋणी के, भागीदारों की शक्तियां निलंबित हो जाएंगी और अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा प्रयोग की जाएंगी;

(ग) निगमित ऋणी के अधिकारी और प्रबंधक अंतरिम समाधान वृत्तिक को रिपोर्ट करेंगे और निगमित ऋणी के ऐसे दस्तावेज और अभिलेखों तक पहुंच उपलब्ध कराएंगे जिनकी अपेक्षा अंतरिम समाधान वृत्तिकअ द्वारा की जाए;

(घ) निगमित ऋणी के लेखाओं को रखने वाला वित्तीय संस्थान ऐसे लेखाओं के संबंध में अंतरिम समाधान वृत्तिक के अनुदेशों पर कार्य करेगा तथा अंतरिम समाधान वृत्तिक को उनके पास निगमित ऋण से संबंधित उपलब्ध सभी जानकारी देगा ।

(2) निगमित ऋणी का प्रबंध निहित किए जाने वाला अंतरिम समाधान वृत्तिक में निहित होगा—

(क) निगमित ऋणी के नाम से या उसकी ओर से कार्य करेगा और सभी विलेख, प्राप्तियां और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, निष्पादित करेगा;

(ख) ऐसी कार्रवाइयां, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए करेगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं,

(ग) निगमित ऋणी की वित्तीय जानकारी रखने वाले सूचना उपयोगिता से निगमित ऋणी के इलेक्ट्रानिक अभिलेख तक पहुंच का प्राधिकार रखेगा;

(घ) सरकारी प्राधिकारियों, कानूनी लेखा परीक्षकों, लेखापालों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, के पास उपलब्ध निगमित ऋणी की लेखा बहियों, अभिलेखों और अन्य संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच का [3][प्राधिकार रखेगा; और] ।

[4][ङ निगमित ऋणी की ओर से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।]

18. अंतरिम समाधान वृत्तिक के कर्तव्य—अंतरिम समाधान वृत्तिक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति का अवधारण करने के लिए निगमित ऋणी की आस्तियों, वित्त और प्रचालन से संबंधित सभी जानकारियां एकत्र करना जिसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी भी हैं :—

(i) पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए कारबार प्रचालन;

(ii) पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए वित्तीय और प्रचालन संदाय;

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 12 द्वारा "उसकी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 13 द्वारा "प्राधिकार रखेगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।

(iii) आरंभ की तारीख को आस्तियों की सूची और दायित्वों की सूची; और

(iv) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए;

COURT BOOK

(ख) धारा 13 और धारा 15 के अधीन लोक आख्यापन के अनुसरण में उसके पास लेनदारों द्वारा प्रस्तुत सभी दावों को प्राप्त करना और मिलाना;

(ग) लेनदारों की समिति गठित करना;

(घ) निगमित ऋणी की आस्तियों को मानीटर करना और लेनदारों की समिति द्वारा किसी समाधान वृत्तिक की नियुक्ति किए जाने तक उसके प्रचालन का प्रबंध करना;

(ङ) सूचना उपयोगिता से एकत्र जानकारी को फाइल करना भी, आवश्यक हो; और

(च) किसी आस्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा में लेना, जिस पर निगमित ऋणी का, निगमित ऋणी या सूचना उपयोगिता या प्रतिभूतियों का निक्षेपागार या कोई अन्य रजिस्ट्री, जो आस्तियों के स्वामित्व को अभिलिखित करता है, के तुलनपत्र में यथा अभिलिखित स्वामित्व अधिकार है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) आस्तियां जिन पर निगमित ऋणी का स्वामित्व अधिकार है जो विदेश में अवस्थित हो सकेगी;

(ii) आस्ति जो निगमित ऋणी के कब्जे में हो या नहीं हो;

(iii) मूर्त आस्तियां चाहे जंगम या स्थावर हो;

(iv) अमूर्त आस्तियां जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा भी है;

(v) प्रतिभूतियां जिनके अंतर्गत निगमित ऋणी की किसी समनुषंगी में धारित शेयर, वित्तीय लिखत, बीमा पालिसी भी हैं;

(vi) किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व के अवधारण के अधीन रहते हुए आस्तियां;

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरण—इस [1][धारा] के उपयोजन के लिए "आस्तियां" पद में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् :—

(क) न्यास या संविदात्मक ठहरावों के अधीन निगमित ऋणी के कब्जे में किसी तृतीय पक्षकार के स्वामित्व की आस्तियां जिसके अंतर्गत उपनिधान भी हैं;

(ख) निगमित ऋणी की किसी भारतीय या विदेशी समनुषंगी की आस्तियां; और

(ग) ऐसी अन्य आस्तियां, जो किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

19. अंतरिम समाधान वृत्तिक को कार्मिकों के द्वारा सहयोग किया जाना—(1) निगमित ऋणी के कार्मिक संप्रवर्तक या निगमित ऋणी के प्रबंधतंत्र से कोई अन्य सहबद्ध व्यक्ति अंतरिम समाधान वृत्तिक को, जहां तक उसके द्वारा अपेक्षित हो, निगमित ऋणी के मामलों के प्रबंधन में समस्त सहायता और सहयोग देंगे।

(2) जहां निगमित ऋणी के कार्मिक संप्रवर्तक या अंतरिम समाधान वृत्तिक की सहायता या सहयोग के लिए अपेक्षित कोई अन्य व्यक्ति निगमित ऋणी के मामलों के प्रबंध में सहायता या उसे सहयोग नहीं करते हैं, तो अंतरिम समाधान वृत्तिक आवश्यक निदेशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर किसी आदेश द्वारा, ऐसे कार्मिक या अन्य व्यक्ति को समाधान वृत्तिक के अनुदेशों का अनुपालन करने का और सूचना एकत्रित करने में और निगमित ऋणी के प्रबंध में सहयोग करने का निदेश देगा।

20. चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के प्रचालन का प्रबंध—(1) अंतरिम समाधान वृत्तिक निगमित ऋणी की संपत्ति के मूल्य के संरक्षण और परिरक्षण का प्रत्येक प्रयास करेगा और चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के प्रचालन का प्रबंध करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अंतरिम समाधान वृत्तिक को निम्नलिखित प्राधिकार होंगे—

(क) लेखाकारों, विधिक या अन्य वृत्तिक, जो आवश्यक हों, को नियुक्त करना;

(ख) निगमित ऋणी की ओर से ऐसी संविदाएं करना या संविदाओं या संव्यवहारों को संशोधित या उपांतरित करना जिन्हें निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व किया गया था;

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 14 द्वारा "उपधारा" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) अंतरिम वित्त जुटाना बशर्ते लेनदार की पूर्व सहमति के बिना निगमित ऋणी की किसी विल्लंगमित संपत्तियों पर कोई प्रतिभूति हित सृजित नहीं किया जाएगा, जिसका ऋण ऐसी विल्लंगमित संपत्ति पर प्रतिभूत है :

परन्तु जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य ऋण की रकम के दुगने के समतुल्य रकम से कम नहीं है, वहां लेनदार की पूर्व सहमति अपेक्षित नहीं होगी;

COURT BOOK

(घ) निगमित ऋणी के कार्मिकों को ऐसे अनुदेश जारी करना, जो किसी निगमित ऋणी को चालू समुत्थान के रूप में रखने के लिए आवश्यक है; और

(ङ) ऐसी सभी कार्रवाइयां करना जो निगमित ऋणी को किसी चालू समुत्थान के रूप में रखने के लिए आवश्यक हैं ।

21. लेनदारों की समिति—(1) अंतरिम समाधान वृत्तिक निगमित ऋणी के विरुद्ध प्राप्त सभी दावों का संग्रह और निगमित ऋणी की वित्तीय प्रास्थिति का अवधारण करने के पश्चात् लेनदारों की समिति गठित करेगा ।

(2) लेनदारों की समिति निगमित ऋणी के सभी वित्तीय लेनदारों से मिलकर बनेगी :

परन्तु [1][किसी वित्तीय लेनदार या धारा 24 की उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (6क) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि वह निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है,] को लेनदारों की समिति में प्रतिनिधित्व करने का, भाग लेने का या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

[2][परंतु यह और कि पहला परंतुक किसी ऐसे वित्तीय लेनदार, जो किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित है, को लागू नहीं होगा, यदि वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, मात्र ऋण के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के संपरिवर्तन [3][या ऐसे संव्यवहार, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर] या प्रतिस्थापन के मद्दे निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है;]

(3) [4][उपधारा (6) और उपधारा (6क) के अधीन रहते हुए, जहां] निगमित ऋणी द्वारा किसी कंसोर्टियम या करार के भाग के रूप में दो या अधिक वित्तीय लेनदारों के प्रति ऋण देय है वहां ऐसा प्रत्येक वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का भाग होगा और उसके मतदान अंश का अवधारण उसके प्रति देय वित्तीय ऋणों के आधार पर किया जाएगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति वित्तीय लेनदार के साथ-साथ कोई प्रचालन लेनदार है, वहां,—

(क) ऐसे व्यक्ति को उस सीमा तक वित्तीय लेनदार माना जाएगा जहां तक निगमित ऋणी द्वारा वित्तीय ऋण देय है और ऐसे लेनदार के प्रति देय वित्तीय ऋणों की सीमा तक आनुपातिक मतदान अंश के साथ लेनदारों की समिति में सम्मिलित किया जाएगा;

(ख) ऐसे व्यक्ति को निगमित ऋणी द्वारा ऐसे लेनदार को देय प्रचालित ऋण की सीमा तक प्रचालक लेनदार माना जाएगा ।

(5) जहां किसी प्रचालक लेनदार ने किसी वित्तीय लेनदार को कोई प्रचालन ऋण समनुदेशित किया है या विधिपूर्वक अंतरित किया है वहां ऐसे समनुदेशन या विधिक अंतरण की सीमा तक समनुदेशिती या अंतरिती को प्रचालन लेनदार माना जाएगा ।

(6) [1][जहां, वित्तीय ऋण के कंसोर्टियम, ठहराव या संबद्ध प्रसुविधा के भाग के रूप में विस्तारित निबंधन किसी एकल न्यासी या अभिकर्ता द्वारा सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने हेतु उपबंध करते हैं] वहां प्रत्येक वित्तीय लेनदार—

(क) न्यासी या अभिकर्ता को लेनदारों की समिति में उसके मतदान अंश की सीमा तक उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) उसके मतदान अंश की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व कर सकेगा;

(ग) उसका लेनदारों की समिति में उसके मतदान अंश की सीमा तक उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं की लागत पर किसी दिवाला वृत्तिक (समाधान वृत्तिक से भिन्न) की नियुक्ति कर सकेगा; या

(घ) उसके मतदान अंश की सीमा तक एक या अधिक वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से मिलकर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा ।

[5][(6क) जहां कोई वित्तीय ऋण—

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 15 द्वारा "जहां" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) प्रतिभूतियों या जमा के रूप में है और वित्तीय ऋण के निबंधन सभी वित्तीय लेनदारों के लिए प्राधिकृत प्रतिनधि के रूप में कार्य के लिए किसी न्यासी या अभिकर्ता की नियुक्ति का उपबंध करते हैं, वहां ऐसा न्यासी या अभिकर्ता ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेगा :

(ख) उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन आने वाले लेनदारों से भिन्न यथा विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक लेनदारों के वर्ग के प्रति ऋणी है, वहां अंतरिम समाधान वृत्तिक सभी वित्तीय लेनदारों की सूची, जिसमें अंतरिम समाधान वृत्तिक से भिन्न किसी दिवाला वृत्तिक का नाम अंतर्विष्ट होगा, के साथ न्यायनिर्णयक प्राधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन करेगा, जिसकी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा लेनदारों की समिति की पहली बैठक से पूर्व नियुक्ति की जाएगी ;

(ग) का प्रतिनिधित्व किसी संरक्षक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधिकेरूप में कार्य करेगा,

और ऐसा प्राधिकृत खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेगा और अपने मतदान शेयर की सीमा तक प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से मत देगा ।

(6ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि को संदेय पारिश्रमिक—

(i) यदि कोई हो, उपधारा (6क) के खंड (क) और खंड (ग) के अधीन वित्तीय ऋण या सुसंगत दस्तावेजों के निबंधनों के अनुसार होगा; और

(ii) उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा, जो दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी लागतों का भाग बनेगा ।]

[1][(7) बोर्ड उपधारा (6) और उपधारा (6क) के अधीन आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मत देने और मतदान शेयरों का अवधारण करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(8) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, लेनदारों की समिति के सभी विनिश्चय वित्तीय देनदारों के मतदान शेयर के इक्वायन प्रतिशत से अन्यून मत द्वारा लिए जाएंगे :

परंतु जहां किसी निगमित ऋणी का कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, वहां लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और वह ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों से ऐसी रीति में मिलकर बनेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।]

(9) लेनदारों की समिति को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निगमित ऋणी के संबंध में कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने के लिए समाधान वृत्तिक से अपेक्षा करने का अधिकार होगा ।

(10) समाधान वृत्तिक, लेनदारों की समिति द्वारा उपधारा (9) के अधीन इस प्रकार अपेक्षित किसी वित्तीय सूचना को ऐसी अध्यपेक्षा किए जाने के सात दिन की कालावधि के भीतर उपलब्ध कराएगा ।

22. समाधान वृत्तिक की नियुक्ति—(1) लेनदारों की समिति की पहली बैठक लेनदारों की समिति का गठन होने के सात दिन के भीतर आयोजित की जाएगी ।

(2) लेनदारों की समिति अपनी पहली बैठक में वित्तीय लेनदारों के मतदान अंश के [2][छियासठ] प्रतिशत से अन्यून के बहुमत द्वारा या तो समाधान वृत्तिक के रूप में अंतरिम समाधान वृत्तिक को नियुक्त करने का या अंतरिम समाधान वृत्तिक के स्थान पर दूसरे समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने का संकल्प करेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जहां लेनदारों की समिति का संकल्प—

(क) [3][प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति के अधीन रहते हुए] समाधान वृत्तिक के रूप में अंतरित समाधान वृत्तिक को जारी रखने का है वहां वह अंतरिम समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उसके इस विनिश्चय को संसूचित करेगी; या

(ख) अंतरिम समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने का है वहां वह प्रस्तावित समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष [4][प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति के साथ] आवेदन को फाइल करेगी ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नाम को बोर्ड को इसकी पुष्टि के लिए भेजेगा और बोर्ड से पुष्टि के पश्चात् ऐसी नियुक्ति करेगा ।

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 16 द्वारा "पचहत्तर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) जहां बोर्ड, प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नाम की प्राप्ति की तारीख के दस दिन के भीतर प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नाम की पुष्टि नहीं करता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा अन्तरिम समाधान वृत्तिक को, नियुक्ति की बोर्ड से पुष्टि होने तक समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करते रहने का निदेश देगा ।

23. समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करना—(1) धारा 27 के अधीन रहते हुए समाधान वृत्तिक संपूर्ण निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करेगा और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान निगमित ऋणी के प्रचालन का प्रबंध करेगा :

[1][परंतु समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति के पश्चात्, निगमित ऋणी की संक्रियाओं का प्रबंध तब तक करता रहेगा, जब तक धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन करने वाला या धारा 34 के अधीन समापक की नियुक्ति करने वाला कोई आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है ।]

(2) समाधान वृत्तिक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अध्याय के अधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक में निहित या उसको प्रदत्त है ।

(3) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन किसी समाधान वृत्तिक की किसी नियुक्ति की दशा में अंतरिम समाधान वृत्तिक उसके कब्जे और जानकारी में निगमित ऋणी से संबंधित सभी जानकारी, दस्तावेज और अभिलेख समाधान वृत्तिक को उपलब्ध कराएगा ।

24. लेनदारों की समिति की बैठक—(1) लेनदारों की समिति के सभी सदस्य वैयक्तिक रूप से या ऐसे इलैक्ट्रानिक माध्यम से बैठक कर सकेंगे, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) लेनदारों की समिति की सभी बैठकें समाधान वृत्तिक द्वारा आयोजित की जाएंगी ।

(3) समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना निम्नलिखित को देगा—

(क) [2][धारा 21 की उपधारा (6) और उपधारा (6क) तथा उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधियों सहित वृत्तिक लेनदारों की समिति] के सदस्यों को;

(ख) यथास्थिति, निदेशक बोर्ड के निलंबित सदस्यों या निगमित व्यक्तियों के भागीदारों को;

(ग) प्रचालन लेनदारों या उनके प्रतिनिधियों को, यदि उनके कुल शोध्यों की रकम ऋण के दस प्रतिशत से कम नहीं है ।

(4) प्रचालन लेनदारों का उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट, निदेशक, भागीदार तथा एक प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा किंतु उसे ऐसी बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परंतु, प्रचालन लेनदारों के, यथास्थिति, ऐसे निदेशक, भागीदार या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति से ऐसी बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी ।

(5) [3][धारा 21 की उपधारा (6) उपधारा (6क) और उपधारा (6ख) के अधीन रहते हुए कोई लेनदार] जो लेनदारों की समिति का एक सदस्य है समाधान वृत्तिक से भिन्न किसी दिवाला वृत्तिक को लेनदारों की समिति की किसी बैठक में ऐसे लेनदार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु किसी व्यक्तिगत लेनदार का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे समाधान वृत्तिक को संदेय ऐसी फीस ऐसे लेनदार द्वारा वहन की जाएगी ।

(6) प्रत्येक लेनदार का मत ऐसे लेनदार को शोध्य वित्तीय ऋण के आधार पर उसे समनुदेशित मतांश के अनुसार होगा ।

(7) समाधान वृत्तिक, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रत्येक लेनदार को समनुदेशित मतांश अवधारित करेगा ।

(8) लेनदारों की समिति की बैठकों का संचालन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

25. समाधान वृत्तिक के कर्तव्य—(1) समाधान वृत्तिक का यह कर्तव्य होगा कि वह निगमित ऋणी की आस्तियों को परिरक्षित और संरक्षित करे जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के चालू कारबार का प्रचालन भी है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए समाधान वृत्तिक निम्नलिखित कार्रवाई करेगा, अर्थात् :—

(क) निगमित ऋणी की सभी आस्तियां, जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के कारबार के अभिलेख भी हैं, तत्काल अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में लेना;

(ख) तृतीय पक्षकारों के साथ निगमित ऋणी का प्रतिनिधित्व और उसकी ओर से कार्य करना, न्यायिक, न्यायिककल्य या माध्यस्थम् प्रक्रियाओं में अधिकारों का प्रयोग निगमित ऋणी के फायदे के लिए करना;

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) धारा 28 के अधीन लेनदारों की समिति के अनुमोदन के अध्यधीन अंतरिम वित्त की व्यवस्था करना;

(घ) बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में लेखाकारों, विधिक या अन्य वृत्तिकों की नियुक्ति करना;

(ङ) दावों की अद्यतन सूची का अनुरक्षण करना;

(च) लेनदारों की समिति की सभी बैठकें आहूत करना और उनमें भाग लेना;

(छ) धारा 29 के अनुसरण में जानकारी ज्ञापन को तैयार करना;

[1][(ज) ऐसे संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करना, जो ऐसे मानदंडों को, जो लेनदारों की समिति के अनुमोदन से निगमित ऋणी के कारबार के प्रचालन की जटिलताओं और पैमाने को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा अधिकथित किए जाएं, और ऐसी अन्य शर्तों को, जो समाधान योजना या योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, पूरा करते है ।]

(झ) लेनदारों की समिति की बैठक में सभी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना;

(ञ) अध्याय 3 के अनुसरण में संव्यवहारों के, यदि कोई हों, परिवर्जन के लिए कोई आवेदन फाइल करना; और

(ट) ऐसी अन्य कार्रवाइयां करना जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

[2][**25क. वित्तीय लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार और कर्त्तव्य**—(1) प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास धारा 21 की उपधारा (6क) या धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन लेनदारों की समिति की बैठकों में, ऐसे वित्तीयलेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से ऐसे लेनदारों से मतदान के संबंध में भौतिक या इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से अभिप्राप्त किए गए पूर्व अनुदेशों के अनुसार भाग लेने और मतदान करने का अधिकार होगा ।

(2) प्राधिकृत प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह लेनदारों की समिति की बैठक के कार्यवृत्त और कार्यसूची को, ऐसे वित्तीय लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, को परिचालित करे ।

(3) प्राधिकृत प्रतिनिधि, ऐसे वित्तीय लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, के हित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा और वह सदैव उनके पूर्व अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा :

परंतु यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि अनके वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है तो वह ऐसे प्रत्येक वित्तीय लेनदार से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार ऐसे प्रत्येक वित्तीय लेनदार के संबंध में, उसके मतदान शेयर की सीमा तक अपना मतदान करेगा; :

परंतु यह और कि यदि कोई वित्तीय लेनदार भौतिक या इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से पूर्व अनुदेश नहीं देता है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि, ऐसे लेनदार की ओर से मतदान करने से प्रविरत होगा ।

[3][(3क) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 21 की उपधारा (6क) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसे सभी वित्तीय लेनदारों, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से, ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने अपना मत डाला है, मतदान शेयर के पचास प्रतिशत से अधिक के मत द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार अपना मत डालेगा :

परंतु धारा 12क के अधीन किसी आवेदन के संबंध में डाले जाने वाले मत के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार अपना मत डालेगा ।]

(4) प्राधिकृत प्रतिनिधि, ऐसे वित्तीय लेनदार से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, भौतिक या इलैक्ट्रोनिक साधनों के रूप में प्राप्त किए गए किन्हीं अनुदेशों को उनके अनुसार मतदान किए जाने के लिए लेनदारों की समिति के समक्ष फाइल करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे वित्तीय लेनदार के, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समुचित मतदान संबंधी अनुदेशों को, यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक द्वारा सही-सही लेखबद्ध किया जाता है ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रोनिक साधन" वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।]

26. संव्यवहारों के परिवर्जन के लिए आवेदन का कार्यवाहियों को प्रभावित न करना—समाधान वृत्तिक द्वारा धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन परिवर्जन आवेदन फाइल किए जाने से, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होंगी ।

27. लेनदारों की समिति द्वारा समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन—(1) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान लेनदारों की समिति की यह राय है कि धारा 22 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, वहां वह उसके स्थान पर किसी अन्य समाधान वृत्तिक को इस धारा के अधीन उपबंधित रीति में प्रतिस्थापित कर सकेगी ।

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(2) लेनदारों की समिति, अपनी किसी बैठक में, मतदान शेयरों के छियासठ प्रतिशत शेयरों के साथ, प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति के अधीन रहते हुए यह संकल्प कर सकेगी कि धारा 22 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक को किसी अन्य समाधान वृत्तिक से प्रतिस्थापित किया जाए ।]

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) लेनदारों की समिति, उसके द्वारा प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक का नाम न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भेजेगी ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के नाम को बोर्ड को उसकी पुष्टि के लिए भेजेगा और कोई समाधान वृत्तिक धारा 16 में अधिकथित रीति में नियुक्त किया जाएगा ।

(5) जहां प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाइयां लंबित हैं वहां धारा 22 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक इस धारा के अधीन अन्य समाधान वृत्तिक की नियुक्ति तक बना रहेगा ।

28. कतिपय कार्रवाइयों के लिए लेनदारों की समिति का अनुमोदन—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान लेनदारों की समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित कार्रवाई नहीं करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसी रकम से अधिक कोई अंतरिम वित्त जुटाना जो लेनदारों की समिति द्वारा बैठक में विनिश्चित किया जाए;

(ख) निगमित ऋणी की आस्तियों पर कोई प्रतिभूति हित सृजित करना;

(ग) निगमित ऋणी की पूंजी संरचना में परिवर्तन जिसके अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम द्वारा, प्रतिभूतियों के नए वर्ग का सृजन करना या निगमित ऋणी कोई कंपनी होने की दशा में पुन: क्रय या मोचन जारी करना;

(घ) निगमित ऋणी के स्वामित्व हित में कोई परिवर्तन अभिलिखित करना;

(ङ) निगमित ऋणी के खातों को बनाए रखने वाली वित्तीय संस्थाओं को किसी ऐसे नामे डालने वाले संव्यवहार, जो ऐसे किसी खाते में से ऐसी किसी रकम, जिसका लेनदारों की समिति द्वारा उसकी बैठक में विनिश्चय किया जाए, के आधिक्य में किया गया है, अनुदेश देना;

(च) कोई संबंधित पक्षकार संव्यवहार करना;

(छ) निगमित ऋणी के गठन दस्तावेज में संशोधन करना;

(ज) किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन करना;

(झ) निगमित ऋणी के किसी शेयरधारक या उसके नामनिर्देशिती के शेयरों का तृतीय पक्षकार को व्ययन करना या व्ययन को अनुज्ञात करना;

(ञ) निगमित ऋणी या उसकी समनुषंगी के प्रबंध में कोई परिवर्तन करना;

(ट) कारबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न किसी तात्विक संविदा के अधीन अधिकारों या वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों का अंतरण करना;

(ठ) लेनदारों की समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कार्मिक की नियुक्ति या संविदा के निबंधनों में परिवर्तन करना; या

(ड) निगमित ऋणी के किसी कानूनी लेखा परीक्षक या आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या संविदा के निबंधनों में परिवर्तन करना ।

(2) समाधान वृत्तिक, लेनदारों की समिति की बैठक संयोजित करेगा और उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व लेनदारों का मत प्राप्त करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई लेनदारों की समिति के मतदान अंश के [2][छियासठ] प्रतिशत किसी मत द्वारा अनुमोदन के बिना नहीं होगी ।

(4) जहां समाधान वृत्तिक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई इस धारा में यथा अपेक्षित किसी रीति में लेनदारों की समिति का अनुमोदन प्राप्त किए बिना की जाती है वहां ऐसी कार्रवाई शून्य होगी ।

(5) लेनदारों की समिति इस संहिता के अधीन उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को उपधारा (4) के अधीन समाधान वृत्तिक की कार्रवाइयों की रिपोर्ट कर सकेगी ।

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 21 द्वारा "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

29. जानकारी ज्ञापन की तैयारी—(1) समाधान वृत्तिक, किसी समाधान योजना को बनाने के लिए ऐसी सुसंगत जानकारी वाले ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जानकारी ज्ञापन तैयार करेगा ।

COURT BOOK

(2) समाधान वृत्तिक, समाधान आवेदक को सभी सुसंगत जानकारी तक पहुंच को भौतिक और इलैक्ट्रानिक प्ररूप में उपलब्ध कराएगा बशर्ते ऐसा समाधान आवेदक निम्नलिखित का जिम्मा लेता है—

(क) गोपनीयता और आंतरिक व्यापार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का अनुपालन करना;

(ख) निगमित ऋणी के किसी बौद्धिक संपदा की संरक्षा करना जो उसकी पहुंच में हो; और

(ग) जब तक इस उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) का अनुपालन न हो जाता तब तक किसी तृतीय पक्षकार के साथ सुसंगत जानकारी साझा नहीं करना ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत जानकारी" से निगमित ऋणी के लिए समाधान योजना बनाने के लिए समाधान आवेदक द्वारा अपेक्षित जानकारी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी की वित्तीय स्थिति निगमित ऋणी के द्वारा या उसके विरुद्ध विवादों से संबंधित सभी जानकारी तथा निगमित ऋणी से संबंधित कोई अन्य विषय जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

[1][**29क. वे व्यक्ति, जो समाधान आवेदक होने के पात्र नहीं हैं**—कोई व्यक्ति, कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का तब पात्र नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या मिलकर कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति—

(क) कोई अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जानबूझकर व्यतिक्रमी है;

(ग) कोई ऐसा खाता या ऐसे व्यक्ति के या उस व्यक्ति के, जिसका ऐसा व्यक्ति संप्रवर्तक है, प्रबंधतंत्र या नियंत्रण के अधीन कोई निगमित [2][ऋणी, समाधान योजना प्रस्तुत किए जाने के समय कोई ऐसा खाता रखता है] जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांतों [3][या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों] के अनुसार गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे वर्गीकरण की तारीख से निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष की अवधि व्यपगत हो गई है :

परन्तु कोई व्यक्ति कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का तब पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति सामाधान योजना प्रस्तुत करने से पूर्व गैर-निष्पादक आस्ति से संबंधित सभी अतिशोध्य रकमों का उन पर ब्याज औश्र प्रभारों सहित संदाय कर देता है :

[परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी समाधान आवेदक को वहां लागू नहीं होगी, जहां ऐसा आवेदक कोई वित्तीय अस्तित्व है और वह निगमित ऋणी से संबंधित पक्षकार नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1—इस परंतु के प्रयोजनों के लिए "संबंधित पक्षकार" पद में ऐसा कोई वित्तीय अस्तित्व सम्मिलित नहीं होगा, जो किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है, यदि वह निगमित ऋणी का वित्तीय लेनदार है और वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, एकमात्र रूप से ऋण को इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित या प्रतिस्थापित करने या इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों [4][या ऐसे संव्यवहारों, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर] के मुद्दे निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां समाधान आवेदक का ऐसा कोई खाता है, या ऐसे किसी व्यक्ति के प्रबंध या नियंत्रण के अधीन निगमित ऋणी का कोई खाता है या ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई खाता है, जिसका ऐसा व्यक्ति संप्रवर्तक है, जिसे गैर-निष्पादनकारी आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे खाते को इस संहिता के अधीन किसी अनुमोदित पूर्व समाधान योजना के अनुसरण में अर्जित किया गया था, तब इस खंड के उपबंध, ऐसे समाधान आवेदक को, न्यायनिर्णयक प्राधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे ;]

[5][(घ) जिसे निम्नलिखित अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,—

(i) बारहवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन दो वर्ष या अधिक के; या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सात वर्ष या अधिक के; या

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 22 द्वारा "ऋणी, कोई ऐसा खाता रखता है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 22 द्वारा "रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों" शब्दों का अंतःस्थापित ।

[4] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु यह खंड किसी व्यक्ति को, कारावास से उसकी निर्मुक्त की तारीख से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् लागू नहीं होगा :

परंतु यह और कि यह खंड स्पष्टीकरण 1— के खंड (iii) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;]

COURT BOOK
POWERING LEGAL CLARITY

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित है;

[1][परंतु यह खंड स्पष्टीकरण 1— के खंड (iii) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;]

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों में पहुंच रखने से प्रतिषिद्ध है;

(छ) किसी ऐसे निगमित ऋणी का, जिसमें कोई अधिमानी संव्यवहार, कम-मूल्यांकित संव्यवहार, उद्दापित प्रत्यय संव्यवहार या कपटपूर्ण संव्यवहार हुआ है और जिसकी बाबत इस संहिता के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया है, संप्रवर्तक या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में रहा है;

[2][परंतु यह खंड उस समय लागू नहीं होगा, यदि इस संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में या किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक या किसी न्यायालय द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम या योजना के अनुसरण में समाधान आवेदक द्वारा निगमित ऋणी के अर्जन से पूर्व कोई अधिमानी संव्यवहार, अवमूल्यांकित संव्यवहार, अतिशय प्रत्यय संव्यवहार या कपटपूर्ण संव्यवहार हुआ है और ऐसे समाधान आवेदक ने ऐसे किसी अधिमानी संव्यवहार, अवमूल्यांकित संव्यवहार, अतिशय प्रत्यय संव्यवहार या कपटपूर्ण संव्यवहार में अन्यथा कोई सहयोग नहीं किया है;]

(ज) किसी ऐसे निगमित ऋणी की बाबत किसी लेनदार के पक्ष में [1][कोई प्रत्याभूति] निष्पादित कर चुका है, जिसके विरुद्ध ऐसे लेनदार द्वारा दिवाला समाधान के लिए किया गया कोई आवेदन इस संहिता के अधीन ग्रहण कर लिया गया है [2][और ऐसी प्रत्याभूति का लेनदार द्वारा अवलंब लिया गया है और ऋण पूर्णत: या भागत: असंदत्त रहता है];

(झ) भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी विधि के अधीन खंड (क) से खंड (ज) के तदनुरूप किसी असमर्थता के [2][अध्यधीन है]; या

(ञ) कोई ऐसा संसक्त व्यक्ति रखता है जो खंड (क) से खंड (झ) के अधीन पात्र नहीं है ।

स्पष्टीकरण—[3][(1)] इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संसक्त व्यक्ति" पद से अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समाधान आवेदक का संप्रवर्तक है या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में है; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समाधान योजना के क्रियान्वयन के दौरान निगमित ऋणी के कारबार का संप्रवर्तक या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में होगा; या

(iii) खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी, सहयुक्त कंपनी या उसका संबद्ध पक्षकार है :

[1][परंतु स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) की कोई बात ऐसे किसी समाधान आवेदक को वहां लागू नहीं होगी, जहां ऐसा आवेदक कोई वित्तीय अस्तित्व है और निगमित ऋणी का कोई संबंधित पक्षकार नहीं है :

परंतु यह और कि "संबंधित पक्षकार" पद में ऐसा कोई वित्तीय अस्तित्व सम्मिलित नहीं होगा, जो किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है, यदि वह निगमित ऋणी का वित्तीय लेनदार है और वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, एकमात्र रूप से ऋण को इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित या प्रतिस्थापित करने या इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों [4][या ऐसे संव्यवहार, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर] के मद्दे निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है ;]

(अ) कोई अनुसूचित बैंक; या

(आ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी; या

(इ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत कोई अनुकल्पी विनिधान निधि ।

[5][स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय अस्तित्व" पद से ऐसे निम्नलिखित अस्तित्व अभिप्रेत होंगे, जो ऐसे मानदंडों या शर्तों को पूरा करते हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार, वित्तिय क्षेत्र विनियामक के परामर्श से इस निमित्त अधिसूचित करे, अर्थात् :--

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 22 द्वारा संख्यांकित।
[4] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5]2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) कोई अनुसूचित बैंक;

(ख) भारत से बाहर की अधिकारिता के विदेशी बैंक या प्रतिभूति बैंक बाजार विनियामक या अन्य वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा विनियमित कोई अस्तित्व जिसकी अधिकारिता वित्तीय कार्रवाई कार्य बल मानकों की अनुवर्ती है, और अन्तरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग, बहुपक्षीय ज्ञापन समझौता का हस्ताक्षरकर्ता है;

COURT BOOK
LEGAL CLARITY

(ग) कोई विनिधान माध्यम, रजिस्ट्रीकृत विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, रजिस्ट्रीकृत विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता या कोई विदेशी उद्यम पूंजी विनिधानकर्ता, जहां निबंधनों का वही अर्थ है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2017 के विनियम 2 में उसका है;

(घ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत कोई वैकल्पिक विनिधान निधि;

(च) व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।]

30. समाधान योजना को प्रस्तुत करना—(1) कोई समाधान आवेदक, सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार की गई समाधान योजना [1][यह कथन करने वाले एक शपथ-पत्र के साथ कि वह धारा 29क के अधीन पात्र है] समाधान वृत्तिक को प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा यह पुष्टि करने के लिए करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना—

(क) दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में निगमित ऋणी के अन्य ऋणों के [2][संदाय] पर पूर्विकता से किए जाने का उपबंध करती है;

[3][(ख) प्रचालन लेनदारों के ऋणों के संदाय के लिए ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जो,—

(i) धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से ; या

(ii) ऐसी रकम से, जो ऐसे लेनदारों को उस समय संदत्त की गई होती, यदि समाधान योजना के अधीन वितरित की जाने वाली रकम को धारा 53 की उपधारा (1) में पूर्विकता के क्रमानुसार वितरित किया गया होता,

इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगी और ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऋणों के संदाय के लिए, ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जो निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के उपबंधों के अनुसार किया गया कोई वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और साम्यापूर्ण होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस खंड के उपबंध किसी निगमित ऋणी की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को भी वहां लागू होंगे,—

(i) जहां किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है या उसे नामंजूर कर दिया गया है ;

(ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के अधीन कोई अपील की गई है या ऐसी कोई अपील तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के अधीन समय वर्जित नहीं है ; या

(iii) जहां किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के विनिश्चिय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही आरंभ की गई है]

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् निगमित ऋणी के कार्यों के प्रबंध के लिए उपबंध करती है;

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबन्ध करती है;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 23 द्वारा "प्रतिसंदाय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी भी उपबंध का उललंघन नहीं करती है;

(च) ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

[1][**स्पष्टीकरण**—खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या समाधान योजना के अधीन कार्रवाई के कार्यान्वियन हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शेयर धारकों का कोई अनुमोदन अपेक्षित है, तो ऐसे अनुमोदन को दिया गया समझा जाएगा और वह उस अधिनियम या विधि के उल्लंघन में नहीं होगा ।]

(3) समाधान वृत्तिक, ऐसी समाधान योजना अनुमोदन के लिए लेनदारों की समिति को प्रस्तुत करेगा, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती है ।

[2][(4) लेनदारों की समिति, किसी समाधान योजना का, [3][उसकी साध्यता और व्यवहार्यता, प्रस्तावित वितरण की रीति, जिसका निर्धारण करते हुए धारा 53 की उपधारा (1) में यथा अधिकथित रूप से लेनदारों के बीच पूर्विकता, जिसके अंतर्गत किसी प्रतिभूत लेनदार के प्रतिभूति हित की पूर्विकता और मूल्य भी है, के क्रम को ध्यान में रख सकेगा तथा] ऐसी अन्य अन्य अपेक्षाओं पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विचार करने के पश्चात् वित्तीय लेनदारों के मत के भाग के कम से कम छियासठ प्रतिशत मत द्वारा अनुमोदन कर सकेगी :

परन्तु लेनदारों की समिति, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं० 7) के प्रारंभ से पहले प्रस्तुत की गई किसी समाधान योजना का वहां अनुमोदन नहीं करेगी, जहां समाधान आवेदक धारा 29क के अधीन अपात्र है और जहां उसके पास कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है, वहां समाधान वृत्तिक से, नए सिरे से, समाधान योजना आमंत्रित करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु यह और कि जहां पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29क के खंड (ग) के अधीन अपात्र है वहां लेनदारों की समिति द्वारा, समाधान आवेदक को धारा 29क के खंड (ग) के परन्तुक के अनुसार अतिशोध्य रकमों का संदाय करने के लिए ऐसी अवधि अनुज्ञात की जाएगी जो तीस दिन से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक की किसी बात का अर्थ धारा 12 की उपधारा (3) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विस्तारित अवधि के रूप में नहीं लगाया जाएगा और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की जाएगी ।

[1][परंतु यह भी कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं० 6) द्वारा यथा संशोधित धारा 29क में पात्राता मानदंड ऐसे समाधान आवेदक को लागू होंगे, जिसने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ की तारीख को समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है ।]

(5) समाधान आवेदक, लेनदारों की समिति की ऐसी बैठक में, जिसमें आवेदक की समाधान योजना पर विचार किया जाना है, हाजिर रह सकेगा:

परन्तु समाधान आवेदक को लेनदारों की बैठक में मत देने का तक तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि एक ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो ।

(6) समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति द्वारा तथा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

31. समाधान योजना का अनुमोदन—(1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित कर देगा जो निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, [4][प्रतिभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार या ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी भी है, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्भूत होने वाले शोध्यों के संदाय के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के रूप में कोई ऋण देय हैं, जिनको कानूनी शोध्य देय होते हैं] प्रतिभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर बाध्यकारी होगी :

[5][परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन का आदेश पारित किए जाने से पूर्व यह समाधान करेगा कि समाधान योजना में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपबंध सम्मिलित हैं ।]

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि के अनुरूप नहीं है, तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को नामंजूर कर सकेगा ।

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 6 द्वारा "उसकी साध्यता और व्यवहार्यता तथा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन आदेश के पश्चात्,—

(क) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 14 के अधीन पारित अधिस्थगन आदेश प्रभाव में नहीं रहेगा, और

(ख) समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने से संबंधित सभी अभिलेख और समाधान अपने डाटा बेस में अभिलिखित करने के लिए बोर्ड को भेजेगा ।

[2][(4) समाधान आवेदक, उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथा उपबंधित ऐसी अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त विधि के अधीन अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परंतु जहां समाधान योजना में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 में यथानिर्दिष्ट संयोजन के लिए कोई उपबंध अन्तर्विष्ट है वहां समाधान आवेदक, लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पूर्व उस अधिनियम के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ।]

32. अपील—समाधान योजना को अनुमोदित करने वाले किसी आदेश से कोई अपील धारा 61 की उपधारा (3) में अधिकथित रीति और आधारों पर की जाएगी ।

[1][**32क. पूर्व में किए गए अपराधों के लिए दायित्व, आदि**—(1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए निगमित ऋणी का दायित्व समाप्त हो जाएगा और निगमित ऋणी धारा 31 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदित किए जाने की तारीख से ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा, यदि समाधान योजना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन का परिणाम होती है,—

(क) जो संप्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था या ऐसे व्यक्ति का संबंधित पक्षकार नहीं था ; या

(ख) जो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके संबंध में सुसंगत अन्वेषण प्राधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया था या षड्यंत्र रचा था और सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या उसके पास शिकायत फाइल कर दी है :

परंतु यदि कोई अभियोजन ऐसे निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान संस्थित किया गया था तो वह इस उपधारा की अपेक्षाओं के पूरा किए जाने के अध्यधीन समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से उन्मोचित हो जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा परिभाषित "अभिहित भागीदार" था, या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (60) में यथा परिभाषित "अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है" या अपने कारबार के संचालन के लिए किसी भी रीति में निगमित ऋणी का भारसाधक था या उसके प्रति उत्तरदायी था, या किसी भी रीति में निगमित ऋणी के साथ सहयुक्त था और जो अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या फाइल की गई शिकायत के अनुसार ऐसे अपराध के किए जाने में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संलिप्त था, इस बात के होते हुए भी कि निगमित ऋणी का दायित्व इस उपधारा के अधीन समाप्त हो गया है, निगमित ऋणी द्वारा किए ऐसे अपराध के लिए अभियोजित किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी बना रहेगा ।

(2) निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए ऐसे अपराध के संबंध में निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जहां ऐसी संपत्ति धारा 31 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अधीन नहीं आती है, जिसका परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निगमित ऋणी के नियंत्रण में या ऐसे व्यक्ति के लिए इस संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के उपबंधों के अधीन समापन आस्तियों के विक्रय में परिवर्तन है जो,—

(i) संप्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था या ऐसे व्यक्ति का संबद्ध पक्षकार नहीं था ; या

(ii) ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके संबंध में सुसंगत अन्वेषण प्राधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया था या षड्यंत्र किया था और सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या उसके पास शिकायत फाइल कर दी है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

[1] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(i) ऐसे किसी अपराध के संबंध में निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई में ऐसी विधि के अधीन, जो निगमित ऋणी को लागू हो, ऐसी संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण, प्रतिधारण या जब्ती सम्मिलित होगी ;

COURT BOOK

(ii) इस उपधारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह निगमित ऋणी या किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई को वर्जित करने के लिए है, जिसने इस संहिता के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी संपत्ति का अर्जन किया है और वह इस धारा में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, जिसके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई ऐसी विधि के अधीन जो लागू हो की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस धारा में प्रदत्त उन्मुक्ति के होते हुए भी निगमित ऋणी और ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे ऐसे निगमित ऋणी या व्यक्ति को ऐसी विधि के अधीन जो लागू हो, सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी प्राधिकारी को सभी सहायता और सहयोग देगा ।]

अध्याय 3

परिसमापन प्रक्रिया

33. परिसमापन का आरंभ—(1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,—

(क) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि या धारा 12 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए अनुज्ञात अधिकतम अवधि या धारा 56 के अधीन त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने से पूर्व धारा 30 के उपधारा (6) के अधीन कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं करता है; या

(ख) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन समाधान योजना को उसमें विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अननुपालन के लिए अस्वीकार कर देता है, वहां वह, —

(i) निगमित ऋणी के इस अध्याय में अधिकथित रीति में परिसमापन किए जाने की अपेक्षा करते हुए आदेश पारित करेगा;

(ii) लोक घोषणा यह कथन करते हुए जारी करेगा कि निगमित ऋणी परिसमापन में है; और

(iii) ऐसे आदेश को ऐसे प्राधिकारी को भेजने की अपेक्षा करेगा जिसके पास निगमित ऋणी रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) जहां समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किंतु समाधान योजना की पुष्टि से पूर्व किसी समय निगमित ऋणी के परिसमापन के लिए [1][लेनेदारों की समिति के ऐसे विनिश्चय को, जिसे मतदान शेयर के कम से कम छियासठ प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया गया है, न्यायनिर्णायक] प्राधिकारी को सूचित करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के खंड (ख) के (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा ।

[2][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह घोषणा की जाती है कि लेनदारों की समिति, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन उसके गठन के पश्चात् और समाधान योजना के पुष्टिकरण से पूर्व किसी भी समय, जिसके अंतर्गत सूचना ज्ञापन तैयार करने से पूर्व का कोई समय भी है, निगमित ऋणी का परिसमापन करने का विनिश्चय कर सकेगी ।]

(3) जहां संबंधित निगमित ऋणी द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन किया जाता है, वहां निगमित ऋणी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हितों पर ऐसे उल्लंघन द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और खण्ड (iii) में यथानिर्दिष्ट किसी परिसमापन आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी यह अवधारित करता है कि निगमित ऋणी ने समाधान योजना के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो वह उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा ।

(5) धारा 52 के अधीन रहते हुए जब कोई परिसमापन आदेश पारित किया गया है, निगमित ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी:

परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निगमित ऋणी की ओर से समापक द्वारा कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 25 द्वारा "लेनदारों की समिति के विनिश्चय को न्यायनिर्णायक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

(6) उपधारा (4) के उपबंध ऐसे संव्यवहारों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं, संबंध में विधिक कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।

COURT BOOK

(7) तब के सिवाय, जब समापक द्वारा निगमित ऋणी का कारबार समापन की प्रक्रिया के दौरान जारी रखा जाता है, इस धारा के अधीन परिसमापन आदेश को निगमित ऋणी के अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मकारों के प्रति कार्यमुक्ति सूचना समझा जाएगा ।

34. समापक की नियुक्ति और उसे संदत्त की जाने वाली फीस—(1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 33 के अधीन निगमित ऋणी के समापन का कोई आदेश पारित करता है, [1][वहां समाधान वृत्तिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए अध्याय 2 के अधीन] निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त समाधान वृत्तिक, जब तक उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा बदला न जाए, समापन के प्रयोजनों के लिए समापक के रूप में कार्य करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन समापक की नियुक्ति हो जाने पर, यथास्थिति, निदेशक बोर्ड, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और निगमित ऋणी के भागीदारों की सभी शक्तियां प्रभावहीन हो जाएंगी और वे समापक में निहित हो जाएंगी ।

(3) निगमित ऋणी के कार्मिक, समापक की, जैसी भी निगमित ऋणी के कार्यकलापों के प्रबंधन में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, सभी प्रकार से सहायता और सहयोग करेंगे और धारा 19 के उपबंध स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे अंतरिम समाधान वृत्तिक के प्रतिनिर्देश के स्थान पर समापक के प्रतिनिर्देश के साथ परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा समाधान वृत्तिक को बदल देगा, यदि,—

(क) धारा 30 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को धारा 30 की उपधारा (2) में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होने के कारण नामंजूर कर दिया गया हो, या

(ख) बोर्ड ने, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से समाधान वृत्तिक को बदले जाने की [2][सिफारिश की है; या] ।

[3][(ग) समाधान वृत्तिक उपधारा (1) के अधीन लिखित सहमति प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।]

(5) उपधारा (4) के [4][खंड (क) और खंड (ग)] के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, बोर्ड को समापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अन्य दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करने का निदेश दे सकेगा ।

(6) बोर्ड, उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश के [5][दस दिन के भीतर समाधान वृत्तिक द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए अन्य] दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करेगा ।

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, समापक के रूप में किसी दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति के लिए बोर्ड का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा, ऐसे दिवाला वृत्तिक की समापक के रूप में नियुक्ति करेगा ।

(8) समापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाला प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक, परिसमापन कार्यवाहियां करने के लिए ऐसी फीस और परिसमापन संपदा आस्तियों के मूल्य के ऐसे अनुपात में प्रभारित करेगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(9) समापक को, उपधारा (8) के अधीन समापन कार्यवाहियां करने के लिए फीस, धारा 53 के अधीन समापन सम्पदा के आगमों से संदत्त की जाएगी ।

35. समापक की शक्तियां और कर्तव्य—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहते हुए, समापक की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) सभी लेनदारों के दावों का सत्यापन करना;

(ख) निगमित ऋणी की सभी आस्तियों, संपत्तियों, चीजबस्तों और अनुयोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखना;

(ग) निगमित ऋणी की आस्तियों और सम्पत्ति का ऐसी रीति से, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मूल्यांकन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना;

(घ) निगमित ऋणी की आस्तियों और संपत्तियों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए ऐसे उपाय करना, जो वह आवश्यक समझे;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 26 द्वारा "वहां अध्याय 2 के अधीन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 26 द्वारा "सिफारिश की है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 26 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 26 द्वारा "खंड (क)" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 26 द्वारा "दस दिन के भीतर अन्य" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ङ) निगमित ऋणी के कारबार को उसके ऐसे फायदाप्रद परिसमापन के लिए, जो वह आवश्यक समझे, चलाना;

(च) धारा 52 के अधीन रहते हुए निगमित ऋणी की समापन संबंधी स्थावर और जंगम संपत्ति तथा अनुयोज्य दावों का लोक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा, किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को ऐसी संपत्ति का अंतरण करने या उसका ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाए, भारत: विक्रय करने की शक्ति के साथ, विक्रय करना :

[1][परंतु समापक, निगमित ऋणी की समापनधीन स्थावर और जंगम संपत्ति या अनुयोज्य दावों का किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा, जो समाधान आवेदक बनने का पात्र नही हैं ।]

(छ) निगमित ऋणी के नाम से तथा उसकी ओर से किसी परक्राम्य लिखत को, जिसके अंतर्गत विनियम पत्र, हुंडी या वचनपत्र भी है, दायित्व की बाबत उसी प्रभाव से लिखना, प्रतिगृहीत करना, दिया जाना या पृष्ठांकित करना, मानो ऐसी लिखत निगमित ऋणी द्वारा या उसकी ओर से, उसके कारबार के मामूली अनुक्रम में लिखी गई थी, प्रतिगृहीत की गई थी, दी गई या पृष्ठांकित की गइ थी;

(ज) किसी मृत अभिदायी के लिए प्रशासन-पत्र अपने पदीय नाम से लेना और अभिदायी या उसकी संपदा से शोध्य और उसे संदेय किसी धनराशि का संदाय अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई ऐसा कार्य अपने पदीय नाम से करना, जो निगमित ऋणी के नाम से मामूली तौर से नहीं किया जा सकता था और ऐसी सभी दशाओं में शोध्य और संदेय राशि प्रशासन-पत्र लेने या ऐसी धनराशि वसूल करने के लिए समापक को समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए स्वयं समापक को शोध्य समझी जाएगी;

(झ) अपने कर्तव्यों, बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी व्यक्ति से वृत्तिक सहायता प्राप्त करना या वृत्तिक सहायता प्राप्त करने के लिए किसी वृत्तिक की नियुक्ति करना;

(ञ) इस संहिता के उपबंधों के अनुसार लेनदारों और दावेदारों को आमंत्रित करना और उनके दावों को तय करना तथा आगमों का वितरण करना;

(ट) निगमित ऋणी के नाम से या उसकी ओर से कोई वाद, अभियोजन या अन्य सिविल या दांडिक विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना या उसमें प्रतिरक्षा करना;

(ठ) न्यून मूल्यांकित या अधिमानी संव्यवहार अवधारित करने के लिए निगमित ऋणी के वित्तीय कार्यों का अन्वेषण करना;

(ड) ऐसी सभी कार्रवाइयां, उपाय करना या किसी ऐसे कागज-पत्र, विलेख, प्राप्ति दस्तावेज, आवेदन, याचिका, शपथपत्र, बंधपत्र या लिखत को हस्ताक्षरित, निष्पादित और सत्यापित करना और सामान्य मुद्रा, यदि कोई हो, का उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करना, जो समापन, आस्तियों के वितरण के लिए और समापक के रूप में अपने कर्तव्यों और बाध्यताओं तथा कृत्यों के निर्वहन में आवश्यक हों;

(ढ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे आदेशों या निदेशों के लिए आवेदन करना, जो निगमित ऋणी के समापन के लिए आवश्यक हों और ऐसी रीति से, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समापन प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट देना; और

(ण) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) समापक को ऐसे पणधारियों में से किसी पणधारी से, जो धारा 53 के अधीन आगमों के वितरण का हकदार है, परामर्श करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसा कोई परामर्श समापक पर बाध्यकारी नहीं होगा:

परंतु यह और कि किसी ऐसे परामर्श के अभिलेख, ऐसे अन्य सभी पणधारियों के लिए, जिनसे इस प्रकार परामर्श नहीं किया गया है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से उपलब्ध होंगे ।

36. समापन सम्पदा—(1) समापन के प्रयोजनों के लिए, समापक, उपधारा (3) में वर्णित आस्तियों की एक सम्पदा गठित करेगा, जिसे निगमित ऋणी के संबंध में समापन सम्पदा कहा जाएगा ।

(2) समापक सभी लेनदारों के फायदे के लिए वैश्वासिक रूप में समापन करेगा ।

(3) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, समापन सम्पदा में सभी समापन सम्पदा आस्तियां समाविष्ट होंगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित सम्मिलित होंगी: —

(क) कोई ऐसी आस्तियां, जिन पर निगमित ऋणी का स्वामित्व अधिकार है, जिसके अंतर्गत उसमें के ऐसे सभी अधिकार और हित भी हैं, जो निगमित ऋणी के तुलनपत्र या किसी या किसी सूचना उपयोगिता या रजिस्ट्री के अभिलेखों या

[1] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

निगमित ऋणी की किसी निक्षेपागार अभिलेखन प्रतिभूतियों में या ऐसे किन्हीं अन्य साधनों द्वारा साक्ष्यित हैं, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिसके अंतर्गत निगमित ऋणी के किसी समनुषंगी में धारित शेयर भी हैं;

COURT BOOK

(ख) ऐसी आस्तियां, जो निगमित ऋणी के कब्जे में हों या कब्जे में नहीं हों, जिसके अंतर्गत विल्लंगमित आस्तियां भी हैं, किंतु इन तक ही सीमित नहीं हैं;

(ग) मूर्त आस्तियां, चाहे जंगम हो या स्थावर;

(घ) अमूर्त आस्तियां, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा, प्रतिभूतियां (जिसमें निगमित ऋणी के किसी समनुषंगी में धारित शेयर भी सम्मिलित हैं) और वित्तीय लिखतें, बीमा पालिसियां, संविदात्मक अधिकार भी हैं, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है;

(ङ) ऐसी आस्तियां, जो न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व के अवधारण के अध्यधीन हैं;

(च) कोई आस्तियां या इस अध्याय के अनुसार संव्यवहारों के परिवर्जन की कार्यवाहियों के माध्यम से वसूल किया उनका मूल्य;

(छ) निगमित ऋणी की कोई ऐसी आस्ति, जिसके संबंध में किसी प्रतिभूत लेनदार ने प्रतिभूति हित त्याग दिया है;

(ज) कोई अन्य संपत्ति, जो दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को निगमित ऋणी की है या उसमें निहित है; और

(झ) समापन के सभी आगम जब कभी भी वे वसूल किए जाएं ।

(4) समापन सम्पदा आस्तियों में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा और समापन में की वसूली के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) किसी अन्य पक्षकार के स्वामित्वाधीन ऐसी आस्तियां, जो निगमित ऋणी के कब्जे में हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) किसी अन्य पक्षकार के लिए न्यास में धृत आस्तियां;

(ii) उपनिधान संविदाएं;

(iii) किसी कर्मकार या कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन निधि और उपदान निधि से शोध्य सभी राशियां;

(iv) अन्य संविदात्मक ठहराव, जिसमें हक के अंतरण का अनुबंध नहीं है, बल्कि केवल आस्तियों के उपयोग का अनुबंध है;

(v) ऐसी अन्य आस्तियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक के परामर्श से अधिसूचित की जाएं;

(ख) वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा धारित सांपार्श्विक प्रतिभूतियों में की ऐसी आस्तियां, जो बहुपक्षीय व्यापारिक या समाशोधन संव्यवहारों के नेटिंग और मुजराई के अध्यधीन हैं;

(ग) किसी निगमित ऋणी के, यथास्थिति, किसी शेयरधारक या भागीदार की निजी आस्तियां, बशर्ते ऐसी आस्तियां ऐसे परिवर्जन संव्यवहारों के कारण, जिनका इस अध्याय के अधीन परिवर्जन किया जा सके, धारित नहीं है;

(घ) निगमित ऋणी के किसी भारतीय या विदेशी समनुषंगी की आस्तियां; या

(ङ) कोई अन्य आस्तियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, जिनके अन्तर्गत ऐसी आस्तियां भी है, जो निगमित ऋणी और किसी लेनदार के बीच पारस्परिक व्यवहार के कारण मुजरा करने के अध्यधीन हो सकेंगी ।

37. समापक की सूचना तक पहुंच बनाने की शक्तियां—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समापक को, निगमित ऋणी से संबंधित समापन संपदा आस्तियों को ग्रहण करने तथा उनके दावों के सबूत और पहचान करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित स्रोतों से किसी सूचना प्रणाली तक पहुंच बनाने की शक्ति होगी, अर्थात्:—

(क) किसी सूचना उपयोगिता;

(ख) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन विनियमित प्रत्यय विषयक सूचना प्रणाली;

(ग) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार का कोई अभिकरण, जिसके अंतर्गत कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी भी है;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनियमित वित्तीय और गैर-वित्तीय दायित्वों के लिए सूचना प्रणाली,

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनियमित प्रतिभूति हित के रूप में घोषित प्रतिभूतियों और आस्तियों के लिए सूचना प्रणाली;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(च) बोर्ड द्वारा अनुरक्षित कोई डाटा बेस; और

(छ) कोई अन्य स्रोत, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) लेनदार, समापक से, ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाए, निगमित ऋणी से संबंधित कोई वित्तीय सूचना उन्हें देने की अपेक्षा कर सकेंगे ।

(3) समापक, उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना ऐसे लेनदारों को, जिन्होंने ऐसी सूचना का अनुरोध किया है, ऐसे अनुरोध की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर, उपलब्ध कराएगा या उसके उपलब्ध न करवाने के कारण बताएगा ।

38. दावों का समेकन—(1) समापक, समापन प्रक्रिया के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लेनदारों के दावों को प्राप्त या संगृहीत करेगा ।

(2) कोई वित्तीय लेनदार, समापक को किसी सूचना उपयोगिता में के ऐसे दावे का अभिलेख उपलब्ध कराते हुए दावा प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु जहां दावे के संबंध में सूचना, सूचना उपयोगिता में अभिलिखित नहीं है, वहां वित्तीय लेनदार उसी रीति से दावा प्रस्तुत कर सकेगा, जो उपधारा (3) के अधीन प्रचालन लेनदार के लिए दावे प्रस्तुत करने के लिए यथा उपबंधित है ।

(3) कोई प्रचालन लेनदार, समापक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा दावे को साबित करने के लिए अपेक्षित ऐसे समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकेगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) कोई ऐसा लेनदार, जो भागत: वित्तीय लेनदार और भागत: प्रचालन लेनदार है, समापक को अपने वित्तीय ऋण के विस्तार तक, ऐसी रीति से, जैसी उपधारा (2) में उपबंधित है और प्रचालन ऋण के विस्तार तक उपधारा (3) के अधीन उपबंधित रीति से, दावे प्रस्तुत करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन कोई लेनदार, अपने दावे को, उसके प्रस्तुत किए जाने के चौदह दिन के भीतर वापस ले सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा ।

39. दावों का सत्यापन—(1) समापक, ऐसे समय के भीतर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा 38 के अधीन प्रस्तुत दावों का सत्यापन करेगा ।

(2) समापक, किसी लेनदार या निगमित ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति से कोई ऐसा अन्य दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह सम्पूर्ण दावे या उसके किसी भाग का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

40. दावों का ग्रहण किया जाना या उनका नामंजूर किया जाना—(1) समापक, धारा 39 के अधीन दावों का सत्यापन करने के पश्चात्, यथास्थिति, संपूर्ण दावे को या उसके किसी भाग को या तो ग्रहण कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा:

परंतु जहां समापक किसी दावे को नामंजूर कर देता है, वहां वह ऐसे नामंजूर करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(2) समापक, लेनदारों और निगमित ऋणी के दावों को ऐसे ग्रहण किए जाने या उन्हें नामंजूर किए जाने के सात दिन के भीतर दावों को ग्रहण करने या उन्हें नामंजूर करने के बारे में संसूचित करेगा ।

41. दावों के मूल्यांकन का अवधारण—समापक, ऐसी रीति से, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 40 के अधीन ग्रहण किए गए दावों के मूल्य का अवधारण करेगा ।

42. समापक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील—कोई लेनदार ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर [1][दावों को नामंजूर या स्वीकार करने] वाले परिसमापक के विनिश्चय के विरुद्ध न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

43. अधिमानी संव्यवहार और सुसंगत समय—(1) जहां, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक की यह राय है कि निगमित ऋणी ने किसी सुसंगत समय पर ऐसे संव्यवहारों में और उपधारा (2) में यथा अधिकथित रीति से उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अधिमान दिया है, वहां वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिमानी संव्यवहारों के परिवर्जन के लिए और धारा 44 में निर्दिष्ट एक या अधिक आदेशों के लिए आवेदन करेगा ।

(2) किसी निगमित ऋणी द्वारा अधिमान दिया गया समझा जाएगा, यदि,—

(क) उसमें निगमित ऋणी द्वारा लिए गए किसी पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण या अन्य दायित्वों के लिए या उसके मद्दे किसी लेनदार या किसी प्रतिभू या किसी प्रत्याभूति दाता के फायदे के लिए, निगमित ऋणी की संपत्ति या उसके हित का अंतरण हुआ है; और

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 27 द्वारा "दावों को नामंजूर करने" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) खंड (क) के अधीन ऐसे अंतरण का प्रभाव ऐसे लेनदार या प्रतिभू या किसी प्रत्याभूतिदाता को उस स्थिति से फायदाप्रद स्थिति में लाने के लिए है जो उसकी धारा 53 के अनुसार किए गए वितरण की दशा होती ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, अधिमान में निम्नलिखित अंतरण सम्मिलित नहीं होंगे,—

(क) निगमित ऋणी या अंतरिती के कारबार या वित्तीय कार्यकलापों के मामूली अनुक्रम में किया गया अंतरण;

(ख) ऐसा अंतरण, जिसमें निगमित ऋणी द्वारा अर्जित संपत्ति में निम्नलिखित सीमा तक किसी प्रतिभूति हित का सृजन होता है,—

(i) जिससे ऐसे प्रतिभूति हित का ऐसा नया मूल्य सुनिश्चित हो और जो ऐसे किसी प्रतिभूति करार पर हस्ताक्षर करने पर या उसके पश्चात् दिया गया था जिसमें प्रतिभूति हित के रूप में ऐसी संपत्ति का विवरण अंतर्विष्ट है और जिसका निगमित ऋणी द्वारा ऐसी संपत्ति को अर्जित करने के लिए उपयोग किया गया था; और

(ii) ऐसा अंतरण निगमित ऋणी द्वारा ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् तीस दिन होने पर या उसके पहले सूचना उपयोगिता में रजिस्ट्रीकृत कर दिया था:

परंतु किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कोई अंतरण, ऐसे अंतरण को निगमित ऋणी द्वारा दिए गए अधिमान के रूप में समझे जाने से निवारित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए, "नए मूल्य" से कोई धन या माल, सेवाओं में उसका मूल्य या नए प्रत्यय या किसी संव्यवहार में अन्तरिती को पूर्व में अन्तरित सम्पति के ऐसे अंतरिती द्वारा उस संपत्ति का उन्मोचन अभिप्रेत है, जो इस संहिता के अधीन ऐसे किसी समापक या समाधान वृत्तिक द्वारा न तो शून्य है और न ही शून्यकरणीय है, जिसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति के आगम भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण नहीं आता, जो विद्यमान वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है ।

(4) कोई अधिमान किसी सुसंगत समय पर दिया गया समझा जाएगा, यदि, —

(क) वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष की अवधि के दौरान संबंधित पक्षकार (केवल कोई कर्मचारी होने के कारण से भिन्न) को दिया जाता है; या

(ख) कोई अधिमान, दिवाला प्रारंभ की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी संबंधित पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति को दिया जाता है ।

44. अधिमानी संव्यवहारों की दशा में आदेश—न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर, —

(क) अधिमान दिए जाने के संबंध में अंतरित कोई संपत्ति निगमित ऋणी में निहित की जाने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी संपत्ति को इस प्रकार निहित की जाने की अपेक्षा कर सकेगा, यदि उसमें वह इस प्रकार अंतरित संपत्ति के विक्रय आगमों का या इस प्रकार अंतरित धन का उपयोजन दर्शित होता हो;

(ग) निगमित ऋणी द्वारा सृजित किसी प्रतिभूति हित का (संपूर्णत: या भागत:) निर्मोचन या उन्मोचन कर सकेगा;

(घ) किसी व्यक्ति से, उसके द्वारा निगमित ऋणी से प्राप्त फायदों के संबंध में, समापक या समाधान वृत्तिक को ऐसी धनराशि का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निदेश दे;

(ङ) किसी ऐसे प्रत्याभूतिदाता को यह निदेश दे सकेगा, जिसके किसी व्यक्ति को दिए गए वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों का, ऐसे नए या प्रवर्तित वित्तीय ऋणों के अधीन अधिमान देते हुए, उस व्यक्ति को, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समुचित समझे, (संपूर्णत: या भागत:) निर्मोचन या उन्मोचन कर दिया गया है;

(च) आदेशाधीन उद्भूत किसी वित्तीय ऋण या प्रचालन ऋण के उन्मोचन के लिए, किसी संपत्ति पर प्रतिभूति या भार का और वैसी ही पूर्विकता वाली प्रतिभूति या प्रभार जैसी प्रतिभूति या भार, अधिमान देते हुए पूर्णत: या भागत: निर्मोचित या उन्मोचित की गई थी, के लिए प्रतिभूति का उपबंध करने का निदेश दे सकेगा;

(छ) ऐसी सीमा का उपबंध करने का निदेश दे सकेगा, जिस तक कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति निगमित ऋणी में इस प्रकार निहित है या जिस पर आदेश द्वारा अधिरोपित ऐसे वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों को, ऐसे वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों के लिए, जो अधिमान से उद्भूत हुए हैं या जिन्हें अधिमान देते हुए पूर्णत: या भागत: निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया गया था, समापन या निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में साबित किया जाना है:

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश,—

(क) किसी ऐसी संपत्ति, जो निगमित ऋणी से भिन्न किसी व्यक्ति से अर्जित की गई थी, में के किसी हित को या ऐसे हित या से व्युत्पन्न किसी हित को, जो सद्भावपूर्वक और मूल्यार्थ अर्जित किया गया था, प्रभावित नहीं करेगा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से समापक या समाधान वृत्तिक की किसी धनराशि का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसने सद्भावपूर्वक और मूल्यार्थ अधिमानी संव्यवहार से कोई फायदा प्राप्त किया है ।

COURT BOOK

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने निगमित ऋणी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से संपत्ति में कोई हित अर्जित किया है या जिसने किसी अधिमान से कोई फायदा प्राप्त किया है या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे निगमित ऋणी ने अधिमान दिया है,—

(i) निगमित ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ या प्रारंभ की पर्याप्त सूचना थी; या

(ii) वह संबंधित पक्षकार है,

यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक तत्प्रतिकूल दिर्शित नहीं किया जाए, हित या फायदा सद्भाव से अन्यथा अर्जित किया गया था या प्राप्त किया गया था ।

स्पष्टीकरण 2—किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे पर्याप्त सूचना थी या उसे ऐसी सूचना प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर था, यदि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में धारा 13 के अधीन कोई सार्वजनिक घोषणा की गई है ।

45. न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों का परिवर्जन—(1) यदि, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक, [1]*** उपधारा (2) में निर्दिष्ट निगमित ऋणी के संव्यवहारों की परीक्षा करने पर यह अवधारित करता है कि धारा 46 के अधीन सुसंगत अवधि के दौरान किए गए कतिपय संव्यवहार न्यून मूल्यांकित थे, तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, ऐसे संव्यवहारों को शून्य घोषित करने और इस अध्याय के अनुसार ऐसे संव्यवहार के प्रभाव को उलटने के लिए आवेदन करेगा ।

(2) किसी संव्यवहार को न्यून मूल्यांकित माना जाएगा, यदि, —

(क) निगमित ऋणी ने किसी व्यक्ति को कोई दान दिया है; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसमें निगमित ऋणी द्वारा, ऐसे प्रतिफलार्थ मूल्य के लिए, जो निगमित ऋणी द्वारा दिए गए प्रतिफल के मूल्य से बहुत कम है, एक या अधिक आस्तियां अंतरण में अंतर्वलित हैं, कोई संव्यवहार किया गया है, और ऐसा संव्यवहार निगमित ऋणी के कारबार के मामूली अनुक्रम में नहीं किया गया है ।

46. परिवर्जनीय संव्यवहारों के लिए सुसंगत अवधि—(1) न्यून मूल्य पर किसी संव्यवहार के परिवर्जन के लिए किसी आवेदन में, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक यह संप्रदर्शित करेगा कि,—

(i) ऐसा संव्यवहार, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी व्यक्ति के साथ किया गया था;

(ii) ऐसा संव्यवहार, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो एक संबंधित पक्षकार है, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष की अवधि के भीतर किया गया था ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस धारा में वर्णित संव्यवहारों के मूल्य के संबंध में साक्ष्य के निर्धारण के लिए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ की अपेक्षा कर सकेगा ।

47. न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों के मामलों में लेनदार द्वारा आवेदन—(1) जहां कोई न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किया गया था और, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट नहीं की थी, वहां, यथास्थिति, निगमित ऋणी का लेनदार, सदस्य या भागीदार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहारों को शून्य घोषित करने तथा इस अध्याय के अनुसार उसके प्रभाव को उलटने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का, उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किए गए थे; और

(ख) यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक ने ऐसे संव्यवहारों की पर्याप्त सूचना होने या ऐसे संव्यवहारों की सूचना का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर होने के पश्चात् भी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहार की रिपोर्ट नहीं की थी,

तो वह,—

(क) वैसी ही स्थिति, जो ऐसे संव्यवहारों से पूर्व विद्यमान थी, पुन:स्थापित करते हुए और धारा 45 तथा धारा 48 में यथा अधिकथित रीति से उनके प्रभाव को उलटते हुए,

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 28 द्वारा "धारा 43 की" शब्दों का लोप किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) बोर्ड से, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ करने की अपेक्षा करते हुए,

आदेश पारित करेगा ।

48. न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों के मामलों में आदेश—धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—

(क) संव्यवहार के भागरूप अंतरित किसी संपत्ति का निगमित ऋणी में निहित होने की अपेक्षा;

(ख) निगमित ऋणी द्वारा दिए गए किसी प्रतिभूति हित का (पूर्णत: या भागत:) निर्मोचन या उन्मोचन;

(ग) किसी व्यक्ति से, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक को, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त फायदों के संबंध में ऐसी धनराशि का, जैसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निदेश दे, संदाय करने की अपेक्षा; या

(घ) ऐसे संव्यवहार के लिए, ऐसे प्रतिफल का संदाय करने की अपेक्षा, जो किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा दिए गए साक्ष्य में अवधारित किया गए ।

49. लेनदारों को कपटवंचित करने संबंधी संव्यवहार—जहां किसी निगमित ऋणी ने धारा 45 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट कोई न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसे निगमित ऋणी द्वारा ऐसा संव्यवहार जानबूझकर,—

(क) निगमित ऋणी की आस्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति की, जो निगमित ऋणी के विरुद्ध दावा करने का हकदार है, पहुंच से दूर रखने के लिए;

(ख) दावे के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए,

किया गया था, वहां निर्णायक प्राधिकारी,—

(i) वैसी ही स्थिति बहाल करने का, जैसी वह ऐसे संव्यवहार से पूर्व तब विद्यमान होती यदि वह संव्यवहार नहीं किया गया होता; और

(ii) ऐसे व्यक्तियों के हितों का, जो ऐसे संव्यवहारों से पीड़ित हैं, संरक्षण करने का,

आदेश करेगा:

परंतु इस धारा के अधीन,—

(क) ऐसे आदेश से ऐसी संपत्ति में के किसी हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो निगमित ऋणी से भिन्न किसी व्यक्ति से अर्जित की गई थी और जो सद्भावपूर्वक मूल्यार्थ और सुसंगत परिस्थितियों की सूचना के बिना अर्जित की गई थी या जो ऐसे किसी हित से व्युत्पन्न किसी हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ख) जब तक वह संव्यवहार का पक्षकार न हो तब तक ऐसे आदेश में, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने सद्भावपूर्वक मूल्यार्थ और किसी धनराशि का संदाय करने के लिए सुसंगत परिस्थितियों की सूचना के बिना संव्यवहार से फायदा प्राप्त किया था, कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

50. उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार—(1) जहां कोई निगमित ऋणी किसी ऐसी उद्दापनात्मक प्रत्यय संव्यवहार का पक्षकार है, जिसमें दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष के भीतर वित्तीय या प्रचालन ऋण की प्राप्ति अंतर्वलित है, वहां, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, यदि ऐसे संव्यवहार में निगमित ऋणी द्वारा अत्यधिक संदाय किया जाना अपेक्षित है, ऐसे संव्यवहार के परिवर्जन के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) बोर्ड ऐसी परिस्थितियां विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें कोई संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन आएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वित्तीय सेवाओं को, जो ऐसे ऋण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन में हैं, उपबंध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी ऋण को किसी भी दशा में उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार के रूप में नहीं माना जाएगा ।

51. उद्दापक प्रत्यय संव्यवहारों के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश—जहां धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात्, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रत्यय संव्यवहार के निबंधनों में नर्णीत ऋणी द्वारा अत्यधिक संदाय किया जाना अपेक्षित है, जो वह आदेश द्वारा, —

(क) ऐसे संव्यवहार से पूर्व की स्थिति पुन: स्थापित करेगा;

(ख) उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार के मद्दे जमा किए गए संपूर्ण ऋण या उसके भाग को अपास्त करेगा,

(ग) संव्यवहार के निबंधनों को उपांतरित करेगा;

COURT BOOK

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो संव्यवहार का पक्षकार है या था, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी रकम के प्रतिदाय करने के लिए अपेक्षा करेगा; या

(ङ) किसी ऐसे प्रतिभूति हित का, जो उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार के भागरूप में सृजित हुआ था, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक के पक्ष में त्यागने की अपेक्षा करेगा ।

52. समापन कार्यवाहियों में के प्रतिभूत लेनदार—(1) समापन कार्यवाहियों में का कोई प्रतिभूत लेनदार,—

(क) समापन संपदा के प्रति अपने प्रतिभूति हित को त्याग सकेगा और धारा 53 में विनिर्दिष्ट रीति से समापक द्वारा आस्तियों के विक्रय से आगम प्राप्त कर सकेगा; या

(ख) इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से अपने प्रतिभूति हित का आपन कर सकेगा ।

(2) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रतिभूति हित को वसूल करता है, वहां वह ऐसे प्रतिभूति हित के समापक को सूचित करेगा तथा ऐसी आस्ति की पहचान करेगा, जिसके अधीन रहते हुए ऐसे प्रतिभूति हित का आपन किया जाना है ।

(3) प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस धारा के अधीन किसी प्रतिभूति हित का आपन किए जाने के पूर्व समापक ऐसे प्रतिभूति हित का सत्यापन करेगा और प्रतिभूत लेनदार केवल ऐसे प्रतिभूति हित का आपन करने की अनुज्ञा देगा, जिसके अस्तिव को या तो,—

(क) सूचना उपयोगिता द्वारा अनुरक्षित ऐसे प्रतिभूति हित के अभिलेखों द्वारा साबित किया जा सके; या

(ख) ऐसे अन्य साधन द्वारा साबित किया जा सके, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) कोई प्रतिभूत लेनदार, प्रतिभूत आस्तियों को, किसी ऐसी विधि के अनुसार, जो प्रतिभूत हित का आगम किए जाने के संबंध में और प्रतिभूत लेनदार को लागू होती है तथा उससे शोध्य ऋणों को वसूल किए जाने के लिए आगमों को लागू हो, प्रतिभूत आस्तियों को प्रवर्तित कर सकेगा, उनका आपन कर सकेगा, उनका निपटान कर सकेगा, उनके संबंध में समझौता या कार्रवाई कर सकेगा।

(5) यदि प्रतिभूत आस्ति का आपन करने के दौरान किसी प्रतिभूत लेनदार को प्रतिभूति का कब्जा लेने, उसका विक्रय या अन्यथा निपटारा करने में निगमित ऋणी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है तो प्रतिभूत लेनदार, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे प्रतिभूति हित का आपन करने के लिए प्रतिभूत लेनदार को सुकर बनाए जाने हेतु आवेदन कर सकेगा ।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (5) के अधीन प्रतिभूत लेनदार से कोई आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो प्रतिभूत लेनदार के लिए, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार प्रतिभूति हित के आपन के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है।

(7) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति हित के प्रवर्तन में आगमों के रूप में ऐसी रकम दी जानी है, जो प्रतिभूत लेनदार को देय ऋण से अधिक है तो प्रतिभूत लेनदार,—

(क) समापक को ऐसे अधिशेष का हिसाब देगा, और

(ख) ऐसी प्रतिभूत आस्तियों के प्रवर्तन से प्राप्त किन्हीं अधिशेष निधियों को समापक के समक्ष पेश करेगा ।

(8) ऐसे प्रतिभूत लेनदारों से, जिन्होंने इस धारा में उपबंधित रीति से अपने प्रतिभूत हितों को वसूल किया है, शोध्य दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत की रकम की ऐसे प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी वसूली के आगमों से कटौती की जाएगी और वे ऐसी रकमों को समापन संपदा में सम्मिलित किए जाने के लिए समापक को अंतरित करेंगे ।

(9) जहां प्रतिभूत आस्तियों की वसूली के आगम, प्रतिभूत लेनदार को दिए गए ऋणों का प्रतिदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां, समापक द्वारा ऐसे प्रतिभूत लेनदार के असंदत्त ऋणों का संदाय धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

53. आस्तियों का वितरण—(1) संसद् द्वारा या किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समापन सम्पदा आस्तियों के विक्रय के आगमों का निम्नलिखित पूर्विकता क्रम में और ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, वितरण किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) पूर्णत: संदत्त दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और समापन लागत;

(ख) निम्नलिखित ऋणों को, जिन्हें निम्नलिखित के बीच समान रूप से श्रेणीबद्ध किया जाएगा:—

(i) समापन प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व चौबीस मास की अवधि की कर्मकारों को देय राशि; और

(ii) किसी प्रतिभूत लेनदार को उधार दिए गए ऋण, उस दशा में जब ऐसे प्रतिभूत लेनदार ने धारा 52 में उपवर्णित रीति से प्रतिभूति का त्याग कर दिया है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) समापन प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व बारह मास की अवधि की कर्मकारों से भिन्न कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी और कोई असंदत्त देय राशि;

(घ) अप्रतिभूत लेनदारों को दिए गए वित्तीय ऋण; और

(ङ) निम्नलिखित शोध्य राशियों को निम्नलिखित के बीच समान रूप से श्रेणीकृत किया जाएगा:—

(i) समापन प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पूरे दो वर्ष की अवधि या उसके किसी भाग के संबंध में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को शोध्य कोई धनराशि, जिसके अन्तर्गत भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के लेखे में प्राप्त धनराशि भी है;

(ii) प्रतिभूत हित के प्रवर्तन के अनुसरण में किसी असंदत्त राशि के लिए किसी प्रतिभूत लेनदार को दिए गए ऋण;

(च) कोई अवशिष्ट ऋण और शोध्य;

(छ) अधिमानी शेयरधारक, यदि कोई हों; और

(ज) यथास्थिति, साधारण शेयरधारक या भागीदार ।

(2) उपधारा (1) के अधीन समतुल्य श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं के मध्य किसी संविदाजात करार को यदि उससे उस उपधारा के अधीन पूर्विकता के क्रम में कोई विच्छिन्नता आती है, समापक द्वारा महत्व नहीं दिया जाएगा ।

(3) समापक को संदेय फीस की उपधारा (1) के अधीन प्राप्तकर्ताओं के प्रत्येक वर्ग को संदेय आगमों से अनुपातत: कटौती की जाएगी और ऐसी कटौती के पश्चात् सुसंगत प्राप्तकर्ताओं को आगमों का वितरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि समतुल्य श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं के किसी वर्ग के संबंध में आगमों के वितरण का प्रत्येक प्रक्रम पर प्रत्येक ऋण का या तो पूर्णतया संदाय किया जाएगा या यदि आगम संपूर्ण वित्तीय ऋणों या प्रचालन ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तो प्राप्तकर्ताओं में समान वर्ग में समान अनुपात में संदत्त किया जाएगा; और

(ii) "कर्मकारों को शोध्य राशि" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 326 में उसका है ।

54. निगमित ऋणी का विघटन—(1) जहां निगमित ऋणी की आस्तियों का पूर्ण रूप से परिनिर्धारण कर दिया गया है, वहां समापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे निगमित ऋणी के विघटन के लिए आवेदन करेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन समापक द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर यह आदेश देगा कि उस आदेश की तारीख से निगमित ऋणी विघटित हो जाएगा और तदनुसार निगमित ऋणी का विघटन हो जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश की प्रति, ऐसे आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके पास निगमित ऋणी रजिस्ट्रीकृत है ।

अध्याय 4

त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

55. त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया—(1) इस अध्याय के अनुसार संपादित किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया कहा जाएगा ।

(2) त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित निगमित ऋणियों के संबंध में किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) किसी ऐसे स्तर से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, नीचे की आस्तियों और आय वाला निगमित ऋणी; या

(ख) लेनदारों के ऐसे वर्ग का या ऐसी रकम के ऋण वाला कोई निगमित ऋणी, जैसा केंन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए; या

(ग) निगमित व्यक्तियों का ऐसा अन्य प्रवर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

56. त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने संबंधी समयावधि—(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी ।

(2) समाधान वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को नब्बे दिन से परे त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन फाइल करेगा, यदि लेनदारों की समिति की बैठक में पारित और मतदान करने वाले शेयरों के पचहत्तर प्रतिशत मत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ऐसा करने के लिए अनुदेशित किया जाए ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले की विषय-वस्तु ऐसी है कि मामूली त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया नब्बे दिन के भीतर पूरी नहीं हो सकती है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी प्रक्रिया की अवधि को नब्बे दिन से ऐसी और अवधि तक बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझता है, किंतु जो पैंतालीस दिन से अधिक नहीं होगी:

परंतु इस धारा के अधीन त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का कोई विस्तार एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा ।

57. त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की रीति—त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी लेनदार या निगमित ऋणी द्वारा निम्नलिखित के साथ फाइल किया जा सकेगा:—

(क) व्यतिक्रम की विद्यमानता का ऐसा सबूत, जो सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य साधनों पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपलब्ध अभिलेख द्वारा साक्ष्यित है; और

(ख) ऐसी अन्य सूचना, जो बोर्ड द्वारा यह स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट की जाए कि निगमित ऋणी त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र है ।

58. अध्याय 2 का इस अध्याय को लागू होना—अध्याय 2 के अधीन किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन की प्रक्रिया और अध्याय 6 के अधीन अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध इस अध्याय को लागू होंगे, जैसे कि संदर्भ में अपेक्षित है ।

अध्याय 5

निगमित व्यक्तियों का स्वेच्छया समापन

59. निगमित व्यक्तियों का स्वेच्छया समापन—(1) कोई निगमित व्यक्ति, जिसका स्वयं का स्वेच्छया समापन का आशय है और उसने कोई व्यतिक्रम नहीं किया है, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन स्वेच्छया समापन कार्यवाहियां आरंभ कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी निगमित व्यक्ति की स्वेच्छया समापन में ऐसी शर्तों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी निगमित व्यक्ति की स्वेच्छया समापन कार्यवाहियों में निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) कंपनी के अधिकांश निदेशकों द्वारा ऐसे शपथपत्र द्वारा सत्यापित घोषणा, जिसमें यह कथन हो कि,—

(i) उन्होंने कंपनी के कार्यकलापों की पूरी जांच की है और उनकी यह राय है कि या तो कंपनी का कोई ऋण नहीं है या वह स्वेच्छया समापन में विक्रय की जाने वाली आस्तियों के आगमों से अपने संपूर्ण ऋणों को चुकाने में समर्थ है; और

(ii) कंपनी का, किसी व्यक्ति को कपटवंचन करने के लिए, समापन नहीं किया जा रहा है;

(ख) उपखंड (क) के अधीन की गई घोषणा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे:—

(i) पूर्ववर्ती दो वर्ष का या कंपनी के निगमन की अवधि से लेकर अब तक का, इनमें से जो भी कम हो, कंपनी के संपरीक्षित वित्तीय विवरण और उसके कारबार प्रचालन के अभिलेख; और

(ii) कंपनी की आस्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट, यदि कोई हो, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई हो;

(ग) उपखंड (क) के अधीन घोषणा करने के चार सप्ताह के भीतर,—

(i) कंपनी के साधारण अधिवेशन में उसके सदस्यों का ऐसा विशेष संकल्प होगा, जिसमें कंपनी के स्वेच्छया समापन किए जाने और समापन के रूप में कार्य करने के लिए एक दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति करने की अपेक्षा होगी; या

(ii) कंपनी के साधारण अधिवेशन में उसके सदस्यों का एक संकल्प होगा, जिसमें कंपनी के, यथास्थिति, उसके अनुच्छेदों द्वारा नियत उसके कार्यकाल की अवधि, यदि कोई हो, समाप्त होने के परिणामस्वरूप या कोई ऐसी घटना के घटित होने पर, जिसके संबंध में अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा, स्वेच्छया समापन करने की और समापक के रूप में कार्य करने के लिए एक दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति करने की अपेक्षा होगी:

परंतु यदि कंपनी किसी व्यक्ति के प्रति किसी ऋण की देनदार है, तो कंपनी के ऋण के दो-तिहाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदार ऐसे संकल्प के सात दिन के भीतर खंड (ग) के अधीन पारित संकल्प का अनुमोदन करेंगे ।

COURT BOOK

(4) कंपनी, यथास्थिति, ऐसे संकल्प के सात दिन के भीतर या लेनदारों के पश्चात्वर्ती अनुमोदन पर, कंपनी के समापन के लिए उपधारा (3) के अधीन संकल्प के बारे में कंपनी रजिस्ट्रार और बोर्ड को अधिसूचित करेगी ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लेनदारों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी के संबंध में स्वेच्छया समापन कार्यवाहियों को उपधारा (3) के उपखंड (ग) के अधीन संकल्प पारित किए जाने की तारीख से आरंभ हुआ समझा जाएगा ।

(6) अध्याय 3 की धारा 35 से धारा 53 और अध्याय 7 के उपबंध, निगमित व्यक्तियों को स्वेच्छया समापन कार्यवाहियों के लिए ऐसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक हों, लागू होंगे ।

(7) जहां निगमित व्यक्ति के कार्यकलापों का पूर्णतया परिसमापन हो गया है और उसकी आस्तियों का पूर्णतया परिनिर्धारण हो गया है, वहां समापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे निगमित व्यक्ति के विघटन के बारे में एक आवेदन करेगा ।

(8) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (7) के अधीन समापक द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर यह आदेश पारित करेगा कि निगमित ऋणी उस आदेश की तारीख से विघटित हो जाएगा और तद्नुसार निगमित ऋणी का विघटन कर दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश की एक प्रति, ऐसे आदेश की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके पास निगमित व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत है ।

अध्याय 6

निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

60. निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, निगमित व्यक्तियों, जिसके अंतगर्त निगमित ऋणी और उसके निजी प्रत्याभूतिदाता भी हैं, के दिवाला समाधान और समापन के सम्बन्ध में उस स्थान पर, जहां निगमित व्यक्ति का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण होगा ।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष किसी निगमित ऋणी की कोई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन कार्यवाहियां लंबित हैं, [1][वहां ऐसे निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निगमित प्रत्याभूतिदाता या निजी प्रत्याभूतिदाता का समापन या कोई दिवाला समाधान प्रक्रिया] या शोधन अक्षमता सम्बन्धी कार्यवाहियां, ऐसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष फाइल की जाएगी ।

(3) [2][निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निगमित प्रत्याभूतिदाता या निजी प्रत्याभूतिदाता की न्यायालय में लंबित समापन या दिवाला समाधन प्रक्रिया] या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, ऐसे निगमित ऋणी की दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन कार्यवाहियों का निपटारा करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अंतरित हो जाएगी ।

(4) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में ऋण वसूली अधिकरण की ऐसी सभी शक्तियां निहित होंगी, जो उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए इस संहिता के भाग 3 के अधीन अनुध्यात हैं ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को,—

(क) किसी निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी आवेदन या कार्यवाही को;

(ख) निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे को, जिसके अंतर्गत भारत में स्थित उसकी समनुषंगियों द्वारा या उनके विरुद्ध किए गए दावे भी हैं; और

(ग) पूर्विकता के किसी प्रश्न या विधि या तथ्यों के ऐसे किसी प्रश्न को, जो इस संहिता के अधीन निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति की दिवाला समाधान या समापन कार्यवाहियों से या उसके सम्बन्ध में उद्‌धृत हुआ है,

ग्रहण करने या उसके निपटारा करने की अधिकारिता होगी ।

(6) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निगमित ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध, जिसके लिए इस भाग के अधीन अधिस्थगन का आदेश पारित किया गया है, कोसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा की कालावधि की संगणना में ऐसी अवधि को अपवर्जित किया जाएगा, जिसके दौरान ऐसा अधिस्थगन हुआ था ।

61. अपीलें और अपील प्राधिकारी—(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस भाग के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

---

[1] 2018 के अधिनियम सं॰ 26 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं॰ 26 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK

(2) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी:

परन्तु यदि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह तीस दिन के पश्चात् अपील फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा, परन्तु ऐसी अवधि पन्द्रह दिन से अधिक की नहीं होगी ।

(3) धारा 31 के अधीन किसी समाधान योजना के अनुमोदन करने सम्बन्धी किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील निम्नलिखित आधारों पर ही फाइल की जा सकेगी,—

(i) अनुमोदित समाधान योजना में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है;

(ii) निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा शक्तियों के प्रयोग में तात्त्विक अनियमितता हुई है;

(iii) निगमित ऋणी के प्रचालन लेनदारों को दिए गए ऋणों का, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में समाधान योजना में उपबन्ध नहीं किया गया है;

(iv) दिवाला समाधान प्रक्रिया के खर्चे का अन्य सभी ऋणों को पूर्विकता देते हुए प्रतिसंदाय करने का उपबन्ध नहीं किया गया है; या

(v) समाधान योजना में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य मानदण्ड का अनुपालन नहीं किया गया है ।

(4) धारा 33 के अधीन पारित समापन आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे किसी समापन आदेश के सम्बन्ध में की गई तात्त्विक अनियमितता या कपट के आधार पर फाइल की जा सकेगी ।

62. उच्चतम न्यायालय को अपील—(1) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, इस संहिता के अधीन ऐसे आदेश से उद्भूत विधि के किसी प्रश्न पर, ऐसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(2) उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को पैंतालीस दिन के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उसे पन्द्रह दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

63. सिविल न्यायालय को अधिकारिता का न होना—किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिस पर इस संहिता के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अधिकारिता है, सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

64. आवेदनों का शीघ्र निपटारा—(1) जहां इस संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदन का निपटारा नहीं किया गया है या उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा न किए जाने के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा; और, यथास्थिति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का अध्यक्ष इस प्रकार अभिलिखित कारणों पर विचार करने के पश्चात् अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि को दस दिन से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(2) इस संहिता के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

65. कार्यवाहियों का कपटपूर्ण या विद्वेषपूर्ण रूप से शुरू किया जाना—(1) यदि कोई व्यक्ति, दिवाला का समाधान करने से भिन्न किसी प्रयोजन से कपटपूर्ण या विद्वेषपूर्ण आशय से, यथास्थिति, दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया आरंभ करता है तो, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कपटवंचित करने के आशय से स्वेच्छया समापन कार्यवाहियां आरंभ करता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी ।

66. कपटपूर्ण व्यापार या सदोष व्यापार—(1) यदि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि निगमित ऋणी का कोई कारबार, निगमित ऋणी के लेनदारों को कपटवंचित करने या कोई कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए किया जा रहा है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान वृत्तिक के आवेदन पर एक आदेश पारित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी रीति से कारबार चलाने वाले पक्षकारों को जानते थे, निगमित ऋणी की आस्तियों के लिए ऐसे अभिदाय करने के दायी होंगे, जो वह ठीक समझे ।

(2) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि निगमित ऋणी का, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार निगमित ऋणी की आस्तियों के लिए ऐसा अभिदाय करने के दायी होगा, जो वह ठीक समझे, यदि—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व ऐसे निदेशक या भागीदार को इस बात का पता था या उसे ऐसी बात का पता होना चाहिए था कि ऐसे निगमित ऋणी के सम्बन्ध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने से बचने की कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है;

(ख) ऐसे निदेशक या भागीदार ने निगमित ऋणी के लेनदारों की संभाव्य हानि को कम करने के लिए सम्यक् तत्परता का प्रयोग नहीं किया था ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निगमित ऋणी के निदेशक या भागीदार के बारे में सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया गया समझा जाएगा, यदि ऐसी तत्परता, वैसा ही कार्य, जो निगमित ऋणी के सम्बन्ध में, यथास्थिति, ऐसे निदेशक या भागीदार द्वारा किए जाते हैं, करने वाले किसी व्यक्ति से युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित होती ।

[1][(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यतिक्रम जिसके विरुध धारा 10क के अनुसार निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाना निलंबित किया गया है, के संबंध में उपधारा (2) के अधीन समाधान वृतिक द्वारा कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा ।]

67. धारा 66 के अधीन कार्यवाहियां—(1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने, यथास्थिति, धारा 66 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया है, वहां वह ऐसे और निदेश दे सकेगा, जो वह आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक समझे, और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी विशिष्टतया,—

(क) आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व का उपबन्ध कर सकेगा, जो निगमित ऋणी से उसे शोध्य किसी ऋण या बाध्यता पर या किसी बंधक या भार पर या किसी बंधक में किसी हित पर या निगमित ऋणी की, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या दायी व्यक्ति से या उसके माध्यम से समनुदेशिती के रूप में दावा करने वाले किसी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारित या उसमें निहित आस्तियों पर भार होगा; और

(ख) समय-समय पर ऐसे और निदेश दे सकेगा, जो इस धारा के अधीन अधिरोपित भार के प्रवर्तन के लिए आवश्यक हों ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "समनुदेशिती" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे या जिसके पक्ष में खंड (क) के अधीन दायी ठहराए गए व्यक्ति के निदेशों द्वारा ऋण, बाध्यता, बंधक या भार का सृजन हुआ था, जारी या अंतरित किया गया था या हित का सृजन हुआ था, किन्तु इसके अंतर्गत सद्भावपूर्वक और ऐसे किन्हीं आधारों की, जिनके आधार पर निदेश दिए गए हैं सूचना के बिना मूल्यवान प्रतिफल के लिए समनुदेशिती सम्मिलित नहीं है ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने, यथास्थिति, धारा 66 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में पारित किया है, जो निगमित ऋणी का लेनदार है, वहां वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि निगमित ऋणी द्वारा उस व्यक्ति से लिया गया कोई ऋण पूर्णतया या उसका कोई भाग और उस पर के किसी ब्याज को, निगमित ऋणी द्वारा लिए गए सभी ऋणों और उसके पश्चात् धारा 53 के अधीन संदाय की पूर्विकता के अनुक्रम में श्रेणीकृत किया जाएगा ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

68. सम्पत्ति को छिपाए जाने के लिए दण्ड—जहां निगमित ऋणी के किसी अधिकारी ने,—

(i) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक पूर्व बारह मास के भीतर,—

(क) जानबूझकर निगमित ऋणी की कोई सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति के किसी भाग को छिपाया या निगमित ऋणी के प्रति या उससे शोध्य दस हजार रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी ऋण को छिपाया; या

(ख) कपटपूर्वक निगमित ऋणी की दस हजार रुपए या उससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति के किसी भाग को हटाया; या

(ग) जानबूझकर, निगमित ऋणी की सम्पत्ति या उसके कार्यकलापों को प्रभावित करने वाली या उससे संबंधित किसी बही या कागजपत्रों को छिपाया, नष्ट किया, विकृत किया या उसका मिथ्याकरण किया, या

[1] 2020 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

(घ) जानबूझकर, निगमित ऋणी की सम्पत्ति या उसके कार्यकलापों सम्बन्धी किसी बही या कागजपत्र में कोई मिथ्या प्रविष्टि की; या

(ङ) कपटपूर्वक, निगमित ऋणी की सम्पत्ति या उसके कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले या उनसे सम्बन्धित किसी दस्तावेज को अलग किया, उसमें परिवर्तन या कोई लोप किया; या

(च) जानबूझकर, निगमित ऋणी की किसी ऐसी सम्पत्ति पर कोई प्रतिभूति हित का सृजन किया, उसका अन्तरण या व्ययन किया जो उसने उधार पर अभिप्राप्त की है और उसके ऐसे सृजन, अंतरण या व्ययन होने तक उसे निगमित ऋणी के कारबार के मामूली अनुक्रम में उसका संदाय नहीं किया गया है; या

(छ) जानबूझकर किसी अन्य के द्वारा खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङ) में उल्लिखित कृत्यों में से किन्हीं कृत्यों को करने की जानकारी छिपाई; या

(ii) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् किसी समय खंड (i) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में वर्णित कोई कृत्य किया या जिसे किसी अन्य के द्वारा खंड (i) के उपखंड (ग) से उपखंड (ङ) में से वर्णित बातों में किसी बात के करने की जानकारी है; या

(iii) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् किसी समय यह जानते हुए कि सम्पत्ति इस प्रकार प्रतिभूत है, उसका अन्तरण या व्ययन हो गया है, उसे पणयम् या गिरवी रखा या अन्यथा प्राप्त किया,

वहां ऐसा अधिकारी, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात, इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उसका निगमित ऋणी के कार्यकलापों की स्थिति को कपटवंचित करने या छिपाने का कोई आशय नहीं था।

69. लेनदारों को कपटवंचन करने के लिए संव्यवहारों के लिए दण्ड—[1][यदि] निगमित ऋणी के किसी अधिकारी ने या निगमित ऋणी ने,—

(क) निगमित ऋणी की सम्पत्ति का कोई दान या अन्तरण किया है या करावास है या उस पर कोई भार डाला है या डलवाया है या उसके विरुद्ध किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन करवाया है या उसकी मौनानुमति दी है, या

(ख) निगमित ऋणी के विरुद्ध अभिप्राप्त धन के संदाय के लिए किसी असंतुष्ट निर्णय, डिक्री या आदेश की तारीख से पहले दो मास के भीतर निगमित ऋणी की सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को छिपाया है या हटाया है,

तो, यथास्थिति, निगमित ऋणी का अधिकारी या निगमित ऋणी ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि, एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा यदि खंड (क) में वर्णित कार्य दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व पांच वर्ष पहले किए गए थे; या यदि वह यह साबित कर देता है कि उन कृत्यों को करते समय उसका निगमित ऋणी के लेनदारों को कपटवंचित करने का कोई आशय नहीं था।

70. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अवचार के लिए दण्ड—(1) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् जहां निगमित ऋणी का कोई अधिकारी,—

(क) समाधान वृत्तिक को निगमित ऋणी की सम्पत्ति के सभी ब्यौरे और उसके संव्यवहार के ऐसे ब्यौरे या ऐसी कोई अन्य जानकारी, जिसकी समाधान वृत्तिक अपेक्षा करे, प्रकट नहीं करता है; या

(ख) समाधान वृत्तिक को, निगमित ऋणी की सभी सम्पत्तियों या उनके ऐसे भाग का, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में है और जिसके परिदान की उससे अपेक्षा है, परिदान नहीं करता है; या

(ग) समाधान वृत्तिक को, निगमित ऋणी की उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में रखी सभी बहियों और कागजपत्रों का तथा जिनके परिदान की उससे अपेक्षा की गई है, परिदान नहीं करता है; या

(घ) समाधान वृत्तिक को उसकी जानकारी में इस बात की सूचना देने में असफल रहता है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण को मिथ्या रूप से साबित किया गया है; या

(ङ) निगमित ऋणी की सम्पत्ति या कार्यकलापों को प्रभावित करने वाली या उनसे सम्बन्धित किसी बही या कागज पत्र को प्रस्तुत करने से रोकता है; या

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) निगमित ऋणी की सम्पत्ति के किसी भाग के सम्बन्ध में काल्पनिक हानि या व्यय का हिसाब देता है या उसने दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक पहले बारह मास के भीतर निगमित ऋणी के लेनदारों की किसी बैठक में ऐसा प्रयास किया है,

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात, इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उसका निगमित ऋणी के कार्यकलापों की स्थिति के सम्बन्ध में कपटवंचित करने या छिपाने का कोई आशय नहीं था।

(2) यदि कोई दिवाला वृत्तिक जानबूझकर, इस भाग के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने का भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

71. निगमित ऋणी की बहियों के मिथ्याकरण के लिए दण्ड—दिवाला समाधान प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् जहां कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कपटवंचित या प्रवंचित करने के आशय से निगमित ऋणी की किन्हीं बहियों, कागजपत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट, विकृत, परिवर्तित या मिथ्याकरण करेगा या उसके किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करेगा या उसे ऐसा किए जाने की जानकारी है, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

72. निगमित ऋणी के कार्यकलापों से सम्बन्धित विवरणों में जानबूझकर और तात्त्विक लोप के लिए दण्ड—जहां निगमित ऋणी का कोई अधिकारी, निगमित ऋणी के कार्यकलापों से संबंधित किसी विवरण में कोई तात्त्विक और जानबूझकर लोप करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

73. लेनदारों को मिथ्या व्यपदेशन के लिए दण्ड—जहां निगमित ऋणी का कोई अधिकारी,—

(क) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् निगमित ऋणी के लेनदारों या उनमें से किसी की, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी के कार्यकलापों के संदर्भ में कोई करार करने के लिए सहमति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए मिथ्या व्यपदेशन करेगा या कोई कपट करेगा,

(ख) दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख से पहले उस प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या व्यपदेशन किया है या कोई कपट किया है,

वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

74. अधिस्थगन काल या समाधान योजना का उल्लंघन करने के लिए दण्ड—(1) जहां निगमित ऋणी या उसका कोई अधिकारी धारा 14 के उपबन्धों का अतिक्रमण करेगा, कोई ऐसा अधिकारी जो यह जानते हुए या जानबूझकर ऐसा उल्लंघन करेगा, ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जहां कोई लेनदार धारा 14 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तब ऐसा कोई व्यक्ति जो जानते हुए और जानबूझकर किसी लेनदार द्वारा ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां कोई निगमित ऋणी, उसके कोई अधिकारी या कोई लेनदार या कोई ऐसा व्यक्ति, जिस पर धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना बाध्यकारी है, जानते हुए या जानबूझकर ऐसी समाधान योजना के किसी निबंधन का अतिक्रमण करता है या ऐसे अतिक्रमण का दुष्प्रेरण करता है, वहां ऐसा निगमित ऋणी, अधिकारी, लेनदार या व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

75. आवेदन में दी गई मिथ्या सूचना के लिए दण्ड—जहां कोई व्यक्ति, धारा 7 के अधीन किए गए आवेदन में ऐसी सूचना देगा, जो तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या कोई तात्त्विक तथ्य देने में जानबूझकर लोप करेगा, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

76. प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद को प्रकट न करने या ऋण का [1][संदाय] न करने के लिए शास्ति—जहां—

(क) कोई प्रचालन लेनदार, जानते हुए या जानबूझकर धारा 9 के अधीन आवेदन में इस तथ्य को छिपाएगा कि निगमित ऋणी ने उसे असंदत्त प्रचालन ऋण से सम्बन्धित किसी विवाद की या असंदत्त प्रचालन ऋण के पूर्ण और अंतिम [1][संदाय] की सूचना दी थी; या

(ख) कोई व्यक्ति, जो जानते हुए और जानबूझकर खंड (क) के अधीन ऐसे छिपाव को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा,

यथास्थिति, ऐसा प्रचालन लेनदार या व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

77. निगमित ऋणी द्वारा किए गए आवेदन में मिथ्या सूचना देने के लिए दण्ड—जहां—

(क) कोई निगमित ऋणी धारा 10 के अधीन आवेदन में ऐसी सूचना देगा जो तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है जिसका मिथ्या होना वह जानता है या कोई तात्त्विक तथ्य देने में जानबूझकर लोप करेगा; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो यह जानते हुए और जानबूझकर उपखंड (क) के अधीन दी गई ऐसी सूचना को प्राधिकृत या अनुज्ञात करेगा,

वहां, यथास्थिति, ऐसा निगमित ऋणी या व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की कम की नहीं होगी किन्तु जो, पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के और धारा 75 और धारा 76 के प्रयोजन के लिए, निगमित ऋणी द्वारा फाइल किए गए आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है, यदि आवेदन में वर्णित या लोप किए गए तथ्य, यदि वे, यथास्थिति, सही होते या उनका आवेदन से लोप न किया गया होता तो वे इस संहिता के अधीन व्यतिक्रम की विद्यमानता का अवधारण करने के लिए पर्याप्त होते ।

भाग 3

व्यष्टियों और भागीदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता

अध्याय 1

प्रारम्भिक

78. लागू होना—यह भाग नए आरम्भ, व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के दिवाले और शोधन अक्षमता से सम्बन्धित मामलों को वहां लागू होगा जहां व्यतिक्रम की रकम एक हजार रुपए से कम नहीं है:

परन्तु केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, उच्चतर मूल्य के व्यतिक्रम की न्यूनतम रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

79. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित ऋण वसूली अधिकरण अभिप्रेत है;

(2) ऋणी का "सहचारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऋणी के ठीक निकट का कुटुम्ब का अंग है;

(ख) ऐसा व्यक्ति, जो ऋणी का नातेदार है या ऋणी के पति या पत्नी का नातेदार है;

(ग) ऐसा व्यक्ति, जो ऋणी की भागीदारी में है;

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी है या नातेदार है, जिसका ऋणी भागीदारी में है;

(ङ) ऐसा व्यक्ति, जो ऋणी का नियोजक है या ऋणी का कर्मचारी है;

(च) ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे न्यास का न्यासी है, जिसमें न्यास के हिताधिकारियों में कोई ऋणी सम्मिलित है या न्यास के निबंधन न्यासी को ऐसे शक्ति प्रदत्त करते हैं, जिसका ऋणी या ऋणी के किसी सहचारी के फायदे के लिए प्रयोग किया जा सके; और

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 31 द्वारा "प्रतिसंदाय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK

(छ) ऐसी कंपनी, जहां ऋणी या ऋणी के साथ उसके सहचारी, कंपनी की पचास प्रतिशत से अधिक शेयरपूंजी के स्वामी हैं या वे कंपनी के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति को नियंत्रित करते हैं।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संदर्भ में "नातेदार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति का नातेदार है, यदि,—

(i) वे हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं; या

(ii) एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सम्बन्धित है;

(3) "शोधन अक्षम व्यक्ति (दिवालिया)" से अभिप्रेत है,—

(क) ऐसा ऋणी, जिसे धारा 126 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश द्वारा शोधन अक्षम के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है,

(ख) जहां धारा 126 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश किसी फर्म के विरुद्ध किया गया है, वहां फर्म का प्रत्येक भागीदार; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कोई व्यक्ति;

(4) "शोधन अक्षमता" से शोधन अक्षम होने की दशा अभिप्रेत है;

(5) शोधन अक्षम व्यक्ति के सम्बन्ध में "शोधन अक्षमता ऋण" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख को उसके द्वारा लिया गया कोई ऋण;

(ख) ऐसा कोई ऋण, जिसके लिए वह शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् किन्तु शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख के पूर्व किए गए किसी वंव्यवहार के कारण उसके उन्मोचित होने के पूर्व दायी हो; और

(ग) कोई ऐसा ब्याज, जो धारा 171 के अधीन ऋण का भाग है;

(6) "शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 126 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा शोधन अक्षमता सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है;

(7) "शोधन अक्षमता आदेश" से धारा 126 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अभिप्रेत है;

(8) "शोधन अक्षमता आदेशिका" से इस भाग के अध्याय 4 और अध्याय 5 के अधीन किसी ऋणी के विरुद्ध कोई आदेशिका अभिप्रेत है;

(9) "शोधन अक्षमता न्यासी" से धारा 125 के अधीन शोधन अक्षम की संपदा के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त दिवाला वृत्तिक अभिप्रेत है;

(10) "अध्याय" से इस भाग के अधीन कोई अध्याय अभिप्रेत है;

(11) "लेनदारों की समिति" से धारा 134 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(12) "ऋणी" के अंतर्गत निर्णीतऋणी भी है;

(13) "उन्मोचन आदेश" से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी ऋणी को, यथास्थिति, धारा 92, धारा 119 और धारा 138 के अधीन उन्मोचित करने वाला आदेश अभिप्रेत है;

(14) इस भाग के प्रयोजनों के लिए "अपवर्जित आस्तियों" में निम्नलिखित शामिल हैं—

(क) अविल्लंगमित औजार, बहियां, यान और अन्य उपस्कर, जो ऋणी या शोधन अक्षम के लिए उसके वैयक्तिक उपयोग के लिए या उसके नियोजन, कारबार या व्यवसाय के लिए आवश्यक है;

(ख) अविल्लंगमित फर्नीचर, घरेलू उपस्कर और सामग्रियां, जो शोधन अक्षम और उसके अव्यवहित कुटुम्ब की मूल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है;

(ग) ऋणी या उसके अव्यवहित कुटुम्ब के कोई ऐसे मूल्य के, जो विहित किया जाए, अविल्लंगमित वैयक्तिक आभूषण, जिन्हें उसकी धार्मिक प्रथा के अनुसार अलग नहीं किया जा सकता है;

(घ) कोई अविल्लंगमित जीवन बीमा पालिसी या पेंशन योजना, जिसे ऋणी या उसके अव्यवहित कुटुम्ब के नाम से लिया गया है; और

(ङ) ऋणी के स्वामित्व में ऐसे मूल्य का, जो विहित किया जाए, कोई अविल्लंगमित एकल निवास एकक;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(15) "अपवर्जित ऋण" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने का दायित्व;

(ख) उपेक्षा, न्यूसेंस, कानूनी संविदात्मक या अन्य विधिक बाध्यता के भंग के लिए नुकसानी का संदाय करने का दायित्व;

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति को भरण-पोषण का संदाय करने का दायित्व;

(घ) किसी छात्र ऋण के सम्बन्ध में दायित्व; और

(ङ) कोई अन्य ऋण, जो विहित किया जाए;

(16) "फर्म" से भागीदारी में कारबार करने वाला व्यष्टिकों का निकाय अभिप्रेत है चाहे वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 59 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं;

(17) ऋणी का "अव्यवहित कुटुम्ब" से उसका पति या पत्नी, आश्रित बालक और आश्रित माता-पिता अभिप्रेत है;

(18) "भागीदारी ऋण" से कोई ऐसा ऋण अभिप्रेत है, जिसके लिए किसी फर्म में सभी भागीदार संयुक्त रूप से दायी हैं;

(19) "अर्हक ऋण" से कोई शोध्य रकम अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी परिनिर्धारित राशि के लिए ऋणी द्वारा या तो तुरंत या कतिपय भावी समय में किसी संविदा के अधीन ली गई रकमों के सम्बन्ध में ब्याज या कोई अन्य राशि शामिल है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं हैं—

(क) कोई अपवर्जित ऋण;

(ख) प्रतिभूत सीमा तक कोई ऋण; और

(ग) कोई ऐसा ऋण, जो नए सिरे से आरम्भ की प्रक्रिया के लिए आवेदन की तारीख से तीन मास पूर्व उपगत किया गया है;

(20) "प्रतिसंदाय योजना" से ऋणी द्वारा धारा 105 के अधीन समाधान वृत्तिक के परामर्श से तैयार योजना अभिप्रेत है जिसमें उसके ऋणों या कार्यों के पुनर्गठन के लिए लेनदारों की समिति के लिए प्रस्ताव अंतर्विष्ट है;

(21) "समाधान वृत्तिक" से दिवाला समाधान वृत्तिक अभिप्रेत है, जिसे नए सिरे से आरम्भ की प्रक्रिया या दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए समाधान वृत्तिक नियुक्त किया गया है;

(22) "अनुन्मोचित शोधन अक्षम" से कोई शोधन अक्षम अभिप्रेत है, जिसको धारा 138 के अधीन उन्मोचन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्याय 2

नए सिरे से आरम्भ की प्रक्रिया

80. आवेदन करने के लिए पात्रता—(1) कोई ऋणी, जो अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, इस अध्याय के अधीन अपने अर्हक ऋणों के उन्मोचन के लिए नए सिरे से प्रारम्भ करने के लिए आवेदन करने का पात्र होगा ।

(2) कोई ऋणी या तो वैयक्तिक रूप से या किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से इस अध्याय के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपने अर्हक ऋणों के सम्बन्ध में नए सिरे से आरम्भ के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि—

(क) ऋणी की समग्र वार्षिक आय साठ हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(ख) ऋणी की आस्तियों का समग्र मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(ग) अर्हक ऋणों का समग्र मूल्य पैंतीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(घ) वह अनुन्मोचित शोधन अक्षम नहीं है;

(ङ) इस बात का विचार किए बिना कि वह अविल्लंगमित है या नहीं, उसके स्वामित्वाधीन कोई निवास एकक नहीं है;

(च) उसके विरुद्ध कोई नए सिरे से आरम्भ की प्रक्रिया, दिवाला समाधान प्रक्रिया या शोधन अक्षमता प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है; और

COURT BOOK

(छ) उसके सम्बन्ध में नए सिरे से प्रारम्भ के लिए आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास में इस अध्याय के अधीन पूर्व में कोई नए सिरे से आरम्भ का आदेश नहीं किया गया है ।

81. नए सिरे से आरम्भ का आदेश करने के लिए आवेदन—(1) जब किसी ऋणी द्वारा धारा 80 के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो सभी ऋणों के सम्बन्ध में उक्त आवेदन फाइल करने की तारीख को एक अंतरिम अधिस्थगन प्रारम्भ होगा और वह, ऐसे आवेदन के, यथास्थिति, स्वीकार या अस्वीकार करने की तारीख को निष्प्रभावी हो जाएगा ।

(2) अंतरिम अधिस्थगन की अवधि के दौरान,—

(i) उसके किसी भी ऋण के सम्बन्ध में किसी लंबित विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाही को रोक दिया गया समझा जाएगा; और

(ii) कोई लेनदार ऐसे ऋण के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाहियां आरम्भ नहीं करेगा ।

(3) धारा 80 के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में होगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए ।

(4) उपधारा (3) के अधीन आवेदन में शपथपत्र द्वारा समर्थित कतिपय निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात्:—

(क) उक्त आवेदन की तारीख को ऋणी के सभी ऋणों की सूची के साथ प्रत्येक ऋण की रकम से सम्बन्धित ब्यौरे, उन पर संदेय ब्याज तथा लेनदारों का नाम, जिनके प्रति प्रत्येक ऋण देय है;

(ख) ऋणों पर संदेय ब्याज तथा उन पर संविदा में अनुबद्ध दर;

(ग) किसी भी ऋण के सम्बन्ध में धृत प्रतिभूति की सूची;

(घ) ऋणी और उसके अव्यवहित कुटुम्ब की, आवेदन की तारीख से दो वर्ष पूर्व तक की वित्तीय जानकारी;

(ङ) ऋणी के वैयक्तिक ब्यौरों की ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं;

(च) आवेदन करने के कारण;

(छ) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों की विशिष्टियां, जो ऋणी की जानकारी में उसके विरुद्ध आरम्भ की गई हैं;

(ज) इस बात की पुष्टि कि इस अध्याय के अधीन आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास में ऋणी के अर्हक ऋणों के सम्बन्ध में कोई पूर्ववर्ती नए सिरे से प्रारम्भ का आदेश नहीं किया गया है ।

82. समाधान वृत्तिक की नियुक्ति—(1) जहां धारा 80 के अधीन ऋणी द्वारा समाधान वृत्तिक के माध्यम से कोई आवेदन फाइल किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी बोर्ड को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर निदेश देगा और बोर्ड से इस बात की पुष्टि की वांछा करेगा कि ऐसे समाधान वृत्तिक, जिसने ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां नहीं हैं ।

(2) बोर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को लिखित में निम्नलिखित की संसूचना देगा—

(क) या तो समाधान वृत्तिक, जिसने उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाइल किया है, की नियुक्ति की पुष्टि की; या

(ख) या समाधान वृत्तिक, जिसने उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाइल किया है, की नियुक्ति को अस्वीकार करने की और नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त समाधान वृत्तिक को नामनिर्दिष्ट करने की ।

(3) जहां ऋणी द्वारा धारा 80 के अधीन स्वयं कोई आवेदन फाइल किया गया है और न कि किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी बोर्ड को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर नए सिरे से आरम्भ की प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक नामनिर्दिष्ट करने का निदेश देगा ।

(4) बोर्ड उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर समाधान वृत्तिक नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए या नामनिर्दिष्ट समाधान वृत्तिक की नियुक्ति का आदेश देगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समाधान वृत्तिक को नए सिरे से प्रारम्भ के लिए आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

83. समाधान वृत्तिक द्वारा आवेदन की परीक्षा—(1) समाधान वृत्तिक धारा, 80 के अधीन किए गए आवेदन की, उसकी नियुक्ति के दस दिन के भीतर, परीक्षा करेगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को या तो आवेदन को स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की सिफारिश की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में आवेदन में वर्णित रकमों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो समाधान वृत्तिक के मत में—

(क) अर्हक ऋण हैं; और

(ख) धारा 92 की उपधारा (3) के अधीन उन्मोचन के लिए पात्र दायित्व हैं।

(3) समाधान वृत्तिक आवेदन से संबद्ध ऐसी और सूचना या स्पष्टीकरण की मांग कर सकेगा जैसा ऋणी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षित हो, जो समाधान वृत्तिक के मत में ऐसी सूचना उपलब्ध करा सके।

(4) यथास्थिति, ऋणी या अन्य व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन अनुरोध की प्राप्ति के सात दिन के भीतर ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(5) समाधान वृत्तिक यह उपधारणा करेगा कि ऋणी आवेदन की तारीख को अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है, यदि—

(क) उसके मत में आवेदन में दी गई सूचना यह उपदर्शित करती है कि ऋणी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है और उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि दी गई सूचना गलत है या अपूर्ण है; और

(ख) उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऋणी की वित्तीय स्थितियों में आवेदन की तारीख से ऋणी को उसके ऋणों का संदाय करने में समर्थ बनाने वाला कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(6) समाधान वृत्तिक आवेदन को अस्वीकार कर देगा यदि उसके मत में—

(क) ऋणी धारा 80 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है; या

(ख) ऋणी द्वारा आवेदन में प्रकटित ऋण अर्हित ऋण नहीं हैं; या

(ग) ऋणी ने आवेदन में या प्रस्तुत दस्तावेजों या सूचना के सम्बन्ध में जानबूझकर कोई मिथ्या व्यपदेशन या लोप किया है।

(7) समाधान वृत्तिक, उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट में आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करेगा तथा रिपोर्ट की एक प्रति ऋणी को देगा।

84. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, समाधान वृत्तिक द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख से चौदह दिन के भीतर धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन को या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा।

(2) आवेदन को उपधारा (1) के अधीन स्वीकार करने के आदेश में उन रकमों का कथन किया जाएगा, जिन्हें समाधान वृत्तिक द्वारा अर्हक ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है और अन्य रकम, जो नए सिरे से प्रारंभ के आदेश के प्रयोजनों के लिए धारा 92 के अधीन उन्मोचन के लिए पात्र हैं।

(3) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ आवेदन की प्रति आवेदन में वर्णित लेनदारों को आदेश पारित करने के सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

85. आवेदन को स्वीकार करने का प्रभाव—(1) आवेदन को स्वीकार करने की तारीख को सभी ऋणों के सम्बन्ध में अधिस्थगन कालावधि प्रारम्भ हो जाएगी।

(2) अधिस्थगन कालावधि के दौरान—

(क) ऋण के सम्बन्ध में कोई लंबित विधिक कार्रवाई या विधिक कार्यवाही रोक दी गई समझी जाएगी; और

(ख) धारा 86 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लेनदार किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाही आरम्भ नहीं करेंगे।

(3) अधिस्थगन कालावधि के दौरान ऋणी—

(क) किसी कम्पनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा या किसी कम्पनी के संप्रवर्तन, गठन या प्रबन्धन में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: भाग नहीं लेगा;

(ख) अपनी किन्हीं आस्तियों का व्ययन नहीं करेगा या उनका अन्य संक्रामण नहीं करेगा;

(ग) अपने कारबार भागीदारों को सूचित करेगा कि वह नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(घ) उससे व्यष्टिक या संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मूल्य के वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार करने से पूर्व यह सूचित करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(ङ) उस नाम का प्रकटन करेगा जिसके अधीन वह कारबार संव्यवहार करता है, यदि वह नाम धारा 84 के अधीन स्वीकृत आवेदन से भिन्न है;

(च) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय भारत से बाहर यात्रा नहीं करेगा ।

(4) स्वीकार करने की तारीख से आरम्भ होने वाले एक सौ अस्सी दिन की कालावधि के समाप्ति पर अधिस्थगन समाप्त हो जाएगा, सिवाय तब जब धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया हो ।

86. लेनदार द्वारा आक्षेप और समाधान वृत्तिक द्वारा उनकी परीक्षा—(1) धारा 84 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश में वर्णित कोई लेनदार, जिसके प्रति अर्हक ऋण देय है, धारा 84 के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की कालावधि के भीतर केवल निम्नलिखित आधारों पर आक्षेप कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) किसी ऋण को अर्हक ऋण के रूप में समाविष्ट करना; या

(ख) धारा 84 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अर्हक ऋण के ब्यौरों का गलत होना ।

(2) कोई लेनदार उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक को आवेदन के माध्यम से आक्षेप फाइल कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन ऐसी सूचना और दस्तावेजों द्वारा समर्थित होगा जैसा विहित किया जाए ।

(4) समाधान वृत्तिक इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आक्षेप पर विचार करेगा ।

(5) समाधान वृत्तिक उपधारा (2) के अधीन आक्षेपों की परीक्षा करेगा और आवेदन की तारीख से दस दिन के भीतर या तो आक्षेपों को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा ।

(6) समाधान वृत्तिक किसी भी ऐसे विषय की परीक्षा कर सकेगा, जो उसे धारा 92 के प्रयोजनों के लिए अर्हक ऋणों की अंतिम सूची तैयार करने में सुसंगत प्रतीत हो ।

(7) उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन परीक्षा के आधार पर समाधान वृत्तिक—

(क) उन्मोचन आदेश के प्रयोजन के लिए अर्हक ऋणों की संशोधित सूची तैयार करेगा;

(ख) धारा 90 के अधीन निदेशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन करेगा; या

(ग) ऐसे अन्य उपाय करेगा, जिन्हें वह ऋणी के सम्बन्ध में आवश्यक समझता है ।

87. समाधान वृत्तिक के विनिश्चय के विरुद्ध आवेदन—(1) ऋणी या लेनदार, जो धारा 86 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय के दस दिन के भीतर निम्नलिखित में से किसी आधार पर ऐसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) कि समाधान वृत्तिक ने ऋणी या लेनदार को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान नहीं किया है; या

(ख) कि समाधान वृत्तिक ने विनिश्चय अन्य पक्षकार के साथ दुरभिसंधि से किया है; या

(ग) कि समाधान वृत्तिक ने धारा 86 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन का ऐसा आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर विनिश्चय करेगा और ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे ।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आवेदन को अनुज्ञात किया गया है, तब वह अपने आदेश को बोर्ड को अग्रेषित करेगा और बोर्ड समाधान वृत्तिक के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेगा, जो भाग 4 के अध्याय 6 के अधीन अपेक्षित हो ।

88. ऋणी के साधारण कर्तव्य—ऋणी—

(क) समाधान वृत्तिक को अपने कार्यों के सम्बन्ध में सभी सूचना उपलब्ध कराएगा, बैठकों में भाग लेगा और नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समाधान वृत्तिक के अनुरोधों का अनुपालन करेगा;

(ख) युक्तियुक्त रूप से यथासंभव शीघ्र निम्नलिखित से समाधान वृत्तिक को सूचित करेगा—

(i) समाधान वृत्तिक को आपूर्ति की कोई सूचना या दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई तात्त्विक त्रुटि या लोप; या

(ii) आवेदन की तारीख के पश्चात् वित्तीय परिस्थितियों में कोई परिवर्तन, जहां ऐसे परिवर्तन का नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव हो ।

COURT BOOK

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

89. समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन—(1) जहां ऋणी या लेनदार की राय यह है कि धारा 82 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है, वहां वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात दिन के भीतर समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन के लिए बोर्ड को निदेश करेगा ।

(3) बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से प्रतिनिर्देश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किसी ऐसे दिवाला वृत्तिक के नाम की सिफारिश करेगा, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित न हों ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दूसरे समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करेगा ।

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (4) के अधीन प्रतिस्थापित समाधान वृत्तिक को निम्नलिखित के सम्बन्ध में निदेश दे सकेगा—

(क) नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया के सम्बन्ध में नए समाधान वृत्तिक को सभी सूचना साझा करना; और

(ख) नए समाधान वृत्तिक के साथ, जो अपेक्षित हों सहयोग करना ।

90. निर्बंधनों आदि का अनुपालन करने के लिए निदेश—(1) समाधान वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निम्नलिखित किसी निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) ऋणी द्वारा अननुपालन की दशा में धारा 85 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं निर्बंधनों का अनुपालन; या

(ख) ऋणी द्वारा अननुपालन की दशा में धारा 88 में निर्दिष्ट ऋणी के कर्तव्यों का अनुपालन ।

(2) समाधान वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस अध्याय के अधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा, जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबन्ध नहीं किए गए हैं ।

91. आवेदन स्वीकार करने के आदेश का प्रतिसंहरण—(1) समाधान वृत्तिक निम्नलिखित आधारों पर धारा 84 के अधीन किए गए अपने आदेश के प्रतिसंहरण की ईप्सा करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) यदि ऋणी की वित्तीय परिस्थितियों में किसी परिवर्तन के कारण ऋणी नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया के लिए अपात्र हो गया है; या

(ख) ऋणी द्वारा धारा 85 की उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित निर्बंधनों का अननुपालन; या

(ग) यदि ऋणी ने असद्भावपूर्वक कार्य किया है और जानबूझकर इस अध्याय के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहा है ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन को स्वीकार करने का आदेश पारित करने पर अधिस्थगन और नए सिरे से प्रारम्भ की प्रक्रिया निष्प्रभावी हो जाएगी ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए इस धारा के अधीन पारित आदेश की प्रति बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी ।

92. उन्मोचन आदेश—(1) समाधान वृत्तिक, अर्हक ऋणों की अंतिम सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची को उसे अधिस्थगन कालावधि की समाप्ति से कम से कम सात दिन पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अधिस्थगन अवधि की समाप्ति पर उपधारा (1) के अधीन सूची में वर्णित अर्हक ऋणों से ऋणी को उन्मोचित करने के लिए अधिस्थगन कालावधि के अंत में एक उन्मोचन आदेश पारित करेगा ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणी को निम्नलिखित दायित्वों से उन्मोचित करेगा, अर्थात्:—

(क) आवेदन की तारीख से उन्मोचन आदेश की तारीख तक अर्हक ऋणों के सम्बन्ध में शास्तियों से;

(ख) अर्हक ऋणों के सम्बन्ध में आवेदन की तारीख से उन्मोचन आदेश की तारीख तक ब्याज से, जिसके अन्तर्गत दांडिक ब्याज भी है; और

(ग) आवेदन की तारीख से उन्मोचन आदेश की तारीख तक अर्हक ऋणों के सम्बन्ध में किसी संविदा के अधीन देय अन्य राशियां ।

(4) उन्मोचन आदेश, किसी ऋणी को किसी ऋण से, जिसे उपधारा (2) में शामिल नहीं किया गया है और किसी दायित्व से, जिसे उपधारा (3) के अधीन शामिल नहीं किया गया है, उन्मोचित नहीं करेगा ।

COURT BOOK

(5) उन्मोचन आदेश को, धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा ।

(6) उपधारा (2) के अधीन उन्मोचन आदेश, अर्हक ऋणों के सम्बन्ध में किसी दायित्व से किसी अन्य व्यक्ति को उन्मोचित नहीं करेगा ।

93. आचरण का स्तर—समाधान वृत्तिक, अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निष्पादन धारा 208 के अधीन उपबंधित आचार संहिता का अनुपालन करते हुए करेगा ।

अध्याय 3

दिवाला समाधान प्रक्रिया

94. ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आवेदन—(1) कोई ऋणी, जो व्यतिक्रम करता है, या तो वैयक्तिक रूप से या किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करके आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां ऋणी किसी फर्म में भागीदार है तो ऐसा ऋणी इस अध्याय के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को फर्म के सम्बन्ध में तब तक आवेदन नहीं करेगा जब तक कि फर्म में सभी भागीदार या भागीदारों का बहुमत संयुक्त रूप से आवेदन न करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन केवल उन ऋणों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाएगा, जो अपवर्जित ऋण नहीं हैं ।

(4) कोई ऋणी उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा यदि वह—

(क) अनुन्मोचित शोधन अक्षम है;

(ख) नए सिरे से आरम्भ की प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(ग) दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(घ) शोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहा है ।

(5) कोई ऋणी उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का पात्र नहीं होगा यदि इस अध्याय के अधीन कोई आवेदन किसी ऋणी के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान स्वीकार किया गया है ।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में होगा तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए ।

95. लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आवेदन—(1) कोई लेनदार या तो स्वयं या अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस धारा के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) कोई लेनदार उपधारा (1) के अधीन उसे देय ऋण के सम्बन्ध में निम्नलिखित के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आवेदन कर सकेगा—

(क) फर्म का कोई एक या अधिक भागीदार; या

(ख) फर्म ।

(3) जहां किसी फर्म में एक भागीदार के विरुद्ध कोई आवेदन किया गया है उसी फर्म में किसी अन्य भागीदार के विरुद्ध अन्य आवेदन को उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा या अंतरित किया जाएगा जिसके पास पहला वर्णित आवेदन न्यायनिर्णायक के लिए लंबित है और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आवेदनों के अधीन कार्यवाहियों के समेकन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह न्यायोचित समझे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ निम्नलिखित के सम्बन्ध में ब्यौरे और दस्तावेज होंगे,—

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन की तारीख को आवेदन प्रस्तुत कर रहे लेनदार या लेनदारों को ऋणी द्वारा देय ऋण;

(ख) मांग की सूचना की तामील से चौदह दिन की कालावधि के भीतर ऋणी द्वारा संदाय करने में असफलता; और

(ग) ऐसे व्यतिक्रम या ऋण का प्रतिसंदाय न किए जाने का सुसंगत साक्ष्य ।

(5) लेनदार उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्रति भी ऋणी को उपलब्ध कराएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में होगा तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए ।

(7) उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेज वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

96. अंतरिम अधिस्थगन—(1) जब धारा 94 या धारा 95 के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो—

(क) अंतरिम अधिस्थगन सभी ऋणों के सम्बन्ध में आवेदन की तारीख को प्रारम्भ होगा और ऐसे आवेदन को स्वीकार करने की तारीख को निष्प्रभावी हो जाएगा; और

(ख) अंतरिम अधिस्थगन कालावधि के दौरान—

(i) किसी ऋण के सम्बन्ध में लंबित कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाही रोक दी गई समझी जाएगी; और

(ii) ऋणी के लेनदार, किसी ऋण के सम्बन्ध में विधिक कार्रवाई या कार्यवाहियां संस्थित नहीं करेंगे ।

(2) जहां कोई आवेदन किसी फर्म के सम्बन्ध में किया गया है वहां उपधारा (1) के अधीन अंतरिम अधिस्थगन आवेदन की तारीख को फर्म के सभी भागीदारी के विरुद्ध प्रवर्तित होगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र विनियामक के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं ।

97. समाधान वृत्तिक की नियुक्ति—(1) यदि आवेदन धारा 94 या धारा 95 के अधीन किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से फाइल किया जाता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आवेदन की तारीख से सात दिन के भीतर बोर्ड को यह पुष्टि करने का निदेश देगा कि समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन निदेश की प्राप्ति के सात दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को लिखित में संसूचित करेगा कि—

(क) या तो उसने समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है; या

(ख) उसने समाधान वृत्तिक की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है और उसके स्थान पर दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए अन्य समाधान वृत्तिक को नामनिर्दिष्ट किया है ।

(3) जहां धारा 94 या धारा 95 के अधीन, यथास्थिति, ऋणी द्वारा या लेनदार द्वारा स्वयं और न कि किसी समाधान वृत्तिक के माध्यम से कोई आवेदन फाइल किया गया है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी बोर्ड को ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से सात दिन के भीतर दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक नामनिर्दिष्ट करने का निदेश देगा ।

(4) बोर्ड उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश को प्राप्त करने के दस दिन के भीतर समाधान वृत्तिक को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन सिफारिश किए गए या उपधारा (4) के अधीन बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करेगा ।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उपधारा (5) के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक को दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी ।

98. समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन—(1) जहां ऋणी या लेनदार की यह राय है कि धारा 97 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है तो वह ऐसे समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात दिन के भीतर बोर्ड को समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्देश करेगा ।

(3) बोर्ड उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से निर्देश की प्राप्ति के दस दिन के भीतर समाधान वृत्तिक जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं, के नाम की न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सिफारिश करेगा ।

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेनदार, जहां लेनदारों की बैठक में समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया जाता है वहां लेनदार प्रतिसंदाय योजना के कार्यान्वयन के लिए समाधान वृत्तिक को नए समाधान वृत्तिक से प्रतिस्थापित करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे ।

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन किसी आवेदन को स्वीकार करता है वहां वह बोर्ड को यह पुष्टि करने का निदेश देगा कि प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ।

(6) बोर्ड, उपधारा (5) के अधीन निदेश की प्राप्ति के दस दिन के भीतर निम्नलिखित की संसूचना देगा कि वह—

(क) या तो नामनिर्दिष्ट समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की पुष्टि करता है; या

(ख) नामनिर्दिष्ट समाधान वृत्तिक की नियुक्ति को अस्वीकार करता है और नए समाधान वृत्तिक की सिफारिश करता है ।

COURT BOOK

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन बोर्ड की संसूचना के आधार पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नए समाधान वृत्तिक की नियुक्ति का आदेश पारित करेगा ।

(8) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (7) के अधीन प्रतिस्थापित समाधान वृत्तिक को निदेश दे सकेगा कि वह—

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया के सम्बन्ध में नए समाधान वृत्तिक को सभी सूचनाएं साझा करे;

(ख) नए समाधान वृत्तिक के साथ ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, सहयोग करे ।

99. समाधान वृत्तिक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना—(1) समाधान वृत्तिक, यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन की अपनी नियुक्ति के दस दिन के भीतर परीक्षा करेगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को या तो आवेदन को स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहां धारा 95 के अधीन आवेदन फाइल किया गया है वहां समाधान वृत्तिक ऋणी को लेनदार द्वारा असंदत्त के रूप में दावा किए गए किसी ऋण के प्रतिसंदाय को सावित करने के लिए ऋणी से निम्नलिखित को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा—

(क) ऋणी के बैंक खाते से असंदत्त रकम के इलैक्ट्रोनिकी अंतरण का साक्ष्य;

(ख) ऋणी द्वारा जारी चैक के नकदीकरण का साक्ष्य; या

(ग) शोध्यों की प्राप्ति को स्वीकार करने की लेनदार द्वारा हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति ।

(3) जहां ऋण, जिनके लिए लेनदार द्वारा आवेदन फाइल किया गया है, सूचना उपयोगिता के पास रजिस्ट्रीकृत है, वहां ऋणी ऐसे ऋण की वैधता का विरोध करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) किसी आवेदन की जांच करने के प्रयोजनों के लिए समाधान वृत्तिक आवेदन से संबद्ध ऐसी और सूचना या स्पष्टीकरण की वांछा कर सकेगा जैसा ऋणी या लेनदार या किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षित हो, जो समाधान वृत्तिक के मत में ऐसी सूचना को उपलब्ध करा सके ।

(5) व्यक्ति, जिससे सूचना या स्पष्टीकरण की उपधारा (4) के अधीन वांछा की गई है, ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण को अनुरोध की प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(6) समाधान वृत्तिक आवेदन की परीक्षा करेगा और यह अभिनिश्चित करेगा कि—

(क) आवेदन धारा 94 या धारा 95 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता है;

(ख) आवेदक ने उपधारा (4) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई है और स्पष्टीकरण दे दिया हैं ।

(7) उपधारा (6) के अधीन आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात् वह अपनी रिपोर्ट में आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की सिफारिश कर सकेगा ।

(8) जहां समाधान वृत्तिक यह पाता है कि ऋणी अध्याय 2 के अधीन नए सिरे से प्ररम्भ के लिए पात्र है, वहां समाधान वृत्तिक यह सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि धारा 94 के अधीन ऋणी के आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 81 के अधीन आवेदन माना जाए ।

(9) समाधान वृत्तिक उपधारा (7) के अधीन रिपोर्ट में आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की सिफारिश करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(10) समाधान वृत्तिक उपधारा (7) के अधीन रिपोर्ट की प्रति, यथास्थिति, ऋणी या लेनदार को देगा ।

100. आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 99 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से चौदह दिन के भीतर उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन को या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन को स्वीकार करता है तो वह समाधान वृत्तिक के अनुरोध पर ऋणी और लेनदार के बीच बातचीत संचालित करने के प्रयोजन के लिए और कोई प्रतिसंदाय योजना बनाने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्रति समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट के साथ और, यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन को उक्त आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर लेनदारों को उपलब्ध कराएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) यदि, यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि आवेदन लेनदारों या समाधान वृत्तिक को कपटवंचित करने के आशय से किया गया था, तो उपधारा (1) के अधीन आदेश में यह अभिलिखित किया जाएगा कि लेनदार अध्याय 4 के अधीन शोधन अक्षमता के आदेश के लिए फाइल करने के लिए पात्र हैं।

101. अधिस्थगन—(1) जब धारा 100 के अधीन आवेदन को स्वीकार किया जाता है तब सभी ऋणों के सम्बन्ध में एक अधिस्थगन आरंभ होगा और वह उस आवेदन को स्वीकार करने की तारीख से आरम्भ होने वाली एक सौ अस्सी दिन की कालावधि की समाप्ति पर या उस तारीख को जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 114 के अधीन प्रतिसंदाय योजना के लिए आदेश पारित करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो निष्प्रभावी हो जाएगा।

(2) अधिस्थगन की अवधि के दौरान—

(क) किसी ऋण के सम्बन्ध में लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही को रोक दिया गया समझा जाएगा;

(ख) लेनदार किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाहियां आरम्भ नहीं करेंगे; और

(ग) ऋणी अपनी आस्तियों या अपने विधिक अधिकारों या उनमें फायदाप्रद हितों का अंतरण, अन्य संक्रामण, विल्लंगम या व्ययन नहीं करेगा।

(3) जहां किसी फर्म के सम्बन्ध में धारा 96 के अधीन आवेदन को स्वीकार करने का कोई आदेश किया गया है वहां उपधारा (1) के अधीन अधिस्थगन फर्म के सभी भागीदारों के विरुद्ध प्रवर्तित होगा।

(4) इस धारा के उपबन्ध ऐसे संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार वित्तीय क्षेत्र विनियामक के साथ परामर्श से अधिसूचित करे।

102. लोक सूचना और लेनदारों से दावे—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 100 के अधीन आदेश पारित करने के सात दिन के भीतर एक लोक सूचना जारी करेगा, जिसके द्वारा सभी लेनदारों से इस प्रकार सूचना जारी करने के इक्कीस दिन के भीतर दावे आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) आवेदन को स्वीकार करने के आदेश के ब्यौरे;

(ख) उस समाधान वृत्तिक की विशिष्टियां, जिसके पास दावे रजिस्ट्रीकृत किए जाने हैं; और

(ग) दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख।

(3) सूचना को—

(क) कम से कम एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा में उस राज्य में, जहां ऋणी निवास करता है, परिचालित समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा;

(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के परिसर में चस्पा किया जाएगा; और

(ग) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

103. लेनदारों द्वारा दावों का रजिस्ट्रीकरण—(1) लेनदार दावों के ब्यौरों को समाधान वृत्तिक के पास इलैक्ट्रोनिकी संचार या कूरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत पत्र के माध्यम से भेजकर रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावों के अतिरिक्त लेनदार समाधान वृत्तिक को वैयक्तिक सूचना और ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपलब्ध कराएगा।

104. लेनदारों की सूची तैयार करना—(1) समाधान वृत्तिक निम्नलिखित के आधार पर लेनदारों की सूची तैयार करेगा—

(क) यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 के अधीन ऋणी द्वारा फाइल किए गए आवेदन में प्रकटित सूचना;

(ख) धारा 102 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्राप्त किए गए दावे।

(2) समाधान वृत्तिक उपधारा (1) में वर्णित सूची को सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर तौयार करेगा।

105. प्रतिसंदाय योजना—(1) ऋणी समाधान वृत्तिक के परामर्श से उसके ऋणों या मामलों के पुनर्गठन के लिए लेनदारों को एक प्रस्ताव अंतर्विष्ट करते हुए एक प्रतिसंदाय योजना तैयार करेगा।

(2) प्रतिसंदाय योजना समाधान वृत्तिक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत या निम्नलिखित की उससे अपेक्षा कर सकेगी—

(क) ऋणी का कारबार या व्यापार उसकी ओर से या उसके नाम से करना; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) ऋणी की आस्तियों के प्रापण; या

(ग) ऋणी की किन्हीं निधियों का प्रशासन या निपटान ।

(3) प्रतिसंदाय योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसी प्रतिसंदाय योजना को तैयार करने का न्यायोचित्य तथा उस योजना के कारण, जिन पर लेनदार सहमत हो सकेंगे;

(ख) समाधान वृत्तिक को फीस का संदाय करने का उपबन्ध;

(ग) ऐसे अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

106. प्रतिसंदाय योजना पर समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट—(1) समाधान वृत्तिक धारा 105 के अधीन प्रतिसंदाय योजना को, ऐसी योजना पर अपनी रिपोर्ट के साथ धारा 102 के अधीन दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) प्रतिसंदाय योजना तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुपालन में है;

(ख) प्रतिसंदाय योजना को अनुमोदित किए जाने और कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; और

(ग) प्रतिसंदाय योजना पर विचार करने के लिए लेनदारों की एक बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता है :

परन्तु जहां समाधान वृत्तिक यह सिफारिश करता है कि लेनदारों की बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है तो उसके कारणों को बताया जाएगा ।

(3) यदि उसका यह मत है कि लेनदारों की बैठक बुलाई जानी चाहिए तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट, उस तारीख और समय तथा स्थान को भी विनिर्दिष्ट करेगी, जब बैठक आयोजित की जानी चाहिए ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए—

(क) वह तारीख, जिसको बैठक आयोजित की जाएगी, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से चौदह दिन से अन्यून और अट्ठाईस दिन से अधिक नहीं होगी;

(ख) समाधान वृत्तिक लेनदारों की बैठक की तारीख और स्थान नियत करते समय लेनदारों की सुविधा का भी ध्यान रखेगा ।

107. लेनदारों की बैठक बुलाना—(1) समाधान वृत्तिक लेनदारों की बैठक बुलाने के लिए ऐसी बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व सूचना जारी करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक धारा 104 के अधीन तैयार की गई लेनदारों की सूची को बैठक की सूचना भेजेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन भेजी गई सूचना में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पते का कथन होगा, जिसे प्रतिसंदाय योजना और प्रतिसंदाय योजना पर समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) प्रतिसंदाय योजना की प्रति;

(ख) ऋणी के कार्यों के विवरण की प्रति;

(ग) समाधान वृत्तिक की उक्त रिपोर्ट की प्रति; और

(घ) प्रोक्सी मतदान के रूप ।

(4) प्रोक्सी मतदान, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिकी प्रोक्सी मतदान भी है, ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति तथा रूप में होगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

108. लेनदारों की बैठक का संचालन—(1) लेनदारों की बैठक इस धारा और धारा 109, धारा 110 और धारा 111 के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी ।

(2) लेनदारों की बैठक में लेनदार प्रतिसंदाय योजना को अनुमोदित करने, उपांतरित करने या अस्वीकार करने का विनिश्चय कर सकेंगे ।

(3) समाधान वृत्तिक यह सुनिश्चित करेगा कि यदि लेनदारों द्वारा उपांतरणों का सुझाव दिया जाता है तो प्रत्येक उपांतरण के लिए ऋणी की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी ।

(4) समाधान वृत्तिक पर्याप्त कारण से लेनदारों की बैठक को किसी एक समय सात से अनधिक दिन की कालावधि के लिए स्थगित कर सकेगा ।

COURT BOOK

109. लेनदारों की बैठक में मतदान के अधिकार—(1) कोई लेनदार, उसे समनुदेशित मतदान शेयर के अनुसार प्रतिसंदाय योजना के सम्बन्ध में लेनदारों की प्रत्येक बैठक में मत देने का, हकदार होगा ।

(2) समाधान वृत्तिक, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रत्येक लेनदार को समनुदेशित किए जाने वाले मतदान शेयर का अवधारण करेगा ।

(3) कोई लेनदार किसी अपरिनिर्धारित रकम के लिए किसी ऋण के सम्बन्ध में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(4) कोई लेनदार लेनदारों की बैठक में मत देने का हकदार नहीं होगा, यदि वह—

(क) धारा 104 के अधीन लेनदारों की सूची में वर्णित लेनदार नहीं है; या

(ख) ऋणी का सहयुक्त है ।

110. प्रतिसंदाय योजना के सम्बन्ध में प्रतिभूत लेनदारों के अधिकार—(1) प्रतिभूत लेनदार लेनदारों की बैठक में भाग लेने और मत देने के हकदार होंगे ।

(2) कोई प्रतिभूत लेनदार, जो प्रतिसंदाय योजना के सम्बन्ध में लेनदारों की बैठक में भाग ले रहा है और मत दे रहा है, प्रतिसंदाय योजना के निबंधनों के अनुसार प्रतिसंदाय योजना की अवधि के दौरान प्रतिभूति को प्रवृत्त करने के अपने अधिकार को समपहृत कर देगा ।

(3) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूति के अधिकार को समपहृत नहीं करता है वहां वह लेनदारों की बैठक में निम्नलिखित का कथन करते हुए समाधान वृत्तिक को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा—

(क) प्रतिभूत लेनदार द्वारा मत देने का अधिकार केवल ऋण के अप्रतिभूत भाग के सम्बन्ध में है; और

(ख) ऋण के अप्रतिभूत भाग का प्राक्कलित मूल्य ।

(4) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार, प्रतिसंदाय योजना में मतदान करने में उपधारा (3) के अधीन शपथ-पत्र प्रस्तुत करके भाग लेता है, ऋण के प्रतिभूत और अप्रतिभूत भागों को पृथक् ऋणों के रूप में माना जाएगा ।

(5) प्रतिभूत लेनदार की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी, यदि वह प्रतिसंदाय योजना के लिए मतदान करने में भाग नहीं लेता है किन्तु प्रतिसंदाय योजना का कोई उपबन्ध उसके प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के अधिकार को प्रभावित करते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्रतिसंदाय योजना की अवधि" से धारा 114 के अधीन पारित आदेश की तारीख से उस तारीख तक की कालावधि अभिप्रेत है, जिसको समाधान वृत्तिक द्वारा, यथास्थिति, धारा 117 के अधीन सूचना दी जाती है या समाधान वृत्तिक द्वारा धारा 118 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ।

111. लेनदारों द्वारा प्रतिसंदाय योजना का अनुमोदन—प्रतिसंदाय योजना या प्रतिसंदाय योजना में किसी उपांतरण का अनुमोदन लेनदारों की बैठक में उपस्थित या प्रोक्सी के माध्यम से उपस्थित और किसी संकल्प पर मत देने वाले लेनदारों के मूल्य में तीन-चौथाई से अधिक बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

112. प्रतिसंदाय योजना के सम्बन्ध मे लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट—(1) समाधान वृत्तिक प्रतिसंदाय योजना के सम्बन्ध में लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा—

(क) क्या प्रतिसंदाय योजना को अनुमोदित किया गया था या अस्वीकृत किया गया था और यदि अनुमोदित किया गया था तो उपांतरणों की सूची, यदि कोई हो;

(ख) समाधान, जिनका बैठक में प्रस्ताव किया गया और ऐसे समाधानों पर विनिश्चय;

(ग) लेनदारों की सूची, जो बैठक में उपस्थित थे या जिनका प्रतिनिधित्व किया गया और लेनदारों की सभी बैठकों में प्रत्येक लेनदार के मतदान का अभिलेख; और

(घ) ऐसी सूचना, जिसे समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की जानकारी में लाने के लिए उपयुक्त समझे ।

113. लेनदारों की बैठक में किए गए विनिश्चयों की सूचना—समाधान वृत्तिक, धारा 99 के अधीन तैयार की गई लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट की प्रति निम्नलिखित को उपलब्ध कराएगा—

(क) ऋणी;

(ख) लेनदार, जिसके अंतर्गत वे लेनदार भी हैं जो बैठक में उपस्थित नहीं थे; और

(ग) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ।

114. प्रतिसंदाय योजना पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 112 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत लेनदारों की बैठक की रिपोर्ट के आधार पर किसी आदेश द्वारा प्रतिसंदाय योजना को अनुमोदित या नामंजूर करेगा:

परन्तु जहां लेनदारों की बैठक नहीं बुलाई गई है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान वृत्तिक द्वारा धारा 106 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगा ।

(2) प्रतिसंदाय योजना का अनुमोदन करने वाला न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश प्रतिसंदाय योजना को कार्यान्वित करने के लिए निदेश का भी उपबन्ध कर सकेगा ।

(3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह मत है कि प्रतिसंदाय योजना में उपांतरण अपेक्षित है तो वह समाधान वृत्तिक को प्रतिसंदाय योजना पर पुन: विचार करने के लिए लेनदारों की बैठक पुन: बुलाने का निदेश दे सकेगा ।

115. प्रतिसंदाय योजना पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश का प्रभाव—(1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा 114 के अधीन प्रतिसंदाय योजना का अनुमोदन किया गया है वहां ऐसी प्रतिसंदाय योजना—

(क) ऐसे प्रभावी होगी मानो वह बैठक में ऋणी द्वारा प्रस्तावित थी; और

(ख) उसमें वर्णित लेनदारों और ऋणी पर आबद्धकर होगी ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 114 के अधीन प्रतिसंदाय योजना को नामंजूर करता है वहां ऋणी और लेनदार दोनों अध्याय 4 के अधीन शोधन अक्षमता का आवेदन फाइल करने के हकदार होंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति बोर्ड को, धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

116. प्रतिसंदाय योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण—(1) धारा 97 या धारा 98 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक, प्रतिसंदाय योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रतिसंदाय योजना के अधीन उद्‌भूत किसी विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में निदेशों के लिए, यदि कोई हों, आवेदन कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के आधार पर समाधान वृत्तिक को निदेश जारी कर सकेगा ।

117. प्रतिसंदाय योजना का पूरा होना—(1) समाधान वृत्तिक, प्रतिसंदाय योजना के पूरा होने से चौदह दिन के भीतर उन व्यक्तियों को, जो धारा 115 के अधीन प्रतिसंदाय योजना से आबद्ध हैं तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित करेगा, अर्थात्:—

(क) एक सूचना कि प्रतिसंदाय योजना को पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) समाधान वृत्तिक द्वारा प्रतिसंदाय योजना के अनुसरण में सभी प्राप्तियां और किए गए संदाय और लेनदारों की बैठक में अनुमोदित प्रतिसंदाय योजना के साथ तुलना में ऐसी योजना के कार्यान्वयन की सीमा का संक्षिप्त विवरण देते हुए रिपोर्ट की एक प्रति ।

(2) समाधान वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उपधारा (1) में वर्णित कालावधि का सात दिन से अनधिक की ऐसी और कालावधि तक विस्तार करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

118. प्रतिसंदाय योजना का समयपूर्व समाप्त होना—(1) प्रतिसंदाय योजना समयपूर्व समाप्त हो गई मानी जाएगी यदि उसको प्रतिसंदाय योजना में यथावर्णित कालावधि के भीतर उससे आबद्ध सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

(2) जहां इस धारा के अधीन कोई प्रतिसंदाय योजना समयपूर्व समाप्त हो जाती है तो समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित कथन होगा—

(क) प्रतिसंदाय योजना के अनुसरण में प्राप्तियां और किए गए संदाय;

(ख) प्रतिसंदाय योजना की समयपूर्व सामप्ति के कारण; और

(ग) उन लेनदारों के ब्यौरे, जिनके दावों को पूर्णतया चुकाया नहीं गया है ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, समाधान वृत्तिक द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत इस रिपोर्ट के आधार पर कि प्रतिसंदाय योजना को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया गया है, एक आदेश पारित करेगा ।

COURT BOOK

(4) ऋणी या लेनदार, जिसके प्रतिसंदाय योजना के अधीन दावों को पूर्णतया चुकाया नहीं गया है, अध्याय 4 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ।

COURT BOOK

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 115 के अधीन प्रतिसंदाय योजना से आबद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित की प्रति अग्रेषित करेगा—

(क) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति; और

(ख) उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश ।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश की प्रति, बोर्ड को धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टियों को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए अग्रेषित करेगा ।

119. उन्मोचन आदेश—(1) समाधान वृत्तिक प्रतिसंदाय योजना के आधार पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रतिसंदाय योजना में वर्णित ऋणों के सम्बन्ध में उन्मोचन आदेश के लिए आवेदन करेगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसा उन्मोचन आदेश पारित कर सकेगा ।

(2) प्रतिसंदाय योजना में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध होगा—

(क) शीघ्र उन्मोचन; या

(ख) प्रतिसंदाय योजना के पूर्ण कार्यान्वियन पर उन्मोचन ।

(3) उन्मोचन आदेश, बोर्ड को, धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टियों को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए अग्रेषित किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन उन्मोचन आदेश किसी अन्य व्यक्ति को उसके ऋण के सम्बन्ध में किसी दायित्व से उन्मोचित नहीं करेगा ।

120. आचरण का स्तर—समाधान वृत्तिक, अपने कृत्यों और कर्तव्यों का पालन धारा 208 के अधीन उपबंधित आचार संहिता का अनुपालन करते हुए करेगा ।

अध्याय 4

व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए शोधन अक्षमता आदेश

121. शोधन अक्षमता के लिए आवेदन—(1) किसी ऋणी की शोधन अक्षमता के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन लेनदार द्वारा व्यष्टिक रूप से या अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या ऋणी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 100 की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है; या

(ख) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 115 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है; या

(ग) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 118 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है ।

(2) शोधन अक्षमता के लिए कोई आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन पारित आदेश की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर फाइल किया जाएगा ।

(3) जहां ऋणी कोई फर्म है वहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन उसके किसी भी भागीदार द्वारा फाइल किया जा सकेगा ।

122. ऋणी द्वारा आवेदन—(1) ऋणी द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे—

(क) भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के अभिलेख;

(ख) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन की तारीख को ऋणी के कार्यों का उस रूप और रीति में विवरण जैसा विहित किया जाए; और

(ग) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन शोधन अक्षमता के लिए ऋणी को आवेदन करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए पारित आदेश की प्रति ।

(2) ऋणी, शोधन अक्षमता के लिए आवेदन में किसी दिवाला वृत्तिक का, शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में प्रस्ताव कर सकेगा ।

(3) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ होगा जो विहित की जाए ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) ऋणी द्वारा शोधन अक्षमता के लिए किसी आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा ।

123. लेनदार द्वारा आवेदन—(1) लेनदार द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे—

(क) अध्याय 3 के अधीन की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के अभिलेख;

(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अध्याय 3 के अधीन शोधन अक्षमता के लिए लेनदार को आवेदन करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए पारित आदेश की प्रति;

(ग) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन की तारीख को लेनदार को ऋणी द्वारा देय ऋणों के ब्यौरे; और

(घ) ऐसी अन्य सूचना, जैसी विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे ऋण के सम्बन्ध में, जो प्रतिभूत है, आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे—

(क) लेनदार, जिसको प्रतिभूति को प्रवृत्त करने का अधिकार है, द्वारा एक कथन कि वह शोधन अक्षमता आदेश किए जाने की दशा में शोधन अक्षम के सभी लेनदारों के फायदे के लिए अपनी प्रतिभूति का त्याग कर देगा; या

(ख) लेनदार द्वारा निम्नलिखित का कथन करते हुए एक कथन—

(i) कि शोधन अक्षमता के लिए आवेदन केवल ऋण के अप्रतिभूत भाग के लिए ही है; और

(ii) कि ऋण के अप्रतिभूत भाग का प्राक्कलित मूल्य ।

(3) यदि कोई प्रतिभूत लेनदार शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करता है और उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन एक कथन प्रस्तुत करता है, तो ऋण के प्रतिभूत और अप्रतिभूत भागों को पृथक् ऋण माना जाएगा ।

(4) लेनदार किसी दिवाला वृत्तिक का शोधन अक्षमता आवेदन में शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में प्रस्ताव कर सकेगा ।

(5) मृतक ऋणी की दशा में उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता के लिए आवेदन उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध फाइल किया जा सकेगा ।

(6) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ होगा जो विहित किए जाएं ।

(7) लेनदार द्वारा शोधन अक्षमता के लिए किसी आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा ।

124. आवेदन का प्रभाव—(1) जब धारा 122 या धारा 123 के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो—

(क) आवेदन करने की तारीख को ऋणी की सभी सम्पत्तियों के विरुद्ध उसके ऋणों के सम्बन्ध में सभी कार्रवाइयों पर एक अंतरिम अधिस्थगन आरंभ होगा और ऐसा अधिस्थगन शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख को निष्प्रभावी हो जाएगा; और

(ख) अंतरिम अधिस्थगन की अवधि के दौरान—

(i) ऋणी की किसी सम्पत्ति के विरुद्ध उसके ऋणों के सम्बन्ध में कोई लंबित विधिक कार्रवाई या कार्यवाही को रोक दिया गया समझा जाएगा; और

(ii) ऋणी के लेनदार उसकी किसी सम्पत्ति के विरुद्ध किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाहियां आरम्भ करने के हकदार नहीं होंगे ।

(2) जहां कोई आवेदन किसी फर्म के सम्बन्ध में किया गया है वहां उपधारा (1) के अधीन अंतरिम अधिस्थगन आवेदन करने की तारीख को फर्म के सभी भागीदारों के विरुद्ध प्रवर्तित होगा ।

(3) इस धारा के उपबन्ध ऐसे संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे जो किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

125. शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति—(1) यदि किसी दिवाला वृत्तिक को धारा 122 या धारा 123 के अधीन शोधन अक्षमता आवेदन में शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में प्रस्तावित किया जाता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, शोधन अक्षमता के लिए आवेदन प्राप्त करने के सात दिन के भीतर बोर्ड को यह पुष्टि करने के लिए निदेश देगा कि ऐसे वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां नहीं हैं ।

(2) बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन निदेश की प्राप्ति के दस दिन के भीतर लिखित में या तो —

(क) प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्ति की पुष्टि करेगा; या

(ख) प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक की शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्ति को अस्वीकार कर देगा और अन्य शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा ।

COURT BOOK

(3) जहां धारा 122 या धारा 123 के अधीन ऋणी या लेनदार द्वारा शोधन अक्षमता न्यासी का प्रस्ताव नहीं किया जाता है वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी बोर्ड को आवेदन प्राप्त करने के सात दिन के भीतर शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी नामनिर्दिष्ट करने का निदेश देगा ।

(4) बोर्ड उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से निदेश प्राप्त करने से दस दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन पुष्ट या नामनिर्दिष्ट शोधन अक्षमता न्यासी को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 126 के अधीन अक्षमता आदेश में शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

126. शोधन अक्षमता आदेश—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 125 के अधीन शोधन अक्षमता का पुष्टिकरण या नामनिर्देशन प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर शोधन अक्षमता आदेश पारित करेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, शोधन अक्षम, लेनदारों और शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षमता आदेश पारित करने के सात दिन के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, अर्थात्:—

(क) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन की एक प्रति; और

(ख) शोधन अक्षमता आदेश की एक प्रति ।

127. शोधन अक्षमता आदेश की विधिमान्यता—न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 126 के अधीन पारित शोधन अक्षमता आदेश का ऋणी के धारा 138 के अधीन उन्मोचित होने तक प्रभावी होना जारी रहेगा ।

128. शोधन अक्षमता का प्रभाव—(1) धारा 126 के अधीन शोधन अक्षमता आदेश के पारित होने पर—

(क) शोधन अक्षम की संपदा, शोधन अक्षमता न्यासी में निहित होगी जैसा कि धारा 154 में उपबन्धित है;

(ख) शोधन अक्षम की संपदा को लेनदारों के बीच विभाजित किया जाएगा;

(ग) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शोधन अक्षम ऋण के रूप में दावा किए गए किसी ऋण के सम्बन्ध में ऋणग्रस्त शोधन अक्षम का कोई लेनदार,—

(i) ऐसे ऋण के सम्बन्ध में शोधन अक्षम की सम्पत्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं करेगा; या

(ii) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति और ऐसे निबंधनों पर के सिवाय जैसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अधिरोपित करे, प्रारम्भ नहीं करेगा ।

(2) धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शोधन अक्षमता आदेश किसी प्रतिभूत लेनदार के उसके प्रतिभूत हित प्रापण या उसी रीति में अन्यथा व्यौहार करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जिसका वह हकदार होता यदि शोधन अक्षमता आदेश पारित नहीं किया गया होता:

परन्तु कोई प्रतिभूत लेनदार अपने ऋण के सम्बन्ध में किसी ब्याज का शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् हकदार नहीं होगा यदि वह उक्त तारीख से तीस दिन के भीतर प्रतिभूति के प्रापण के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है ।

(3) जहां धारा 126 के अधीन किसी फर्म के विरुद्ध कोई शोधन अक्षमता आदेश पारित किया गया है वहां आदेश ऐसे प्रवर्तित होगा मानो वह प्रत्येक व्यष्टि, जो आदेश की तारीख को फर्म का भागीदार है, के विरुद्ध किया गया शोधन अक्षमता आदेश है ।

(4) उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार वित्तीय क्षेत्र विनियामक के परामर्श से अधिसूचित करे ।

129. वित्तीय स्थिति का विवरण—(1) जहां धारा 123 के अधीन किसी लेनदार द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन पर शोधन अक्षमता आदेश पारित किया गया है वहां शोधन अक्षम अपनी वित्तीय स्थिति का विवरण शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख से सात दिन के भीतर देगा ।

(2) वित्तीय स्थिति का विवरण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जाएगा जैसी विहित की जाए ।

(3) जहां शोधन अक्षम कोई फर्म है वहां शोधन अक्षमता आदेश की तारीख को उसके भागीदार फर्म के वित्तीय स्थिति का एक संयुक्त विवरण प्रस्तुत करेंगे और फर्म का प्रत्येक भागीदार उसके साथ अपनी वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षम या किसी अन्य व्यक्ति से लिखित में वित्तीय स्थिति के विवरण में अंतर्विष्ट सूचना को स्पष्ट करने या किसी विषय को उपांतरित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

130. लेनदारों से दावे आमंत्रित करने वाली लोक सूचना—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी—

(क) लेनदारों को, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से दस दिन के भीतर निम्नलिखित में उल्लिखित सूचनाएं भेजेगा—

(i) धारा 129 के अधीन शोधन अक्षम द्वारा प्रस्तुत कार्यकलापों का विवरण, या

(ii) धारा 122 के अधीन शोधन अक्षम द्वारा प्रस्तुत किया गया शोधन अक्षमता के लिए आवेदन;

(ख) लेनदारों से दावे आमंत्रित करने वाली लोक सूचना जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन लोक सूचना में वह अंतिम तारीख, जिस तक दावे प्रस्तुत किए जाएंगे और ऐसे अन्य विषय और ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे और—

(क) कम से कम एक अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के प्रमुख समाचारपत्र में, जो उस राज्य में पर्याप्त संख्या में परिचालित किया जाता है, जहां पर शोधन अक्षम निवास करता है, प्रकाशित की जाएगी;

(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के परिसर पर लगाई जाएगी; और

(ग) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट लेनदारों के लिए सूचना में ऐसे विषय और ब्यौरे सम्मिलित होंगे, जो विहित किए जाएं ।

131. दावों का रजिस्ट्रीकरण—(1) लेनदार, लोक सूचना के प्रकाशन के सात दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी को दावों के ब्यौरे ऐसी रीति में भेजकर, जो विहित की जाए, शोधन अक्षमता न्यासी के पास दावे रजिस्टर करेंगे ।

(2) लेनदार, अपने दावों के ब्यौरों के अतिरिक्त, ऐसी अन्य सूचना और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपलब्ध कराएगा ।

132. लेनदारों की सूची तैयार करना—शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से चौदह दिन के भीतर, निम्नलिखित आधार पर शोधन अक्षम के लेनदारों की सूची तैयार करेगा—

(क) धारा 118 के अधीन शोधन अक्षम द्वारा शोधन अक्षमता के लिए फाइल किए गए आवेदन में शोधन अक्षम द्वारा प्रकटित सूचना और धारा 125 के अधीन फाइल किए गए गए कार्यकलापों का विवरण; और

(ख) धारा 130 की उपधारा (2) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा प्राप्त दावे ।

133. लेनदारों की बैठक बुलाना—(1) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर धारा 132 के अधीन तैयार की गई सूची में यथा उल्लिखित शोधन अक्षम के प्रत्येक लेनदार को, लेनदारों की बैठक बुलाने के लिए सूचना जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचनाओं में,—

(क) लेनदारों की बैठक की तारीख का कथन होगा जो शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से इक्कीस दिन के पश्चात् की नहीं होगी;

(ख) सूचनाओं के साथ प्रोक्सी मतदान के प्ररूप संलग्न होंगे;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करेंगे जिसमें प्रोक्सी मतदान किया जा सकेगा ।

(3) प्रोक्सी मतदान, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक प्रोक्सी मतदान भी है ऐसी रीति और प्ररूप में किया जाएगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

134. लेनदारों की बैठक का संचालन—(1) धारा 133 के अधीन बुलाई गई लेनदारों की बैठक का संयोजक शोधन अक्षमता न्यासी होगा ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की बैठक के लिए गणपूर्ति का विनिश्चय करेगा और बैठक केवल तभी संचालित करेगा यदि गणपूर्ति उपस्थित है ।

(3) लेनदारों की बैठक में निम्नलिखित कारबार किया जाएगा जिस सम्बन्ध में निम्नलिखित एक संकल्प पारित किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) लेनदारों की समिति की स्थापना;

(ख) कोई अन्य कारबार जिसे शोधन अक्षमता न्यासी संव्यवहार किए जाने के लिए ठीक समझे ।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की बैठक के कार्यवृत्त को अभिलिखित कराएगा, उस पर हस्ताक्षर कराएगा और उसे शोधन अक्षमता प्रक्रिया के अभिलेखों के भाग के रूप में प्रतिधारित करेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) शोधन अक्षमता न्यासी किसी भी प्रयोजन के लिए लेनदारों की बैठक को एक बार में सात दिन से अधिक के लिए स्थगित नहीं करेगा ।

COURT BOOK

135. लेनदारों के मतदान अधिकार—(1) धारा 132 के अधीन सूची में उल्लिखित प्रत्येक लेनदार या उसका प्रोक्सी, उसे समनुदेशित मतदान शेयर के अनुसार लेनदारों की बैठक में संकल्पों की बाबत मतदान करने के लिए हकदार होगा ।

(2) समाधान वृत्तिक, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रत्येक लेनदार को समनुदेशित किए जाने वाले मतदान शेयर का अवधारण करेगा ।

(3) लेनदार किसी अपरिनिर्धारित रकम के लिए ऋण की बाबत मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) निम्नलिखित लेनदार इस धारा के अधीन मतदान करने के लिए हकदार नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे लेनदार जो धारा 132 के अधीन लेनदारों की सूची में उल्लिखित नहीं हैं और ऐसे लेनदार जिन्हें शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा सूचना नहीं दी गई है;

(ख) ऐसे लेनदार जो शोधन अक्षम के सहयुक्त हैं ।

136. शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन और वितरण—शोधन अक्षमता न्यासी अध्याय 5 के उपबन्धों के अनुसार शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन करेगा और उसका वितरण करेगा ।

137. प्रशासन का पूरा किया जाना—(1) शोधन अक्षमता न्यासी अध्याय 5 के उपबन्धों के अनुसार शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन तथा वितरण के पूरे किए जाने पर लेनदारों की समिति की बैठक बुलाएगा ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी उक्त समिति की बैठक में शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन की रिपोर्ट लेनदारों की समिति को उपलब्ध कराएगा ।

(3) लेनदारों की समिति रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उपधारा (2) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन करेगा और यह अवधारित करेगा कि क्या धारा 148 के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी को निर्मुक्त किया जाना चाहिए या नहीं ।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी, संपदा के प्रशासन के दौरान इस धारा के अधीन अपेक्षित बैठक आहूत करने और उसके संचालन के खर्चों को पूरा करने के लिए शोधन अक्षम की संपदा से पर्याप्त धनराशि प्रतिधारित करेगा ।

138. उन्मोचन आदेश—(1) शोधन अक्षमता न्यासी—

(क) शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के समाप्त होने पर; या

(ख) जहां ऐसा अनुमोदन खंड (क) में उल्लिखित अवधि से पूर्व प्राप्त किया जाता है, वहां धारा 137 के अधीन शोधन अक्षम की संपदाओं के प्रशासन के पूरे किए जाने के लेनदारों की समिति के अनुमोदन के सात दिन के भीतर,

उन्मोचन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा किए गए आवेदन पर उन्मोचन आदेश पारित करेगा ।

(3) उन्मोचन आदेश की प्रति धारा 196 में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी ।

139. उन्मोचन का प्रभाव—धारा 138 की उपधारा (2) के अधीन उन्मोचन आदेश शोधन अक्षम व्यक्ति को सभी शोधन अक्षमता ऋणों से निर्मुक्त करेगा:

परन्तु ऐसा उन्मोचन—

(क) शोधन अक्षमता न्यासी के कृत्यों को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ख) भाग 3 के अध्याय 4 और अध्याय 5 के उपबन्धों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ग) शोधन अक्षम व्यक्ति को किसी ऐसे ऋण से निर्मुक्त नहीं करेगा, जो किसी ऐसे कपट या न्यास-भंग के कारण उपगत हुआ था, जिसका वह पक्षकार था; या

(घ) शोधन अक्षम व्यक्ति को किसी अपवर्जित ऋण से उन्मोचित नहीं करेगा ।

140. शोधन अक्षम की निरर्हता—(1) शोधन अक्षम, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से इस धारा में उल्लिखित निरर्हताओं के अध्यधीन होगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी निरर्हता के अतिरिक्त शोधन अक्षम—

(क) किसी न्यास, संपदा या बंदोबस्त के सम्बन्ध में न्यासी या प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होने से या कार्य करने से;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) लोक सेवक के रूप में नियुक्त होने या कार्य करने से;

(ग) जहां ऐसे पद के लिए नियुक्ति निर्वाचन द्वारा की जाती है वहां किसी लोक पद पर निर्वाचित होने से; और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या पदासीन होने या मतदान करने से ।

निरर्हित होगा ।

(3) कोई निरर्हता, जिससे शोधन अक्षम इस धारा के अध्यधीन हो सकेगा, प्रभाव में नहीं रहेगी, यदि—

(क) धारा 142 के अधीन उसके विरुद्ध शोधन अक्षमता आदेश को उपांतरित किया या वापस लिया जाता है; या

(ख) उसे धारा 138 के अधीन उन्मोचित कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लोक सेवक" पद का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में है ।

141. शोधन अक्षम पर निर्बंधन—(1) कोई शोधन अक्षम, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से,—

(क) किसी कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा या कंपनी के संवर्धन या उसके बनाए जाने या प्रबंधन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग नहीं लेगा या उससे सम्बद्ध नहीं होगा;

(ख) शोधन अक्षमता न्यासी की पूर्व मंजूरी के बिना, अपनी संपदा पर कोई प्रभार या कोई अतिरिक्त ऋण सृजित करने से प्रतिषिद्ध किया जाएगा;

(ग) अपने कारबार भागीदारों को यह सूचित करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(घ) ऐसे मूल्य के किसी वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार करने से पूर्व, जो विहित किया जाए, ऐसे संव्यवहार में अंतर्वलित सभी पक्षकारों को या तो व्यष्टिक रूप से या संयुक्त रूप से यह सूचित करेगा कि वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(ङ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना शोधन अक्षमता ऋणों के सम्बन्ध किसी विधिक कार्रवाई या कार्यवाहियों को चलाने में अक्षम होगा; और

(च) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना विदेश यात्रा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई ऐसा निर्बंधन जिससे इस धारा के अधीन कोई शोधन अक्षम ग्रस्त हो सकेगा प्रभाव में नहीं रहेगा, यदि—

(क) धारा 142 के अधीन उसके विरुद्ध शोधन अक्षमता आदेश उपांतरित या वापस ले लिया जाता है; या

(ख) उसे धारा 138 के अधीन उन्मोचित कर दिया गया है ।

142. शोधन अक्षमता आदेश का उपांतरण या वापस लिया जाना—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी आवेदन पर या स्वप्रेरणा से शोधन अक्षमता आदेश को उपांतरित कर सकेगा या वापस ले सकेगा चाहे शोधन अक्षम उन्मोचित किया गया है या नहीं, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि—

(क) ऐसे आदेश को देखने से ही प्रकट त्रुटि विद्यमान है; या

(ख) शोधन अक्षमता ऋण और शोधन अक्षमता के खर्च इन दोनों का ही शोधन अक्षमता आदेश किए जाने के पश्चात् या तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में पूर्णत: संदाय कर दिया गया है या प्रतिभूत कर दिया गया है ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी शोधन अक्षमता आदेश को उपांतरित करता है या वापस लेता है वहां शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा किए गए सम्पत्ति के किसी विक्रय या अन्य व्ययन, संदाय या सम्यक्त: की गई अन्य बातें इसके सिवाय विधिमान्य होंगी कि शोधन अक्षम की सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति में निहित हो जाएगी जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नियुक्त करे या ऐसी किसी नियुक्ति के व्यतिक्रम में ऐसे निबंधनों पर शोधन अक्षम को प्रतिवर्तित कर देगा जैसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निदेश दे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति धारा 191 में निर्दिष्ट रजिस्टर में कोई प्रविष्टि अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आदेश का उपांतरण या वापस लिया जाना सभी लेनदारों को वहां तक आबद्धकर बनाएगा जहां तक उनका सम्बन्ध उनको देय किसी ऐसे ऋण से है जो शोधन अक्षमता का भागरूप है ।

143. आचरण का स्तर—शोधन अक्षमता न्यासी धारा 208 के अधीन उपबंधित आचार संहिता के अनुपालन में अपने कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

COURT BOOK

144. शोधन अक्षमता न्यासी की फीस—(1) शोधन अक्षमता प्रक्रिया संचालित करने के लिए नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी ऐसी फीस प्रभारित करेगा जो शोधन अक्षम की सम्पत्ति के मूल्य के अनुपात में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संचालन के लिए शोधन अक्षमता न्यासी को फीस धारा 178 में उपबंधित रीति में शोधन अक्षम की संपदा के वितरण से संदत्त की जाएगी ।

145. शोधन अक्षमता न्यासी का प्रतिस्थापन—(1) जहां लेनदारों की समिति की यह राय है कि शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय धारा 125 के अधीन नियुक्त किसी शोधन अक्षमता न्यासी को प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है तो वह उसे इस धारा के अधीन उपबन्धित रीति में किसी अन्य शोधन अक्षमता न्यासी से प्रतिस्थापित कर सकेगी ।

(2) लेनदारों की समिति, किसी बैठक में मतदान करने वाले शेयर के पचहत्तर प्रतिशत मत द्वारा धारा 125 के अधीन नियुक्त किसी शोधन अक्षमता न्यासी को किसी अन्य शोधन अक्षमता न्यासी से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव कर सकेगी ।

(3) लेनदारों की समिति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को शोधन अक्षमता न्यासी के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर बोर्ड को शोधन अक्षमता न्यासी के प्रतिस्थापन हेतु सिफारिश करने के लिए निदेश देगा ।

(5) बोर्ड उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निदेश के दस दिन के भीतर ऐसे शोधन अक्षमता न्यासी की, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं, प्रतिस्थापन के लिए सिफारिश करेगा ।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसी सिफारिश प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर उपधारा (5) के अधीन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करेगा ।

(7) पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी उपधारा (6) के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी को उसकी नियुक्ति की तारीख को शोधन अक्षम की संपदा का कब्जा परिदत्त करेगा ।

(8) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी को यह निदेश दे सकेगा कि वह—

(क) शोधन अक्षमता प्रक्रिया के सम्बन्ध में नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सभी सूचना साझा करे; और

(ख) ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सहयोग करे ।

(9) इस धारा के अधीन प्रतिस्थापित पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी धारा 148 के उपबन्धों के अनुसार निर्मुक्त किया जाएगा ।

(10) इस धारा के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी अपनी नियुक्ति के सात दिन के भीतर शोधन अक्षम को अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

146. शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा रजिस्ट्रीकरण—(1) शोधन अक्षमता न्यासी त्यागपत्र दे सकेगा, यदि—

(क) वह दिवाला वृत्तिक के रूप में व्यवसाय न करने का आशय रखता है; या

(ख) हित का विरोध है या वैयक्तिक परिस्थितियों में परिवर्तन है जो शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में उसे, उसके कर्तव्यों का अतिरिक्त निर्वहन करने से प्रवारित करता है ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, शोधन अक्षमता न्यासी के त्यागपत्र की स्वीकृति के सात दिन के भीतर उसके प्रतिस्थापन के लिए बोर्ड को निदेश देगा ।

(3) बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निदेश के दस दिन के भीतर किसी अन्य शोधन अक्षमता न्यासी की प्रतिस्थापना के रूप में सिफारिश करेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, सिफारिश की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करेगा ।

(5) प्रतिस्थापित शोधन अक्षमता न्यासी उपधारा (4) के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी को उसकी नियुक्ति की तारीख को शोधन अक्षम की सम्पत्ति का कब्जा देगा ।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी शोधन अक्षमता न्यासी, जिसने त्यागपत्र दिया है, को—

(क) वह शोधन अक्षमता प्रक्रिया की बाबत नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सभी सूचनाएं साझा करने; और

(ख) ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ, सहयोग करने,

के निदेश दे सकेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(7) इस धारा के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी, लेनदारों की समिति को और शोधन अक्षम को अपनी नियुक्ति के सात दिन के भीतर अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

(8) इस धारा के अधीन प्रतिस्थापित शोधन अक्षमता न्यासी धारा 148 के उपबन्धों के अनुसार निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

147. शोधन अक्षमता न्यासी के पद की रिक्ति—(1) यदि शोधन अक्षमता न्यासी के पद पर उसके प्रतिस्थापन या त्यागपत्र से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति होती है तो वह रिक्ति इस धारा के उपबन्धों के अनुसार भरी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिक्ति के होने की दशा में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, शोधन अक्षमता न्यासी के प्रतिस्थापन के लिए बोर्ड को निदेश देगा ।

(3) बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निदेश के दस दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी की प्रतिस्थापन के रूप में सिफारिश करेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, सिफारिश प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करेगा ।

(5) पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी उपधारा (4) के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी को उसकी नियुक्ति की तारीख को शोधन अक्षम की संपदा का कब्जा देगा ।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे शोधन अक्षमता न्यासी को, जिसने पद रिक्त किया है, ऐसे निदेश दे सकेगा कि वह—

(क) शोधन अक्षमता के सम्बन्ध में नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सभी सूचनाएं साझा करे; और

(ख) ऐसे मामलों में, जो अपेक्षित हों, नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सहयोग करे ।

(7) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त शोधन अक्षमता न्यासी अपनी नियुक्ति के सात दिन के भीतर लेनदारों की समिति और शोधन अक्षम को अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

(8) इस धारा के अधीन प्रतिस्थापित पूर्वतर शोधन अक्षमता न्यासी धारा 148 के उपबन्धों के अनुसार निर्मुक्त कर दिया जाएगा:

परन्तु यह धारा तक लागू नहीं होगी यदि रिक्ति शोधन अक्षमता न्यासी की अस्थायी रुग्णता या अस्थायी छुट्टी के कारण हुई हो ।

148. शोधन अक्षमता न्यासी की निर्मुक्ति—(1) शोधन अक्षमता न्यासी अपने पद से उस तारीख से निर्मुक्त किया जाएगा जिसको न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन प्रतिस्थापन, त्यागपत्र या रिक्ति होने की दशा में नए शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति करने वाला आदेश पारित करता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्मुक्ति के होते हुए भी, शोधन अक्षमता न्यासी जिसे इस प्रकार निर्मुक्त किया गया है, शोधन अक्षमता प्रक्रिया के सम्बन्ध में नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ सभी जानकारी साझा करेगा और नए शोधन अक्षमता न्यासी के साथ ऐसे मामलों में जो अपेक्षित हों, सहयोग करेगा ।

(3) शोधन अक्षमता न्यासी, जिसने शोधन अक्षमता प्रक्रिया का प्रशासन पूरा कर लिया है, उस तारीख से अपने कर्तव्यों से निर्मुक्त कर दिया जाएगा, जिसको लेनदारों की समिति धारा 137 के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी की रिपोर्ट का अनुमोदन करती है ।

अध्याय 5

शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन और उसका वितरण

149. शोधन अक्षमता न्यासी के कृत्य—शोधन अक्षमता न्यासी, इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा—

(क) शोधन अक्षम के कार्यकलापों का अन्वेषण करना;

(ख) शोधन अक्षम की संपदा का आपन करना; और

(ग) शोधन अक्षम की संपदा को वितरित करना ।

150. शोधन अक्षमता न्यासी के प्रति शोधन अक्षम के कर्तव्य—(1) शोधन अक्षम, शोधन अक्षमता न्यासी की इस अध्याय के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने में निम्नलिखित द्वारा सहायता करेगा,—

(क) शोधन अक्षमता न्यासी को उसके कार्यकलापों की जानकारी देकर;

(ख) ऐसे समय, जो अपेक्षित हों, पर शोधन अक्षमता न्यासी के पास उपस्थित रहकर;

(ग) निम्नलिखित घटनाओं में किसी घटना में, जो शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् घटित हुई है, शोधन अक्षमता न्यासी को सूचना देकर—

(i) शोधन अक्षम द्वारा किसी सम्पत्ति का अर्जन;

(ii) शोधन अक्षम पर किसी सम्पत्ति का न्यागमन;

(iii) शोधन अक्षम की आय में वृद्धि;

(घ) ऐसी सभी अन्य बातें करके, जो विहित की जाएं।

(2) शोधन अक्षम, ऐसी वृद्धि, अर्जन या न्यागमन के सात दिन के भीतर उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आय में वृद्धि या सम्पत्ति के अर्जन या न्यागमन की सूचना देगा।

(3) शोधन अक्षम, धारा 138 के अधीन उन्मोचन के पश्चात् भी खंड (ग) के अधीन कर्तव्यों से भिन्न उपधारा (1) के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा।

151. शोधन अक्षमता न्यासी के अधिकार—इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए शोधन अक्षमता न्यासी अपने पदीय नाम से—

(क) प्रत्येक भांति की सम्पत्ति धारण कर सकेगा;

(ख) संविदा कर सकेगा;

(ग) वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा;

(घ) शोधन अक्षम की संपदा के सम्बन्ध में वचनबंध कर सकेगा;

(ङ) अपनी सहायता करने के लिए व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा;

(च) कोई मुख्तारनामा, विलेख या अन्य लिखत निष्पादित कर सकेगा; और

(छ) कोई ऐसा अन्य कार्य कर सकेगा जो उसके अधिकारों के प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में आवश्यक या समीचीन हो।

152. शोधन अक्षमता न्यासी की साधारण शक्तियां—शोधन अक्षमता न्यासी, इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय,—

(क) शोधन अक्षम की संपदा के किसी भाग का विक्रय कर सकेगा;

(ख) उसके द्वारा प्राप्त किसी धनराशि के लिए रसीद दे सकेगा;

(ग) शोधन अक्षम को देय ऐसे ऋणों के सम्बन्ध में, जो उसकी संपदा से मिलकर बने हैं, लाभांश को साबित कर सकेगा, उसे समान रूप से क्रमबद्ध कर सकेगा, उसका दावा कर सकेगा और उसका अहिरण कर सकेगा;

(घ) जहां शोधन अक्षम की संपदा में समाविष्ट कोई सम्पत्ति गिरवी या आडमान के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा धारित की जाती है, वहां ऐसी किसी सम्पत्ति की बाबत मोचन के अधिकार का प्रयोग उक्त व्यक्ति को सूचना देकर सुसंगत संविदा के अधीन रहते हुए कर सकेगा;

(ङ) जहां शोधन अक्षम की संपदा का कोई भाग किसी कंपनी की प्रतिभूतियों से मिलकर बनता है या किसी ऐसी अन्य सम्पत्ति में जो किसी व्यक्ति की बहियों में अंतरणीय है, वहां वह उसी विस्तार तक सम्पत्ति को अंतरण करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगा जिस तक शोधन अक्षम ने इसका प्रयोग किया होता यदि वह शोधन अक्षम न हुआ होता; और

(च) शोधन अक्षम की सम्पत्ति में समाविष्ट किसी ऐसी सम्पत्ति से व्यवहार करना जिसके लिए शोधन अक्षम फायदाप्रद रूप में उसी रीति में हकदार है जिसमें उसने इसे व्यवहृत किया हो।

153. कतिपय कार्यों के लिए लेनदारों का अनुमोदन—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए शोधन अक्षमता न्यासी लेनदारों की समिति के अनुमोदन को उपाप्त करने के पश्चात्,—

(क) शोधन अक्षम के किसी कारबार को वहां तक चला सकेगा जहां तक फायदाप्रद रूप में उसका परिसमापन करने के लिए आवश्यक हो;

COURT BOOK

(ख) शोधन अक्षम की संपदा में समाविष्ट सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाही कर सकेगा, संस्थित कर सकेगा या उसकी प्रतिरक्षा कर सकेगा;

(ग) प्रतिभूति जैसे कतिपय अनुबन्धों के अधीन रहते हुए भविष्य में देय धन की राशि को किसी सम्पत्ति के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में स्वीकार कर सकेगा;

(घ) शोधन अक्षम के ऋणों के संदाय के लिए धन जुटाने के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को बंधक कर सकेगा या गिरवी रख सकेगा;

(ङ) जहां कोई अधिकार, विकल्प या अन्य शक्ति शोधन अक्षम की सम्पत्ति का भागरूप है, वहां लेनदारों के फायदे के लिए किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो ऐसे अधिकार, विकल्प या शक्ति का विषय है, अभिप्राप्त करने की दृष्टि से संदाय या दायित्व उपगत कर सकेगा;

(च) शोधन अक्षम या किसी ऐसे व्यक्ति के बीच, जिसने शोधन अक्षम के प्रति कोई दायित्व उपगत किया हो, अस्तित्ववान या अस्तित्ववान होने के लिए अनुमति किसी ऋण को ऐसे निबंधनों पर, जो करार पाए जाएं, पर माध्यस्थम् को निर्दिष्ट कर सकेगा या समझौता कर सकेगा;

(छ) लेनदारों के साथ कोई समझौता या अन्य ठहराव कर सकेगा, जो समीचीन समझा जाए;

(ज) शोधन अक्षम की संपदा से उद्भूत होने वाले या उसके समनुषंगी किसी दावे की बाबत समझौता या अन्य ठहराव कर सकेगा जो वह समीचीन समझे;

(झ) शोधन अक्षम को—

(अ) दिवालिया की संपदा या उसके किसी भाग के प्रबंध का पर्यवेक्षण करने के लिए;

(आ) उसके लेनदारों की फायदे के लिए उसके कारबार को चलाने के लिए;

(इ) शोधन अक्षम की संपदा को प्रशासित करने के लिए शोधन अक्षमता न्यासी की सहायता करने के लिए,

नियुक्त कर सकेगा ।

154. शोधन अक्षमता न्यासी में शोधन अक्षम की संपदा का निहित किया जाना—(1) शोधन अक्षम की संपदा उसकी नियुक्ति की तारीख से सीधे ही शोधन अक्षमता न्यासी में निहित हो जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निहित किया जाना, किसी अभिहस्तांतरण, समनुदेशन या अंतरण के बिना प्रभावी होगा ।

155. शोधन अक्षम की संपदा—(1) शोधन अक्षम की संपदा में,—

(क) शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख को शोधन अक्षम से सम्बन्धित या उसमें निहित सभी सम्पत्ति;

(ख) ऐसी सम्पत्ति में या उस पर या उसकी बाबत ऐसी सभी शक्तियों का, जो शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख को या धारा 138 के अधीन पारित उन्मोचन की तारीख से पूर्व अपने ही फायदे के लिए शोधन अक्षम द्वारा प्रयोग की गई हों, प्रयोग की और कार्यवाहियां आरम्भ करने की हैसियत; और

(ग) सभी सम्पत्ति, जो इस अध्याय के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के आधार पर सम्पत्ति में समाविष्ट की जाती हैं,

सम्मिलित होंगी ।

(2) शोधन अक्षम की संपदा में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा,—

(क) अपवर्जित आस्तियां;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यास पर शोधन अक्षम द्वारा धृत सम्पत्ति;

(ग) किसी कर्मकार या कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन निधि और उपदान निधि से शोध्य सभी राशियां; और

(घ) ऐसी आस्तियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक के परामर्श से अधिसूचित की जाएं ।

156. शोधन अक्षमता न्यासी को सम्पत्ति और दस्तावेजों का परिदान—शोधन अक्षम, उसका बैंककार या अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई सम्पत्ति, बहियां, कागजात या अन्य अभिलेख, जिनकी शोधन अक्षमता न्यासी से शोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए कब्जा लेने के अपेक्षा की जाती है, शोधन अक्षमता न्यासी को उक्त सम्पत्ति तथा दस्तावेज परिदत्त करेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

157. शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा नियंत्रण का अर्जन—(1) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षम की संपदा या शोधन अक्षम के उन कार्यकलापों, जिनका उससे सम्बन्ध है या उसके कब्जे में हैं या नियंत्रण में हैं, से सम्बन्धित सभी सम्पत्ति, बहियों, कागजातों या अन्य अभिलेखों का कब्जा लेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा ।

(2) जहां शोधन अक्षम की संपदा का कोई भाग अनुयोज्य दावों में चीजों से मिलकर बना है, वहां वे समनुदेशन की किसी सूचना के बिना शोधन अक्षमता न्यासी को समनुदेशित कर दिया गया समझा जाएगा ।

158. सम्पत्ति के व्ययन पर निर्बंधन—(1) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तथा शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख के बीच की अवधि के दौरान ऋणी द्वारा किए गए सम्पत्ति का कोई व्ययन शून्य होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति का कोई व्ययन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी सम्पत्ति की बाबत किसी अधिकार को उत्पन्न नहीं करेगा भले ही उसने ऐसी सम्पत्ति शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से पूर्व—

(क) सद्भावपूर्वक;

(ख) मूल्य के लिए; और

(ग) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन के फाइल की सूचना के बिना,

क्यों न प्राप्त कर ली हो ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सम्पत्ति" पद से ऋणी की ऐसी सभी सम्पत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह शोधन अक्षम की संपदा से मिलकर बनी हो या नहीं किन्तु इसके अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यास में ऋणी द्वारा धृत संपत्ति सम्मिलित नहीं होगी ।

159. शोधन अक्षम की पश्च अर्जित संपत्ति—(1) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षम को नोटिस देकर शोधन अक्षम की संपदा, किसी पश्च अर्जित सम्पत्ति के लिए दावा करने का हकदार होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना,—

(क) अपवर्जित आस्तियों, या

(ख) किसी ऐसी संपत्ति के सम्बन्ध में, जिसे धारा 138 के अधीन उन्मोचन आदेश किए जाने के पश्चात् शोधन अक्षम द्वारा अर्जित किया जाता है या इसे उस पर न्यागत किया जाता है,

तामील नहीं की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सूचना उस दिन से पंद्रह दिन के भीतर दी जाएगी जिसको पश्च अर्जित सम्पत्ति का अर्जन या न्यागमन शोधन अक्षमता न्यासी की जानकारी में आता है ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ऐसी कोई बात जो शोधन अक्षमता न्यासी की जानकारी में आती है, उसी समय शोधन अक्षमता न्यासी के उत्तरवर्ती की जानकारी में आई हुई समझी जाएगी; और

(ख) ऐसी कोई बात जो ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी में, उसके शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त किए जाने के पूर्व आती है तो वह शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख को उसकी जानकारी में आई हुई समझी जाएगी ।

(5) शोधन अक्षमता न्यासी, इस धारा के आधार पर, ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने सद्भाविक रूप से पश्च अर्जित सम्पत्ति पर मूल्य के लिए और शोधन अक्षमता की सूचना के बिना कोई अधिकार अर्जित किया है, दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(6) कोई सूचना, उपधारा (3) के अधीन अवधि की समाप्ति के पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन से ही तामील की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पश्च अर्जित सम्पत्ति" पद से ऐसी कोई सम्पत्ति अभिप्रेत है जिसे शोधन अक्षमता प्राम्भ की तारीख से पश्चात् शोधन अक्षम द्वारा अर्जित किया गया है या उस पर न्यागत किया गया है ।

160. शोधन अक्षम की दुर्भर सम्पत्ति—(1) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षम को या दुर्भर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति को सूचना देकर किसी ऐसी दुर्भर सम्पत्ति का दावा त्याग कर सकेगा, जो शोधन अक्षम की संपदा का भागरूप है ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी, इस बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन सूचना दे सकेगा कि उसने दुर्भर सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है, उसे बेचने का प्रयत्न किया है या उसके सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दावा त्याग की सूचना,—

(क) ऐसी सूचना की तारीख से ही, अदावाकृत दुर्भर सम्पत्ति की बाबत शोधन अक्षम के अधिकारों, हितों और दायित्वों का अवधारण करेगी;

(ख) शोधन अक्षमता न्यासी की नियुक्ति की तारीख से ही दुर्भर सम्पत्ति की बाबत सभी वैयक्तिक दायित्व से शोधन अक्षमता न्यासी को उन्मोचित करेगी ।

COURT BOOK

(4) उपधारा (1) के अधीन दावा त्याग की सूचना ऐसी सम्पत्ति की बाबत नहीं दी जाएगी जिसका लेनदारों की समिति की अनुज्ञा के बिना धारा 155 के अधीन शोधन अक्षम की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया है ।

(5) उपधारा (1) के अधीन दावा त्याग की सूचना किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसको इस धारा के अधीन दावा त्याग के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप कोई हानि या नुकसान हुआ है, उस हानि या नुकसान की सीमा तक शोधन अक्षम के लेनदार के रूप में समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दुर्भर सम्पत्ति" पद से,—

(i) कोई अलाभकारी संविदा; और

(ii) शोधन अक्षम की संपदा में समाविष्ट कोई अन्य सम्पत्ति जो अविक्रीय है या तुरंत विक्रीय नहीं है या ऐसी है कि उससे दावा उत्पन्न हो सके,

अभिप्रेत है ।

161. दुर्भर संपत्ति के दावा त्याग की सूचना—(1) धारा 160 के अधीन दावा त्याग की कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी, यदि—

(क) दुर्भर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति ने लिखित में शोधन अक्षमता न्यासी को या उसके पूर्ववर्ती को उससे यह अपेक्षा करते हुए कि वह यह विनिश्चय करे कि क्या दुर्भर सम्पत्ति का दावा त्याग किया जाना चाहिए या नहीं, लिखित में आवेदन किया है; और

(ख) खंड (क) के अधीन कोई विनिश्चय सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा नहीं लिया गया है ।

(2) कोई दुर्भर सम्पत्ति, जिसका उपधारा (1) के अधीन दावा त्याग नहीं किया जा सकता है, शोधन अक्षम की संपदा का भाग समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दुर्भर सम्पत्ति को वहां दावा त्याग कहा जाता है, जहां उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना धारा 160 के अधीन अक्षमता न्यासी द्वारा दे दी गई है ।

162. पट्टाधृतों का दावा त्याग—(1) शोधन अक्षमता न्यासी, किसी पट्टाधृति हित का दावा त्याग करने के लिए हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि दावा त्याग की सूचना प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति पर तामील न कर दी गई हो, और—

(क) हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उस तारीख के पंद्रह दिन के भीतर, जिसको सूचना तामील की गई थी, पट्टाधृति हित के सम्बन्ध में दावा त्याग का आक्षेप करने वाला कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया है; और

(ख) जहां दावा त्याग का आक्षेप किया जाने वाला आवेदन हितबद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने धारा 163 के अधीन यह निदेश दिया है कि दावा त्याग प्रभावी होगा ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निदेश देता है, वहां वह किरायेदार द्वारा फिक्सचरों, सुधारों तथा पट्टे से उद्भूत होने वाले अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश भी किया जा सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

163. अदावाकृत सम्पत्ति के विरुद्ध चुनौती—(1) दावा त्याग को चुनौती देने वाला आवेदन, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस धारा के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो अदावाकृत सम्पत्ति में हित का दावा करता है; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो अदावाकृत सम्पत्ति की बाबत किसी दायित्व के अधीन है; या

(ग) जहां अदावाकृत सम्पत्ति कोई निवासगृह है, ऐसा कोई व्यक्ति जो शोधन अक्षमता के आवेदन की तारीख को उस निवासगृह के अधिभोग में था या उसका अधिभोग करने के लिए हकदार था ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को अदावाकृत सम्पत्ति को निहित करने या उसके परिदान के लिए आदेश कर सकेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में, जिसने उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आवेदन किया है, सिवाय वहां के ऐसा आदेश नहीं करेगा जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना न्यायसंगत होगा ।

(4) इस धारा के अधीन आदेश के प्रभाव को धारा 160 की उपधारा (5) के अधीन दावा त्याग के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान का निर्धारण करते समय हिसाब में लिया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति में सम्पत्ति निहित करने वाले आदेश को किसी परिणाम, समनुदेशन या अंतरण द्वारा पूरा किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

164. अवमूल्यकृत संव्यवहार—(1) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षम और किसी व्यक्ति के बीच अवमूल्यकृत संव्यवहार की बाबत इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवमूल्यकृत संव्यवहार को,—

(क) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन के फाइल करने पर समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के दौरान किया जाना चाहिए था, और

(ख) शोधन अक्षमता को आगे प्रवर्तित किया जाना चाहिए था ।

(3) शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करने की तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान शोधन अक्षम और उसके सहयोगियों के बीच किए गए संव्यवहार को इस धारा के अधीन अवमूल्यकृत संव्यवहार के रूप में समझा जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी के आवेदन पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,—

(क) अवमूल्यकृत संव्यवहार को शून्य घोषित करने वाला आदेश पारित कर सकेगा;

(ख) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसमें अवमूल्यकृत संव्यवहार के भाग के रूप में अंतरित किसी सम्पत्ति की शोधन अक्षम की संपदा के रूप में शोधन अक्षमता न्यासी के पास निहित किए जाने की अपेक्षा की गई है; और

(ग) कोई ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह उस स्थिति में प्रत्यावर्तित होने के लिए ठीक समझे जिसमें यह कर दिया गया होता यदि शोधन अक्षम द्वारा अवमूल्यकृत संव्यवहार न किया गया होता ।

(5) उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन आदेश तब पारित नहीं किया जाएगा यदि शोधन अक्षम द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि संव्यवहार शोधन अक्षम के कारबार के साधारण अनुक्रम में किया गया था:

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध इस धारा की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन शोधन अक्षम और उसके सहयोगी के बीच किए गए संव्यवहार को लागू नहीं होंगे ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शोधन अक्षम किसी व्यक्ति के साथ अवमूल्यकृत संव्यवहार करता है, यदि,—

(क) वह उस व्यक्ति को दान कर देता है;

(ख) उस व्यक्ति द्वारा शोधन अक्षम से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जाता है;

(ग) यह विवाह के प्रतिफलस्वरूप है; या

(घ) यह उस प्रतिफल के लिए है, जिसका मूल्य धन के रूप में या शोधन अक्षम द्वारा दिए गए प्रतिफल के धन के रूप में मूल्य या धन के मूल्य से अत्यधिक कम है ।

165. अधिमान संव्यवहार—(1) शोधन अक्षमता न्यासी, इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा यदि शोधन अक्षम ने किसी व्यक्ति को अधिमान दिया है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षम के किसी सहयोगी को अधिमान देने वाला संव्यवहार शोधन अक्षमता के आवेदन की तारीख को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के दौरान सहयोगी के साथ शोधन अक्षम द्वारा किया जाना चाहिए ।

(3) अधिमान देने वाला ऐसा कोई संव्यवहार, जो उपधारा (2) के अंतर्गत नहीं आता है, शोधन अक्षमता के आवेदन की तारीख को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के दौरान शोधन अक्षम द्वारा किया जाना चाहिए ।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अधिमान देने वाले संव्यवहार द्वारा प्रवर्तित किए जाने वाली शोधन अक्षमता प्रक्रिया कारित की जानी चाहिए ।

(5) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी के आवेदन पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,—

(क) अधिमान देने वाले संव्यवहार को शून्य घोषित करने वाला आदेश पारित कर सकेगा;

(ख) शोधन अक्षम की संपदा के भाग के रूप में शेधन अक्षमता न्यासी के पास निहित किए जाने वाले अधिमान देने वाले संव्यवहार के सम्बन्ध में किसी सम्पत्ति को अंतरित करने की अपेक्षा करने वाला आदेश पारित कर सकेगा; और

COURT BOOK

(ग) कोई ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिससे वह उस स्थिति में प्रत्यावर्तित होने के लिए ठीक समझे जिसमें यह कर दिया गया होता यदि शोधन अक्षम द्वारा अधिमान देने वाला संव्यवहार न किया गया होता।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि शोधन अक्षम किसी व्यक्ति को अधिमान देने के उसके विनिश्चय में उपधारा (8) के खंड (ख) के अधीन उस व्यक्ति के सम्बन्ध में अपने विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए कोई चीजबस्त प्रस्तुत करने की वांछा द्वारा प्रभावित नहीं किया गया हो।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई व्यक्ति शोधन अक्षम का उस समय सहयोगी (उसके केवल कर्मचारी होने के कारण से अन्यथा) है, जब अधिमान दिया गया था, यह उपधारणा की जाएगी कि शोधन अक्षम उस उपधारा के अधीन उसके विनिश्चय में प्रभावित किया गया था।

(8) इस धारा के प्रयोजानों के लिए, किसी शोधन अक्षम के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने किसी व्यक्ति को अधिमान देने वाला संव्यवहार किया है, यदि—

(क) व्यक्ति, शोधन अक्षम के किसी ऋण का लेनदार या प्रतिभू या प्रत्याभूति दाता है; और

(ख) शोधन अक्षम कोई ऐसी बात करता है या ऐसी किए जाने वाली किसी बात से ग्रस्त है, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचाना है जो ऋणी को शोधन अक्षम बन जाने की दशा में उस स्थिति से बेहतर होती यदि वह उसमें हुआ होता, यदि वह बात न की गई होती।

166. आदेश का प्रभाव—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारा 164 या धारा 165 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश,—

(क) सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसा अधिकार सृजित नहीं करेगा जो अवमूल्यकृत संव्यवहार या अधिमान देने वाले संव्यवहार में अर्जित की गई थी चाहे वह ऐसा व्यक्ति है या नहीं जिसके साथ शोधन अक्षम ने ऐसा संव्यवहार किया है; और

(ख) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करेगा कि वह अवमूल्यकृत संव्यवहार से या अधिमान देने वाले संव्यवहार से फायदा की बाबत शोधन अक्षमता न्यासी को किसी राशि का संदाय करे चाहे वह ऐसा व्यक्ति है या नहीं जिसके साथ शोधन अक्षम ने ऐसा संव्यवहार किया है।

(2) उपधारा (1) का उपबन्ध केवल तभी लागू होगा यदि हित अर्जित या फायदा प्राप्त—

(क) सद्भावपूर्वक;

(ख) मूल्य के लिए;

(ग) इस सूचना के बिना कि शोधन अक्षम ने अवमूल्य पर या अधिमान देने के लिए संव्यवहार किया है;

(घ) इस सूचना के बिना कि शोधन अक्षम ने शोधन अक्षमता के लिए आवेदन फाइल किया है या शोधन अक्षमता आदेश पारित किया है; और

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हित अर्जित करने या फायदा प्राप्त करने के समय शोधन अक्षम का सहयोगी नहीं था,

किया गया था।

(3) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी को संदत्त की जाने वाली कोई भी राशि शोधन अक्षम की संपदा में सम्मिलित की जाएगी।

167. उद्दापन के तौर पर प्रत्यय संव्यवहार—(1) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा किए गए आवेदन पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उद्दापन के तौर पर उन प्रत्यय संव्यवहारों की बाबत इस धारा के अधीन आदेश कर सकेगा जिनका शोधन अक्षम पक्षकार है या पक्षकार रहा है।

(2) उपधारा (1) के अधीन संव्यवहार, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के दौरान शोधन अक्षम द्वारा किए जाने चाहिएं।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश,—

(क) संव्यवहार द्वारा सृजित किसी संपूर्ण ऋण या उसके भाग को अपास्त कर सकेगा;

(ख) संव्यवहार के निबंधनों में फेरफार कर सकेगा या उन निबंधनों में फेरफार कर सकेगा जिन पर संव्यवहार के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिभूति को धारित किया गया है;

COURT BOOK

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे किसी संव्यवहार के अधीन शोधन अक्षम द्वारा संदाय किया गया है, शोधन अक्षमता न्यासी को राशि का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(घ) किसी व्यक्ति से संव्यवहार के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित शोधन अक्षम की किसी सम्पत्ति को शोधन अक्षमता न्यासी को अभ्यर्पित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी को संदत्त कोई राशि या अभ्यर्पित सम्पत्ति को शोधन अक्षम की संपदा में सम्मिलित किया जाएगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उद्दापन के तौर पर प्रत्यय संव्यवहार,—

(क) दिए गए प्रत्यय की बाबत अतिशय संदाय करने के लिए शोधन अक्षम से अपेक्षा करने वाले निबंधनों पर; या

(ख) जो संविदाओं से सम्बन्धित विधि के सिद्धांतों के अधीन नितांत अनुचित है,

किसी व्यक्ति द्वारा शोधन अक्षम को प्रत्यय के उपबन्ध के लिए या उसे अंतर्वलित करने वाला संव्यवहार है ।

(6) ऐसे ऋण के सम्बन्ध में प्रवृत्त विधि के अनुपालन में वित्तीय सेवाओं के लिए विनियमित किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी ऋण को इस धारा के अधीन उद्दापन प्रत्यय संव्यवहार के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

168. संविदाओं के अधीन बाध्यताएं—(1) यह धारा वहां लागू होगी जहां संविदा शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति के साथ शोधन अक्षम द्वारा की गई है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षम से भिन्न संविदा का कोई पक्षकार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को,—

(क) संविदा के अधीन आवेदक या शोधन अक्षम की बाध्यताओं को उन्मोचित करने वाले आदेश के लिए, और

(ख) संविदा के अपालन के लिए या अन्यथा पक्षकार या शोधन अक्षम द्वारा नुकसानियों के संदाय के लिए,

आवेदन कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन आदेश के आधार पर शोधन अक्षम द्वारा संदेय कोई भी नुकसानी शोधन अक्षमता ऋण के रूप में साबित करने योग्य होगी ।

(4) जब कोई शोधन अक्षम, इस धारा के अधीन संविदा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से एक पक्षकार है तो वह व्यक्ति, शोधन अक्षम के संयोजन के बिना संविदा की बाबत वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

169. शोधन अक्षम की मृत्यु पर कार्यवाहियों का चालू रहना—यदि किसी शोधन अक्षम की मृत्यु हो जाती है तो शोधन अक्षमता कार्यवाहियां इस प्रकार चलती रहेंगी मानो वह जीवित था ।

170. मृत शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन—(1) शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन और वितरण से सम्बन्धित अध्याय 5 के सभी उपबन्ध, जहां तक वे लागू होते हैं, मृत शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन को लागू होंगे ।

(2) किसी मृत शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन करते समय, शोधन अक्षमता न्यासी उनके द्वारा उपगत उचित अंत्येष्टि तथा वसीयती खर्चों के संदाय के लिए मृत शोधन अक्षम के विधिक प्रतिनिधि के दावों को ध्यान में रखेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दावे धारा 178 के अधीन दी गई पूर्विकता में प्रतिभूत लेनदारों को एक ही श्रेणी में रखेगा ।

(4) यदि मृत शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन पर अधिशेष, मृत शोधन अक्षम से शोध्य सभी ऋणों का पूर्ण संदाय करने के पश्चात् शोधन अक्षमता न्यासी के पास कोई अधिशेष बचता है, जो धारा 178 के अधीन यथा उपबंधित प्रशासन और ब्याज के खर्चों के साथ है तो ऐसा अधिशेष मृत शोधन अक्षम की संपदा के विधिक प्रतिनिधियों को संदत्त किया जाएगा या ऐसी रीति में व्यवहृत किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

171. ऋण का सबूत—(1) शोधन अक्षमता न्यासी धारा 132 के अधीन लेनदारों की सूची तैयार करने के चौदह दिन के भीतर ऋण के सबूत प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक लेनदार को सूचना देगा ।

(2) ऋण के सबूत—

(क) में लेनदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऋण की पूर्ण विशिष्टियां दे जिनके अंतर्गत वह तारीख जिसको ऋण की संविदा की गई थी और वह मूल्य जिस पर वह व्यक्ति उसका निर्धारण करता है;

(ख) में लेनदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह प्रतिभूति की ऐसी पूर्ण विशिष्टियां दे जिनके अंतर्गत वह तारीख जिसको प्रतिभूति दी गई थी और वह मूल्य जिस पर वह व्यक्ति उसका निर्धारण करता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति में होगा जो विहित की जाए ।

(3) यदि लेनदार शोधन अक्षम के विरुद्ध डिक्री धारक है तो डिक्री की एक प्रति, ऋण का विधिमान्य सबूत होगा ।

(4) जहां ऋण पर ब्याज लगता है, वहां वह ब्याज उसके सिवाय जहां तक ब्याज शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् किसी अवधि की बाबत देय है, ऋण के भाग के रूप में साबित किए जाने के योग्य होगा ।

COURT BOOK

(5) शोधन अक्षमता न्यासी किसी ऐसे शोधन अक्षमता ऋण के मूल्य का प्राक्कलन करेगा जिसका कोई विनिर्दिष्ट मूल्य नहीं है ।

(6) धारा 5 के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा समनुदेशित मूल्य सम्बद्ध लेनदार द्वारा साबित करने योग्य रकम होगी ।

(7) कोई लेनदार किसी ऋण को वहां साबित कर सकेगा जहां संदाय, शोधन अक्षमता के प्रारम्भ की तारीख से पश्चात्वर्ती तारीख को इस प्रकार शोध्य हो गया होता मानो वह वर्तमान में देय होता और ऐसी रीति में लाभांश प्राप्त कर सके, जो विहित किया जाए ।

(8) जहां शोधन अक्षमता न्यासी उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील करता है और वह व्यक्ति जिस पर सूचना तामील की जाती है, सूचना की ऐसी तामील की तारीख के पश्चात् तीस दिन के भीतर प्रतिभूति का सबूत फाइल नहीं करता है तो शोधन अक्षमता न्यासी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति से ऐसी किसी सम्पत्ति का विक्रय कर सकेगा या उसका व्ययन कर सकेगा जो उस प्रतिभूति से मुक्त प्रतिभूति के अध्यधीन थी ।

172. प्रतिभूत लेनदारों द्वारा ऋण का सबूत—(1) जहां प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति को आप्त करता है, वहां वह उसको शोध्य अतिशेष का सबूत प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) जहां प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति को लेनदारों के साधारण फायदे के शोधन अक्षमता न्यासी को अभ्यर्पित कर देता है, वहां वह अपने सम्पूर्ण दावे का सबूत प्रस्तुत करेगा ।

173. पारस्परिक प्रत्यय और मुजरा—(1) जहां शोधन अक्षमता के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व शोधन अक्षम और किसी लेनदार के बीच पारस्परिक व्यौहार हुए हैं, वहां शोधन अक्षमता न्यासी—

(क) उसको हिसाब में लेगा जो पारस्परिक व्यौहारों की बाबत प्रत्येक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को शोध्य हैं और एक पक्षकार से शोध्य राशि का दूसरे पक्षकार से शोध्य राशि के प्रति मुजरा किया जाएगा; और

(ख) केवल अतिशेष, शोधन अक्षमता ऋण के रूप में या शोधन अक्षम की संपदा के भाग के रूप में शोधन अक्षमता न्यासी को संदेय रकम के रूप में साबित करने योग्य होगा ।

(2) किसी अन्य पक्षकार को शोधन अक्षम से शोध्य राशि को उपधारा (1) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा हिसाब में दी गई राशि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि उस अन्य पक्षकार के पास उस समय यह सूचना थी जब वे शोध्य हो गए थे कि शोधन अक्षम से सम्बन्धित शोधन अक्षमता के लिए आवेदन लंबित था ।

174. अंतरिम लाभांश का वितरण—(1) जब कभी शोधन अक्षमता न्यासी के पास पर्याप्त निधियां हैं तो वह उन शोधन अक्षमता ऋणों की बाबत, जिनको उन्होंने क्रमश: साबित कर दिया है, लेनदारों के बीच घोषणा कर सकेगा और अंतरिम लाभांश का वितरण कर सकेगा ।

(2) जहां शोधन अक्षमता न्यासी ने किसी अंतरिम लाभांश की घोषणा कर दी है, वहां वह ऐसे लाभांश और ऐसी रीति की सूचना देगा जिसमें उसे वितरित करने का कैसे प्रस्ताव किया गया है ।

(3) अंतरिम लाभांश की संगणना और वितरण में शोधन अक्षमता न्यासी—

(क) किसी ऐसे शोधन अक्षमता ऋण के लिए उपबंध करेगा, जो उसको उन व्यक्तियों से, शोध्य होने वाले प्रतीत हों, जिनको अपने निवास स्थान की दूरी के कारण निविदत्त करने के लिए पर्याप्त समय न मिला हो और अपने ऋण सिद्ध न कर सके हों; और

(ख) किन्हीं ऐसे शोधन अक्षमता ऋणों के लिए उपबन्ध करेगा जो उन दावों के विषय में हैं जिन्हें अभी तक अवधारित नहीं किया गया है;

(ग) विवादास्पद सबूतों और दावों के लिए उपबन्ध करेगा; और

(घ) शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन के लिए आवश्यक खर्चों के लिए उपबन्ध करेगा ।

175. सम्पत्ति का वितरण—(1) शोधन अक्षमता न्यासी, लेनदारों की समिति के अनुमोदन से किसी सम्पत्ति को उसके विद्यमान रूप में उसके प्राक्कलित मूल्य के अनुसार, लेनदारों में विभाजित कर सकेगा जिसे उसकी विशिष्ट प्रकृति या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण तुरन्त या फायदाप्रद रूप में विक्रीत नहीं किया जा सकता ।

(2) प्रत्येक संव्यवहार के लिए, शोधन अक्षमता न्यासी और सद्भावपूर्वक शोधन अक्षमता न्यासी के साथ व्यौहार करने वाले व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन की ईप्सा की जाएगी और उस मूल्य के लिए जांच करने की यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई अपेक्षित अनुमोदन दे दिया गया है या नहीं ।

(3) जहां शोधन अक्षमता न्यासी ने लेनदारों की समिति के अनुमोदन के बिना कोई बात की है, वहां समिति, शोधन अक्षम की संपदा में से अपने खर्चों को चुकाने के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के कार्य का अनुसमर्थन कर सकेगी ।

COURT BOOK

(4) लेनदारों की समिति उपधारा (3) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी के कार्य को तब तक अनुसमर्थित नहीं करेगी जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि शोधन अक्षमता न्यासी ने अत्यावश्यकता की दशा में कार्य किया है और अनुचित विलम्ब के बिना अपने अनुसमर्थन की ईप्सा की है ।

176. अंतिम लाभांश—(1) जहां शोधन अक्षमता न्यासी ने शोधन अक्षम की सम्पूर्ण संपदा को या उसके उतने भाग को जो शोधन अक्षमता न्यासी की राय में आप्त किया जा सकता था, आप्त कर लिया है, वहां वह—

(क) अंतिम लाभांश घोषित करने के अपने आशय की सूचना देगा; या

(ख) यह सूचना देगा कि किसी लाभांश या अतिरिक्त लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन, सूचना में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं और सूचना में विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख तक शोधन अक्षम की संपदा के विरुद्ध सभी दावों को सिद्ध किए जाने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, शोधन अक्षम की संपदा के प्रशासन में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा (2) में निर्दिष्ट अंतिम तारीख को, स्थगित कर सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात्, शोधन अक्षमता न्यासी—

(क) शोधन अक्षम की संपदा में शोधन अक्षमता के किन्हीं बकाया खर्चों को चुकाएगा; और

(ख) यदि वह अंतिम लाभांश घोषित करने का आशय रखता है तो वह, उस लाभांश को घोषित करेगा तथा उसे ऐसे लेनदारों में, जिन्होंने किन्हीं अन्य व्यक्तियों के दावों पर ध्यान दिए बिना अपने ऋण साबित कर दिए हैं, वितरित करेगा ।

(5) यदि शोधन अक्षम के सभी लेनदारों को ब्याज सहित पूर्ण संदाय करने और शोधन अक्षमता के खर्चों के संदाय करने के पश्चात् कोई अधिशेष बचता है तो शोधन अक्षम उस अधिशेष के लिए हकदार होगा ।

(6) जहां शोधन अक्षमता आदेश किसी फर्म में एक भागीदार के सम्बन्ध में पारित किया गया है वहां कोई लेनदार, जिसको शोधन अक्षम, फर्म में अन्य भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से ऋणी है या उनमें से कोई भी शोधन अक्षम की पृथक् सम्पत्ति में से कोई लाभांश तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि सभी पृथक् लेनदारों ने अपने-अपने ऋणों की पूरी रकम प्राप्त नहीं कर ली हो ।

177. लेनदारों के दावे—(1) कोई लेनदार, जिसने किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व अपना ऋण साबित नहीं किया है इस कारण कि उसने इसमें भाग नहीं लिया है, उस लाभांश या उसके ऋण को साबित करने से पहले घोषित किसी अन्य लाभांश के वितरण में बाधा डालने का हकदार नहीं है, किन्तु—

(क) जब उसने ऋण साबित कर दिया है तो वह किसी ऐसे लाभांश या लाभांशषों का संदाय किए जाने का हकदार होगा जिन्हें वह किसी अतिरिक्त लाभांश के संदाय के लिए तत्समय उपलब्ध किसी धनराशि में से प्राप्त करने में असफल हुआ है; और

(ख) कोई लाभांश या उसको संदेय कोई लाभांश, किसी ऐसे अतिरिक्त लाभांश के संदाय के लिए उस धनराशि को उपयोजित किए जाने से पूर्व संदत्त किया जाएगा ।

(2) किसी लाभांश के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी किन्तु यदि शोधन अक्षमता न्यासी उपधारा (1) के अधीन संदेय लाभांश का संदाय करने से इंकार करता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह—

(क) लाभांश का संदाय करे; और

(ख) अपनी ही धनराशि में से—

(i) लाभांश पर ब्याज का; और

(ii) उन कार्यवाहियों के, जिनमें संदाय करने का आदेश पारित किया गया है, खर्चों का, संदाय करे ।

178. ऋणों के संदाय की पूर्विकता—(1) तत्समय प्रवृत्त संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अंतिम लाभांश के वितरण में निम्नलिखित ऋण सभी अन्य ऋणों से पूर्विकता के क्रम में संदत्त किए जाएंगे—

(क) पहला, शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा पूर्णत: उपगत लागतें तथा खर्चे;

(ख) दूसरा—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(i) शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से पूर्ववर्ती चौबीस मास की अवधि के लिए शोधन अक्षम के कर्मकारों को शोध्य; और

(ii) प्रतिभूत लेनदारों को देय ऋण;

(ग) तीसरा, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से पूर्व बारह मास की अवधि या उसके किसी भाग के लिए शोधन अक्षम के कर्मकारों से भिन्न कर्मचारियों को देय मजदूरी और कोई भी असंदत्त शोध्य;

(घ) चौथा, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से पूर्व दो वर्ष की पूरी अवधि या उसके किसी भाग की बाबत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को देय रकम, जिसके अन्तर्गत भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के लेखे में प्राप्त रकम भी है;

(ङ) अंत में, अप्रतिभूत ऋणों सहित शोधन अक्षम द्वारा देय सभी अन्य ऋण ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ग में ऋण, उस उपधारा में वर्णित क्रम के रैंक में होगा किन्तु उसी वर्ग में ऋणों को उनके बीच समान रैंक दिया जाएगा और उनका पूर्णतया संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तब कि शोधन अक्षम की संपदा उनको चुकाने के लिए पर्याप्त न हो, उस दशा में उनके बीच बराबर अनुपात में उसे कम किया जाएगा ।

(3) जहां किसी लेनदार ने कोई क्षतिपूर्ति दी है या धनराशियों का कोई संदाय किया है जिसके आधार पर शोधन अक्षम की किसी आस्ति का आपन किया गया है, संरक्षित किया गया है या परिरक्षित किया गया है वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ऐसी आस्ति के वितरण के सम्बन्ध में उस लेनदार को, अन्य लेनदारों के मुकाबले में ऐसा करने में उसके द्वारा उठाए गए जोखिमों के प्रतिफलस्वरूप लाभ देने की दृष्टि से न्यायोचित समझे ।

(4) अप्रतिभूत लेनदार परस्पर तब तक बराबर रैंक के होंगे जब तक कि वह संविदात्मक रूप से ऐसे लेनदारों द्वारा तत्प्रतिकूल करार न किया गया हो ।

(5) उपधारा (1) के अधीन ऋणों का संदाय करने के पश्चात् बचे हुए किसी अधिशेष का उपयोजन उन अवधियों की बाबत उन ऋणों पर ब्याज का संदाय करने के लिए किया जाएगा जिनके दौरान वह शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख से बकाया है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन ब्याज संदाय, ऋण की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना समान रैंक के होंगे ।

(7) भागीदारों की दशा में, भागीदारी सम्पत्ति, भागीदारी ऋणों के संदाय में सर्वप्रथम उपयोजित होगी और प्रत्येक भागीदार की पृथक् सम्पत्ति सर्वप्रथम उसके पृथक् ऋणों के संदाय में उपयोजित होगी ।

(8) जहां भागीदारों की पृथक् सम्पत्ति का अधिशेष है वहां उससे भागीदारी सम्पत्ति के रूप मे व्यवहार किया जाएगा; और जहां भागीदारी सम्पत्ति का अधिशेष है, वहां उस भागीदारी सम्पत्ति में प्रत्येक भागीदार के अधिकारों और हितों के अनुपात में अपनी-अपनी पृथक् सम्पत्ति के भाग के रूप में व्यौहार किया जाएगा ।

अध्याय 6

व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

179. व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी—(1) न्यायनिर्णायक प्रधिकारी धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, व्यष्टिकों और फर्मों के दिवाला विषयों के सम्बन्ध में, ऋण वसूली अधिकरण होगा जिसकी राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता उस स्थान पर होगी जहां व्यष्टिक ऋणी वास्तविक रूप से और स्वेच्छया निवास करता है या अपना कारबार चलाता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है और वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन आवेदन स्वीकार कर सकता है ।

(2) ऋण वसूली अधिकरण को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को ग्रहण करने या उसका निपटान करने की अधिकारिता होगी—

(क) व्यष्टिक ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही;

(ख) व्यष्टिक ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा;

(ग) इस संहिता के अधीन व्यष्टिक ऋणी या फर्म के दिवालियापन और शोधन अक्षमता के कारण या उसके सम्बन्ध में उद्भूत अग्रताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न चाहे वह विधि का हो या तथ्यों का ।

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऋणी के नाम से या उसकी ओर से किसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की संगणना करने में, जिसके लिए इस भाग के अधीन अधिस्थगन का आदेश किया गया है, वह कालावधि, जिसके दौरान ऐसा अधिस्थगन प्रवृत्त है, अपवर्जित कर दी जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

180. सिविल न्यायालय को अधिकारिता न होना—(1) किसी सिविल न्यायालय या प्राधिकारी को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में वाद या कार्यवाहियों को स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं होगी जिन पर ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपील अधिकरण को इस संहिता के अधीन अधिकारिता है।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपील अधिकरण को इस संहिता के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के लिए कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

181. ऋण वसूली अपील अधिकरण को अपील—(1) इस संहिता के अधीन ऋण वसूली अधिकरण के किसी आदेश पर कोई अपील ऋण वसूली अपील अधिकरण के समक्ष तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

(2) ऋण वसूली अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को तीस दिन के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह पन्द्रह दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा।

182. उच्चतम न्यायालय को अपील—(1) ऋण वसूली अपील अधिकरण के किसी आदेश से इस संहिता के अधीन विधि के प्रश्न पर कोई अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी।

(2) उच्चतम न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को पैंतालीस दिन के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह पन्द्रह दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा।

183. आवेदनों का शीघ्र निपटान—जब इस संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदन का निपटान नहीं किया जाता है या कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो, यथास्थिति, ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपील अधिकरण ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा न करने के कारणों को अभिलिखित करेगा; और ऋण वसूली अपील अधिकरण का अध्यक्ष इस प्रकार अभिलिखित कारणों से ध्यान में रखते हुए संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि का विस्तार कर सकेगा, किन्तु जो दस दिन से अधिक नहीं होगी।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

184. लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया में मिथ्या सूचना, आदि के लिए दंड—(1) यदि कोई ऋणी या लेनदार ऐसी सूचना प्रदान करता है जो समाधान वृत्तिक के पास किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई लेनदार, किसी ऋणी से कोई धन, सम्पत्ति या प्रतिभूति स्वीकार करके बेईमानी से किसी प्रतिसंदाय योजना के पक्ष में मत देने का वचन देता है, तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या, यथास्थिति, जुर्माने से, जो ऐसी रकम का तीन गुना या लेनदार द्वारा स्वीकृत धन, सम्पत्ति या प्रतिभूति के समतुल्य तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परन्तु जहां ऐसी रकम परिमाण नहीं है वहां जुर्माने की कुल रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

185. उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दंड—यदि कोई दिवाला वृत्तिक जानबूझकर इस भाग के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

186. शोधन अक्षम द्वारा मिथ्या सूचना, छिपाव, आदि के लिए दंड—यदि शोधन अक्षम—

(क) धारा 122 के अधीन शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करते हुए या शोधन अक्षमता कार्यवाही के दौरान कोई सूचना प्रदान करते हुए, जानबूझकर मिथ्या व्यपदेशन करता है या जानबूझकर किसी तात्विक सूचना का लोप करता है या उसे छिपाता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या, दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, मिथ्या व्यपदेशन या लोप में किसी सम्पत्ति के व्ययन के ब्यौरों का अप्रकटन शामिल है जो व्ययन के कारण शोधन अक्षम द्वारा चलाए जा रहे कारबार के साधारण प्रक्रम में किए गए व्यय से भिन्न शोधन अक्षम की संपदा में शामिल होती:

(ख) कपटपूर्वक अपनी नष्ट की गई, मिथ्याकृत या परिवर्तित लेखाबहियों, वित्तीय सूचना और उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में अन्य अभिलेखों को उपलब्ध कराने से असफल रहता है तो जानबूझकर उन्हें प्रस्तुत करने से रोकता है, तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा;

COURT BOOK

(ग) उसने धारा 140 के अधीन निर्बंधनों का या धारा 141 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा;

(घ) वह उसके कब्जे या नियंत्रणाधीन शोधन अक्षम की संपदा में शामिल किसी सम्पत्ति के कब्जे को परिदत्त करने में असफल रहा है जिसे उसके द्वारा धारा 156 के अधीन परिदत्त करने की अपेक्षा की जाती है, वह कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा;

(ङ) वह किसी युक्तियुक्त कारण के या किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना शोधन अक्षम की संपदा में शामिल उसकी सम्पत्ति के किसी सारवान् भाग की उपगत किसी हानि के लिए उस तारीख से जो शोधन अक्षमता आवेदन फाइल करने के बारह मास पूर्व है, हिसाब देने में असफल रहा है, वह कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो हानि के मूल्य से तीन गुणा तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु जहां ऐसी रकम परिमाणात्मक नहीं है वहां जुर्माने की कुल रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी;

(च) शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख से फरार होने का प्रयास करता है, वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी शोधन अक्षम को फरार हुआ माना जाएगा यदि वह किसी सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना, जिसका उससे शोधन अक्षमता न्यासी को धारा 156 के अधीन परिदान करना अपेक्षित है, देश छोड़ता है या देश छोड़ने का प्रयास करता है ।

187. कतिपय कार्रवाइयों के लिए दंड—(1) यदि शोधन अक्षमता न्यासी,—

(क) किसी धन या सम्पत्ति का जो शोधन अक्षम की संपदा में शामिल है, कपटपूर्वक दुर्विनियोजन किया है, प्रतिधारित किया है या उसके लिए देनदार बन गया है; या

(ख) जानबूझकर ऐसी रीति में कार्य करता है जिसे शोधन अक्षम की संपदा को शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा धारा 149 के अधीन उसके कृत्यों को करने में किसी कर्तव्य भंग के परिणामस्वरूप कोई नुकसान हुआ है,

तो वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो संबद्ध व्यक्तियों को ऐसे उल्लंघन के कारण होने वाले किसी कारित नुकसान या संभावित नुकसान की रकम से तीन गुणा से कम नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु जहां ऐसा नुकसान या विधिविरुद्ध अभिलाभ की मात्रा को तय नहीं किया जा सकता, वहां अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि शोधन अक्षमता न्यासी इस धारा के अधीन दायी नहीं होगा यदि वह किसी ऐसी सम्पत्ति का अभिग्रहण कर लेता है या उसका व्ययन कर देता है जो शोधन अक्षम की संपदा में शामिल नहीं है और उस समय उसके पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार थे कि वह उस सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या व्ययन करने का हकदार है ।

भाग 4

दिवाला वृत्तिकों, अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं का विनियमन

अध्याय 1

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

188. बोर्ड की स्थापना और निगमन—(1) उस तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा ।

(2) बोर्ड उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसके पास, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित करने, धारित करने और व्ययनित करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे स्थान पर होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खंड (च) में है ।

(4) बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा ।

189. बोर्ड का गठन—(1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से तीन सदस्य, जो संयुक्त सचिव या समतुल्य रैंक से नीचे के नहीं होंगे, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक-एक सदस्य, पदेन;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य, पदेन;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच अन्य सदस्य, जिनमें से कम से कम तीन सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे ।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिन्होंने दिवाला या शोधन अक्षमता से सम्बन्धित समस्याओं से निपटने में क्षमता का प्रदर्शन किया है और जिनके पास विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखांकन या प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव है ।

(3) इस धारा के अधीन अध्यक्ष और किसी पदेन सदस्य की नियुक्ति से भिन्न बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) मंत्रिमंडल सचिव—अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला भारत सरकार का सचिव—सदस्य;

(ग) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष (बोर्ड के सदस्यों के चयन की दशा में)—सदस्य;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वित्त, विधि, प्रबंध, दिवाला और संबद्ध विषयों के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त तीन विशेषज्ञ—सदस्य ।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) का कार्यकाल पांच वर्ष का या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा और वे पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

190. सदस्य का पद से हटाया जाना—केंद्रीय सरकार किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि वह—

(क) भाग 3 के अधीन यथा परिभाषित कोई अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो गया है;

(ग) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) जिसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकर है:

परन्तु किसी भी सदस्य को खंड (घ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

191. अध्यक्ष की शक्तियां—विनियमों द्वारा अन्यथा अवधारित किए जाने के सिवाय, अध्यक्ष के पास बोर्ड के कार्यों के साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं ।

192. बोर्ड की बैठकें—(1) बोर्ड ऐसे समयों और स्थानों पर बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा अधारित किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष, या यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

193. कतिपय मामलों में सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग न लेना—कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है या जिसका ऐसे निदेशक के रूप में बोर्ड की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है, सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा और ऐसे प्रकटन को बोर्ड की कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाएगा, और वह सदस्य उस मामले के सम्बन्ध में बोर्ड के विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

194. रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना, बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी—(1) बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) बोर्ड की कार्यवाही में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

(2) बोर्ड ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

195. वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को पदाभिहित करने की शक्ति—बोर्ड की स्थापना किए जाने तक, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक को, इस संहिता के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी ।

अध्याय 2

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

196. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य—(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के साधारण निदेशों के अध्यधीन निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं को रजिस्टर करेगा और उनके रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत, प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द करेगा;

[1][(कक) इस संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने में दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं तथा अन्य संसथाओं के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास का संवर्धन करेगा तथा उनका विनियमन करेगा;

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम पात्रता अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करेगा;

[2][(ग) इस संहिता के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण करेगा, जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण हेतु फीस भी है ।]

(घ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कार्यकरण के लिए विनियमों द्वारा मानक विनिर्दिष्ट करेगा;

(ङ) दिवाला वृत्तिकों के, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए परीक्षा हेतु विनियमों द्वारा न्यूनतम पाठ्यचर्या अधिकथित करेगा;

(च) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के सम्बन्ध में निरीक्षण और अन्वेषण करेगा तथा ऐसे आदेश पारित करेगा, जो इस संहिता और तद्धीन जारी किए गए विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन के लिए अपेक्षित हों;

(छ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कार्यपालन की मानीटरी करेगा और ऐसे निदेश पारित करेगा, जो इस संहिता और तद्धीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन के लिए अपेक्षित हों;

(ज) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से किसी सूचना और अभिलेखों की मांग करेगा;

(झ) ऐसी सूचना, डाटा, अनुसंधान अध्ययनों और ऐसी अन्य सूचनाओं का प्रकाशन करेगा, जिन्हें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ञ) सूचना उपयोगिताओं द्वारा डाटा का संग्रहण और भंडारण करने की रीति और ऐसे डाटा तक पहुंच प्रदान करने की रीति को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ट) दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों से सम्बन्धित अभिलेखों का संग्रहण करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा और ऐसे मामलों से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करेगा;

COURT BOOK

(ठ) ऐसी समितियों का गठन करेगा, जो अपेक्षित हों और इनके अन्तर्गत विशिष्ट रूप से धारा 197 में अधिकथित समितियां भी हैं;

(ड) अपने अभिशासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम पद्धतियों का संवर्धन करेगा;

(ढ) वेबसाइटों और इलेक्ट्रानिक सूचना के सार्वभौमिक रूप से पहुंच रखने वाले ऐसे संग्रहों को बनाए रखेगा, जो आवश्यक हों;

(ण) किन्हीं अन्य कानूनी प्राधिकरणों के साथ परस्पर सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा;

(त) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा;

(थ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र विनिर्दिष्ट करेगा और इस संहिता तथा तद्धीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन के लिए पूर्वोक्त के विरुद्ध फाइल की गई शिकायतों से सम्बन्धित आदेश पारित करेगा;

(द) ऐसे अंतरालों पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कृत्यों और कार्यपालन के सम्बन्ध में आवधिक अध्ययन, अनुसंधान और उनकी लेखापरीक्षा करेगा;

(ध) किन्हीं विनियमों की अधिसूचना से पूर्व, विनियम जारी करने के लिए तंत्र विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अन्तर्गत लोक परामर्श प्रक्रियाओं का संचालन भी है;

(न) इस संहिता के अधीन यथा अपेक्षित दिवाला और शोधन अक्षमता से सम्बन्धित मामलों पर विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएगा, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, निगमित ऋणी या ऋणी की आस्तियों के समयबद्ध व्ययन के लिए तंत्र भी है; और

(प) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) बोर्ड, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली आदर्श उपविधियां बनाएगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए उपबन्ध हो सकेंगे—

(क) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सदस्यों की वृत्तिक सक्षमता के न्यूनतम मानक;

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सदस्यों के वृत्तिक और नैतिक आचार के लिए मानक;

(ग) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के नामांकन के लिए अपेक्षाएं, जो अविभेदकारी होंगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अविभेदकारी" पद से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान और ऐसे अन्य आधारों पर, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, भेदभाव का न होना अभिप्रेत है;

(घ) सदस्यता प्रदान करने की रीति;

(ङ) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार दिवाला वृत्तिक अभिकरण के आंतरिक अभिशासन और प्रबंध के लिए शासी बोर्ड की स्थापना;

(च) सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना, जिसके अन्तर्गत ऐसी सूचना को प्रस्तुत करने का प्ररूप और समय भी है;

(छ) व्यक्तियों के ऐसे विनिर्दिष्ट वर्ग, जिन्हें सदस्यों द्वारा रियायती दरों पर या बिना किसी पारिश्रमिक के, सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ज) ऐसे आधार, जिन पर दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सदस्यों पर शास्तियां उद्गृहीत की जा सकेंगी और उनकी रीति;

(झ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र;

(ञ) वे आधार, जिनके अधीन दिवाला वृत्तिकों को दिवाला वृत्तिक अभिकरण की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा;

(ट) सदस्यों के रूप में व्यक्तियों को प्रवेश देने के लिए फीस की मात्रा और फीस का संग्रहण करने की रीति;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ठ) दिवाला वृत्तिक अभिकरण के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के नामांकन के लिए प्रक्रिया;

(ड) दिवाला वृत्तिकों के नामांकन के लिए परीक्षा का संचालन करने की रीति;

(ढ) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो सदस्य हैं, कार्यकरण की मानीटरी और पुनर्विलोकन करने की रीति;

(ण) सदस्यों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य और अन्य क्रियाकलाप;

(त) अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संचलित करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति;

(थ) किसी दिवाला वृत्तिक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति के रूप में प्राप्त किसी रकम को उपयोग करने की रीति ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कार्यवाही करते समय इस संहिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, बोर्ड के पास वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:—

(i) ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उन्हें पेश किया जाना;

(ii) व्यक्तियों को समन करना तथा उनको हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(iii) किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति की बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करना;

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ।

197. सलाहकार समिति, कार्यपालक समिति या अन्य समिति का गठन—बोर्ड, अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसी सलाहकार और कार्यपालक समितियों या अन्य ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे, जो अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

198. विलम्ब की माफी—इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां बोर्ड इस संहिता में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई कार्य नहीं करता है, वहां सुसंगत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, लेखबद्ध कारणों से विलम्ब को माफ कर सकेगा ।

अध्याय 3

दिवाला वृत्तिक अभिकरण

199. किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में कार्य न करना—इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, बोर्ड द्वारा इस निमित्त जारी किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अधीन और उसके अनुसार कार्य करने के सिवाय इस संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं करेगा और अपने सदस्यों के रूप में दिवाला वृत्तिकों को नामांकित नहीं करेगा ।

200. दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले सिद्धांत—बोर्ड, इस संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) दिवाला वृत्तिकों के वृत्तिक विकास का संवर्धन और उनका विनियमन करना;

(ख) ऋणी व्यक्तियों, लेनदारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम दिवाला वृत्तिकों की सेवाओं का संवर्धन करना;

(ग) दिवाला वृत्तिकों के बीच उत्तम वृत्तिक और नैतिक आचार का संवर्धन करना;

(घ) ऋणी व्यक्तियों, लेनदारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए, हितों की संरक्षा करना;

(ङ) इस संहिता के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाहियों के प्रभावी समाधान के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के विकास का संवर्धन करना ।

201. दिवाला वृत्तिक अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण—(1) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन बोर्ड को ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी तथा उसके साथ ऐसी फीस लगी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु बोर्ड उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की अभिस्वीकृति, उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रदान करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा या ऐसे आवेदन को अन्यथा आदेश द्वारा नामंजूर कर सकेगा:

परन्तु आवेदन को नामंजूर करने वाला कोई भी आदेश आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस प्रकार किए गए किसी भी आदेश को पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा ।

(3) बोर्ड आवेदक को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(4) बोर्ड समय-समय पर और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण कर सकेगा ।

(5) बोर्ड, किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण को मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी पर निलंबित या रद्द कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) कि उसने किसी मिथ्या कथन या दुर्व्यपदेशन के आधार पर या किसी अन्य विधिविरुद्ध साधन से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है;

(ख) कि वह बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों या दिवाला वृत्तिक अभिकरण द्वारा बनाई गई उपविधियों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है;

(ग) कि उसने संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है;

(घ) किसी अन्य ऐसे आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध दिवाला वृत्तिक अभिकरण को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश बोर्ड के किसी पूर्णकालिक सदस्य के सिवाय किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जाएगा ।

202. राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण को अपील—ऐसा कोई दिवाला वृत्तिक अभिकरण, जो बोर्ड द्वारा धारा 201 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

203. दिवाला वृत्तिक अभिकरण का शासी बोर्ड—बोर्ड, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि प्रत्येक दिवाला वृत्तिक अभिकरण इस संहिता के अधीन पूरा किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने के लिए विनियम बना सकेगा:—

(क) किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड की स्थापना;

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों की न्यूनतम संख्या; और

(ग) ऐसे दिवाला वृत्तिकों की संख्या, जो उसके सदस्य हैं और जो दिवाला वृत्तिक अभिकरण के शासी बोर्ड में रहेंगे ।

204. दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के कृत्य—कोई दिवाला वृत्तिक अभिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो उसकी उपविधियों में उपवर्णित सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, सदस्यता फीस के संदाय पर सदस्यता मंजूर करना;

(ख) अपने सदस्यों के लिए वृत्तिक आचार के मानक अधिकथित करना;

(ग) अपने सदस्यों के कार्यपालन की मानीटरी करना;

(घ) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो उसके सदस्य हैं, अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों के लिए सुरक्षोपाय करना;

(ङ) ऐसे दिवाला वृत्तकों की, जो उसके सदस्य हैं, सदस्यता को उसकी उपविधियों में उपवर्णित आधारों पर निलंबित या रद्द करना;

(च) ऐसे दिवाला वृत्तिकों के, जो उसके सदस्य हैं, विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करना; और

(छ) अपने कृत्यों, अपने सदस्यों की सूची, अपने सदस्यों के कार्यपालन के बारे में सूचना और ऐसी अन्य सूचना का प्रकाशन करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

205. दिवाला वृत्तिका अभिकरणों द्वारा उपविधियों का बनाया जाना—इस संहिता और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिवाला वृत्तिक अभिकरण, बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा धारा 196 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आदर्श उपविधियों से संगत उपविधियां बनाएगा ।

अध्याय 4

COURT BOOK

दिवाला वृत्तिक

RT BOOK
LEGAL CLARITY

206. नामांकित और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का दिवाला वृत्तिकों के रूप में कार्य करना—कोई भी व्यक्ति किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण के सदस्य के रूप में नामांकन कराए बिना और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हुए बिना इस संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करेगा ।

207. दिवाला वृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण—(1) प्रत्येक दिवाला वृत्तिक, किसी भी दिवाला वृत्तिक अभिकरण की सदस्यता अभिप्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे समय के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्वयं को बोर्ड के पास रजिस्टर करेगा ।

(2) बोर्ड, वित्त, विधि, प्रबंध, दिवाला के क्षेत्र में या ऐसे अन्य क्षेत्र में, जो वह उचित समझे, ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले वृत्तिकों या व्यक्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

208. दिवाला वृत्तिकों के कृत्य और बाध्यताएं—(1) जहां कोई दिवाला समाधान, नए सिरे से आरम्भ, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ की गई है, वहां किसी दिवाला वृत्तिक का कृत्य यह होगा कि वह निम्नलिखित विषयों में ऐसी कार्रवाई करे, जो आवश्यक हो, अर्थात्:—

(क) भाग 3 के अध्याय 2 के अधीन एक नए सिरे से आरम्भ की आदेश प्रक्रिया;

(ख) भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन व्यष्टिक दिवाला समाधान प्रक्रिया;

(ग) भाग 2 के अध्याय 2 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया;

(घ) भाग 3 के अध्याय 4 के अधीन व्यष्टिक शोधन अक्षमता प्रक्रिया; और

(ङ) भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन किसी निगमित ऋणी फर्म का परिसमापन ।

(2) प्रत्येक दिवाला वृत्तिक निम्नलिखित आचार संहिता से आबद्ध होगा:—

(क) कर्तव्यों का निष्पादन करते समय युक्तियुक्त सतर्कता और तत्परता बरतेगा;

(ख) उस दिवाला वृत्तिक अभिकरण की, जिसका वह सदस्य है, उपविधियों में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं और निबंधनों तथा शर्तों का अनुपालन करेगा;

(ग) दिवाला वृत्तिक अभिकरण को अपने अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा;

(घ) बोर्ड और साथ ही उस दिवाला वृत्तिक अभिकरण को, जिसका वह सदस्य है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेखों की एक प्रति प्रस्तुत करेगा; और

(ङ) अपने कृत्यों का पालन ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएं ।

अध्याय 5

सूचना उपयोगिताएं

209. किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना सूचना उपयोगिता के रूप में कार्य न करना—इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन इस निमित्त बोर्ड द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के सिवाय सूचना उपयोगिता के रूप में अपना कारबार नहीं चलाएगा ।

210. सूचना उपयोगिता का रजिस्ट्रीकरण—(1) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन बोर्ड को ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी तथा उसके साथ ऐसी फीस लगी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं:

परन्तु बोर्ड उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की अभिस्वीकृति, उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रदान करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा या ऐसे आवेदन को अन्यथा आदेश द्वारा नामंजूर कर सकेगा ।

(3) बोर्ड आवेदक को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(4) बोर्ड समय-समय पर और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण कर सकेगा ।

(5) बोर्ड, किसी सूचना उपयोगिता को मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी पर निलंबित या रद्द कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) कि उसने किसी मिथ्या कथन या दुर्व्यपदेशन के आधार पर या किसी अन्य विधिविरुद्ध साधन से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) कि वह बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है;

(ग) कि उसने संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है;

(घ) किसी ऐसे अन्य आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सूचना उपयोगिता को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश बोर्ड के किसी पूर्णकालिक सदस्य के सिवाय किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जाएगा ।

211. राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण को अपील—ऐसी कोई सूचना उपयोगिता, जो बोर्ड द्वारा धारा 210 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकेगी ।

212. सूचना उपयोगिता का शासी बोर्ड—बोर्ड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक सूचना उपयोगिता इस संहिता के अधीन पूरा किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्यों को ध्यान में रखती है, प्रत्येक सूचना उपयोगिता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक शासी बोर्ड की स्थापना करे, जिसमें उतनी संख्या में स्वतंत्र सदस्य होंगे, जो विनियामों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

213. सूचना उपयोगिता की कोर सेवाएं आदि—कोई सूचना उपयोगिता किसी व्यक्ति को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराएगी, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, और इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली कोर सेवाएं भी हैं, यदि ऐसा व्यक्ति विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों का पालन करता है ।

214. सूचना उपयोगिता की बाध्यताएं—प्रत्येक सूचना उपयोगिता, किसी व्यक्ति को कोर सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए:—

(क) वित्तीय सूचना का सृजन और भंडारण सार्वभौमिक रूप से पहुंच वाले रूप विधान में करेगी;

(ख) ऐसे व्यक्तियों से, जो धारा 215 की उपधारा (1) के अधीन वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने की बाध्यता के अधीन हैं, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, वित्तीय सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में स्वीकार करेगी;

(ग) ऐसे व्यक्तियों से, जो इस प्रकार की सूचना प्रस्तुत करने का आशय रखते हैं, विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में वित्तीय सूचना का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुतीकरण स्वीकार करेगी;

(घ) ऐसे न्यूनतम सेवा क्वालिटी मानकों को पूरा करेगी, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ;

(ङ) विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त सूचना को, ऐसी सूचना का भंडारण करने से पूर्व सभी संबद्ध पक्षकारों से अधिप्रमाणन कराएगी ;

(च) उसके द्वारा भंडारित वित्तीय सूचना तक, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यक्ति को पहुंच उपलब्ध कराएगी, जो ऐसी सूचना तक पहुंच बनाने का आशय रखता है;

(छ) ऐसी सांख्यिकीय सूचना का प्रकाशन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(ज) अन्य सूचना उपयोगिताओं के बीच अन्त:प्रचालनीयता रखेगी ।

215. वित्तीय सूचना को प्रस्तुत करने आदि के लिए प्रक्रिया—(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने का आशय रखता है या सूचना उपयोगिता की किसी सूचना तक पहुंच बनाना चाहता है, ऐसी फीस का संदाय करेगा और ऐसे प्ररूप तथा रीति में सूचना प्रस्तुत करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कोई वित्तीय लेनदार वित्तीय सूचना और ऐसी आस्तियों, जिनके सम्बन्ध में किसी प्रतिभूति हित का सृजन किया गया है, से सम्बन्धित सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) कोई प्रचालन लेनदार वित्तीय सूचना को सूचना उपयोगिता को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत कर सकेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

216. वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और बाध्यताएं—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 215 के अधीन प्रस्तुत वित्तीय सूचना को अद्यतन करने या उपांतरित करने या उसमें त्रुटियों को ठीक करने का आशय रखता है तो वह सूचना उपयोगिता को ऐसे प्रयोजन के लिए कारणों का कथन करते हुए ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करता है, ऐसी सूचना को किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराएगा, सिवाय उस सीमा तक, ऐसी परिस्थितियों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 6

निरीक्षण और अन्वेषण

217. दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता के विरुद्ध शिकायतें—किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता के कार्यकरण से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, बोर्ड को कोई शिकायत फाइल कर सकेगा।

218. दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता का अन्वेषण—(1) जहां बोर्ड के पास, धारा 217 के अधीन किसी शिकायत की प्राप्ति पर या यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबन्धों का या बोर्ड द्वारा उसके अधीन जारी निदेशों का उल्लंघन किया है तो वह किसी भी समय लिखित में आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण या अन्वेषण करने के लिए अन्वेषक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का निदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए जाने वाले निरीक्षण या अन्वेषण का संचालन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) अन्वेषक प्राधिकारी, ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के अनुक्रम में, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिसके पास प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई सुसंगत दस्तावेज, अभिलेख या किसी सूचना के होने की संभावना है, उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना को प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा:

परन्तु अन्वेषक प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना की अपेक्षा करने से पूर्व उसे ब्यौरेवार कारण उपलब्ध कराएगा।

(4) अन्वेषक प्राधिकारी, अपने निरीक्षण या अन्वेषण के अनुक्रम में, किसी भवन या ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय-वस्तु से सम्बन्धित ऐसा कोई दस्तावेज, अभिलेख या सूचना पाई जा सकती है और वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबन्धों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए, ऐसे किसी दस्तावेज, अभिलेख या सूचना का अभिग्रहण कर सकेगा या उससे उद्धहरण प्राप्त सकेगा या उसकी प्रतियां ले सकेगा।

(5) अन्वेषक प्राधिकारी, इस धारा के अधीन अभिग्रहण की गई बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रखेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है, किन्तु यह अवधि अन्वेषण के पूरा होने के अपश्चात् होगी और उसके पश्चात् वह उन्हें ऐसे संबद्ध व्यक्ति को लौटा देगा, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति के अधीन उनका अभिग्रहण किया गया था:

परन्तु अन्वेषक प्राधिकारी, पूर्वोक्तानुसार ऐसी बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को लौटाने से पहले उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न चिह्नित करेगा।

(6) अन्वेषक प्राधिकारी बोर्ड को निरीक्षण या अन्वेषण की एक ब्यौरेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

219. दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता को कारण बताओ सूचना जारी करना—बोर्ड, धारा 218 के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के समाप्त होने पर, ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता को कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा और ऐसी रीति में तथा उत्तर देने के लिए ऐसा समय प्रदान करते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण कर सकेगा।

220. अनुशासन समिति की नियुक्ति—(1) बोर्ड, धारा 218 की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत अन्वेषक प्राधिकारी की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए अनुशासन समिति का गठन करेगा:

परन्तु अनुशासन समिति में केवल बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य ही सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

(2) अन्वेषक प्राधिकारी की रिपोर्ट की परीक्षा के पश्चात्, यदि अनुशासन समिति का यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो वह यथास्थिति, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगी या दिवाला वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी या दिवाला वृत्तिक अभिकरण या सूचना उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी।

COURT BOOK

(3) जहां किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है वहां अनुशासन समिति ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो—

(i) ऐसे उल्लंघन के कारण संबद्ध व्यक्तियों को हुई हानि या ऐसी हानि की, जिसके कारित होने की संभावना थी, की रकम का तीन गुणा; या

(ii) ऐसे उल्लंघन के कारण प्राप्त किए गए विधिविरुद्ध अभिलाभ की रकम का तीन गुणा,

इनमें से जो भी उच्चतर हो, होगी:

परन्तु जहां ऐसी हानि या विधिविरुद्ध अभिलाभ की मात्रा को तय नहीं किया जा सकता, वहां अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की कुल रकम एक करोड़ से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में कोई क्रियाकलाप करके कोई विधिविरुद्ध अभिलाभ प्राप्त किया है या वह किसी हानि से बचा है तो वह ऐसे विधिविरुद्ध लाभ या निवारित हानि के समतुल्यक की रकम को वापस करेगा।

(5) बोर्ड, ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस प्रकार वापस की गई किसी रकम से किसी उल्लंघन के कारण कोई हानि उठाई है, प्रत्यास्थापन उपलब्ध कराने के लिए यथापेक्षित कार्रवाई कर सकेगा, यदि ऐसे व्यक्ति की, जिसने ऐसी हानि उठाई है पहचान की जा सकती है और इस प्रकार उठाई गई हानि प्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति के कारण हुई है।

(6) बोर्ड निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने के लिए विनियम बना सकेगा—

(क) उपधारा (5) के अधीन प्रत्यास्थापन का दावा करने के लिए प्रक्रिया;

(ख) ऐसी अवधि, जिसके भीतर ऐसे प्रत्यास्थापन का दावा किया जा सकेगा; और

(ग) वह रीति जिसमें रकम का प्रत्यास्थापन किया जा सकेगा।

अध्याय 7

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

221. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए जाने वाले सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को ऐसी धनराशियों का अनुदान कर सकेगी, जिन्हें सरकार इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु उचित समझती है।

222. बोर्ड की निधि—(1) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा—

(क) इस संहिता के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए सभी अनुदान, फीस और प्रभार;

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जिनके सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) ऐसी अन्य निधियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 196 के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाएं।

223. लेखा और लेखापरीक्षा—(1) बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास शासकीय लेखाओं की

लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में साधारण रूप से होते हैं और उसके पास विशेष रूप से, बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों और अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों की मांग करने और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का प्राधिकार होगा ।

COURT BOOK

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखाओं को उनसे सम्बन्धित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

भाग 5

प्रकीर्ण

224. दिवाला और शोधन अक्षमता निधि—(1) इस संहिता के अधीन व्यक्तियों के दिवाला समाधान, समापन और शोधन अक्षमता के प्रयोजनों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता निधि (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है) नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा ।

(2) इस निधि में निम्नलिखित रकमों को जमा किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि के प्रयोजनों के लिए किए गए अनुदान;

(ख) व्यक्तियों द्वारा निधि को अभिदाय के रूप में उसमें जमा की गई रकम;

(ग) किसी अन्य स्रोत से निधि में प्राप्त की गई रकम; और

(घ) निधि में से किए गए विनिधान से प्राप्त ब्याज या अन्य आय ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने निधि में किसी रकम का अभिदाय किया है, इस संहिता के अधीन किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति के सम्बन्ध में किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारम्भ किए जाने की दशा में, ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निधि से, कार्मिकों को संदाय करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के संरक्षण के लिए, कार्यवाहियों के दौरान आनुषंगिक लागतों को चुकाने के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा अभिदाय की गई रकम से अनधिक रकम निकालने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, निधि का प्रशासन करने के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिसूचना द्वारा एक प्रशासक की नियुक्ति करेगी ।

225. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति—(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों के सम्बन्ध में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे:

परन्तु बोर्ड को इस उपधारा के अधीन उसे कोई निदेश दिए जाने से पूर्व यथासाध्य अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में कि क्या कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है अथवा नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

226. केन्द्रीय सरकार की बोर्ड को अधिक्रान्त करने की शक्ति—(1) यदि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) किसी अत्यावश्यकता के कारण, बोर्ड, उस पर इस संहिता के उपबन्धों के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में, असमर्थ है; या

(ख) बोर्ड ने इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश का निरंतर रूप से पालन नहीं किया है या उसने इस संहिता के उपबन्धों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है और ऐसे अननुपालन के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन का ह्रास हुआ है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो लोकहित में ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं,

तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा बोर्ड को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, अधिक्रान्त कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अधिक्रान्त करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर—(क) सभी सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से, अपने-अपने पद रिक्त कर देगें; (ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जो इस संहिता के उपबन्धों के द्वारा या उनके अधीन बोर्ड के द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा रहा था, प्रयोग या निर्वहन उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के पुनर्गठन तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार ऐसा करने का निदेश दे, और (ग) बोर्ड के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के पुनर्गठन तक, केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी ।

(3) केंन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर, नई नियुक्ति द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पदों को रिक्त किया था, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं माना जाएगा :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिक्रमण की अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय इस उपाधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केंन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन एक नई अधिसूचना जारी करवाएगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की पूर्ण रिपोर्ट और ऐसी कार्रवाई जिन परिस्थितियों में की गई थी उनके बारे में जानकारी शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

227. केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सेवा प्रदाताओं आदि को अधिसूचित करने की शक्ति—[1][इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी] प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, तो वित्तीय क्षेत्र के उपयुक्त विनियामकों के परामर्श से वित्तीय सेवा प्रदाताओं या वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्ग को, उनकी दिवाला और समापन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन की जा सकें, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिसूचित कर सकेगी ।

[1][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं या वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्गों के लिए दिवाला और समापन कार्यवाहियां, ऐसे उपांतरणों सहित और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, संचालित की जाएंगी ।]

228. बजट—बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किए जाएं, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और उसे केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

229. वार्षिक रिपोर्ट—(1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किए जाएं, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

230. प्रत्यायोजन—बोर्ड, लिखित में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों और जिन्हें आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधीन रहते हुए बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को इस संहिता के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों (धारा 240 के अधीन की शक्तियों को छोडकर) का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

231. अधिकारिता का वर्जन—किसी भी सिविल न्यायालय को, ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में [2][न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या बोर्ड] इस संहिता द्वारा या उसके अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए सशक्त है और ऐसे [1][न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या बोर्ड] द्वारा इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में की गई या किए जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

232. बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना—बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस संहिता के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या तात्पर्यित रूप से कार्य कर रहे हों तो उन्हें भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

233. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण—सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

234. विदेशों के साथ करार—(1) केन्द्रीय सरकार इस संहिता के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए भारत से बाहर किसी देश की सरकार के साथ करार कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, किसी निगमित ऋणी या ऋणी की आस्तियों या संपत्तियों के संबंध में जिसके अन्तर्गत निगमित ऋणी का वैयक्तिक प्रतिभूतिदाता भी है जो भारत से बाहर किसी देश में अवस्थित है जिसके साथ पारस्परिक करार किया गया है के संबंध में इस संहिता के उपबंधों का लागू होना ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाएं ।

235. कतिपय मामलों में भारत से बाहर किसी देश को अनुरोध पत्र—(1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन या शोधन अक्षमता कार्यवाहियों के प्रक्रम में इस संहिता के अधीन, यथास्थिति, समाधान वृत्तिक या समापक या शोधन अक्षमता न्यासी का यदि यह मत है कि निगमित ऋणी या

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 33 द्वारा "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

ऋणी जिसके अन्तर्गत निगमित ऋणी का व्यक्तिक प्रतिभूति दाता भी है, की अस्तियां भारत से बाहर ऐसे देश में स्थित हैं जिसके साथ धारा 234 के अधीन पारस्परिक करार किए गए हैं, वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस बात का आवेदन कर सकेगा कि ऐसी प्रक्रिया या कार्यवाही से संबंधित आस्तियों के संबंध में साक्ष्य या कार्रवाई अपेक्षित है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (1) के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन या शोधन अक्षमता कार्यवाहियों के संबंध में साक्ष्य या कार्रवाई अपेक्षित है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, ऐसे देश के न्यायालय या प्राधिकारी को, जो ऐसे अनुरोध का निपटान करने में सक्षम है अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा ।

[1][**235क. जहां कोई विनिर्दिष्ट शास्ति या दंड उपबंधित नहीं है वहां दंड**—यदि कोई व्यक्ति इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किन्हीं ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस संहिता में किसी शास्ति या दंड का उपबंध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

236. विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का विचारण—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन अपराधों का विचारण कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय 28 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

(2) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान बोर्ड या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय नहीं लेगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय को, सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजन समझा जाएगा ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन किसी परिवाद की दशा में केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की विचारण करने वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थिति तब तक आवश्यक नहीं होगी जब तक न्यायालय विचारण में उसकी वैयक्तिक उपस्थिति की अपेक्षा न करे ।

237. अपील और पुनरीक्षण—उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार कर सकेगा मानों वह उच्च न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय हो ।

238. इस संहिता के उपबंधों का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना—इस संहिता के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी ऐसी लिखत में, जो ऐसी किसी विधि के कारण प्रभावी हैं, अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

[2][**238क. परिसीमा**—परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के उपबंध, यथाशक्य न्यायनिर्णाक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, यथास्थिति, ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों या अपीलों को लागू होंगे ।

239. नियम बनाने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) कोई अन्य लिखत, जो धारा 3 के खंड (15) के अधीन कोई वित्तीय उत्पाद होगा;

(ख) अन्य लेखांकन मानक, जो धारा 5 की उपधारा (8) के खंड (घ) के अधीन वित्तीय ऋण होंगे;

(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस;

(घ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निगमित ऋणी को की जा सकने वाली मांग की सूचना का प्ररूप और रीति और उसे परिदत्त करने की रीति;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 34 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

[1][(ङक) इस बात की पुष्टि करने वाला न्य सबूत कि निगमित ऋणी द्वारा असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई संदाय नहीं किया गया है या धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन ऐसी कोई अन्य सूचना;

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन निगमित आवेदक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए न्यायानिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस;

[2][(चक) धारा 21 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार ;

(चख) धारा 29क के खंड (ग) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन संव्यवहार ;

(चग) धारा 29क के खंड (ञ) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार ;]

(छ) धारा 79 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अधीन वे व्यक्ति, जो नातेदार होंगे;

(ज) धारा 79 की उपधारा (13) के खंड (ङ) के अधीन ऋणी के स्वामित्व के अधीन अविल्लंगमित एकल निवास एकक का मूल्य;

(झ) धारा 79 की उपधारा (14) के खंड (ग) के अधीन मूल्य और खंड (च) के अधीन कोई अन्य ऋण;

(ञ) धारा 81 की उपधारा (3) के अधीन नए सिरे से आरंभ के आदेश के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस;

(ट) धारा 81 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन ऋणी के वैयक्तिक ब्यौरों की विशिष्टयां;

(ठ) धारा 86 की उपधारा (3) के अधीन अवेदन के समर्थन में सूचना और दस्तावेज;

(ड) धारा 94 की उपधारा (6) के अधीन ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस;

(ढ) धारा 95 की उपधारा (6) के अधीन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस;

(ण) धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन समाधान वृत्तिक को लेनदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्टियां;

(त) धारा 122 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ऋणी द्वारा शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति;

(थ) धारा 122 की उपधारा (3) के अधीन ऋणी के कार्यों के विवरण का प्ररूप और रीति;

(द) धारा 123 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अन्य सूचना;

(ध) धारा 123 की उपधारा (6) के अधीन शोधन अक्षमता के लिए आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस;

(न) धारा 129 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें वित्तीय प्रास्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा;

(प) धारा 130 की उपधारा (2) के अधीन वे विषय और ब्यौरे, जिन्हें लोक सूचना में सम्मिलित किया जाएगा;

(फ) धारा 130 की उपधारा (3) के अधीन वे विषय और ब्यौरे, जिन्हें लेनदारों की सूचना में सम्मिलित किया जाएगा;

(ब) धारा 131 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी को दावों के ब्यौरे और अन्य सूचना भेजने की रीति;

(भ) धारा 141 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार का मूल्य;

(म) धारा 150 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन शोधन अक्षम द्वारा शोधन अक्षमता न्यासी को उसके कृत्यों को करने में सहायता के लिए की जाने वाली अन्य बातें;

(य) धारा 170 की उपधारा (4) के अधीन अधिशेष से व्यौहार करने की रीति;

(यक) धारा 171 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन ऋण के सबूत का प्ररूप और रीति;

(यख) धारा 171 की उपधारा (7) के अधीन लाभांश प्राप्त करने की रीति;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित।

[2] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(यग) धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन वे विशिष्टियां, जो सूचना में अंतर्विष्ट होंगी;

(यघ) धारा 189 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(यङ) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (प) के अधीन बोर्ड के अन्य कृत्य;

(यच) धारा 222 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अन्य निधियां;

(यछ) धारा 222 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य प्रयोजन, जिनके लिए निधियों का उपयोजन किया जाएगा;

(यज) धारा 223 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा;

(यझ) धारा 224 की उपधारा (3) के अधीन वह प्रयोजन, जिनके लिए निधियों का आहरण करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा;

(यञ) धारा 224 की उपधारा (4) के अधीन निधि को प्रशासित करने की रीति;

(यट) धारा 227 के अधीन दिवाला और समापन कार्यवाहियां संचालित करने की रीति;

(यठ) धारा 228 के अधीन बोर्ड द्वारा बजट तैयार करने का प्ररूप और समय;

(यड) धारा 229 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय;

(यढ) धारा 243 की उपधारा (2) के खंड (vi) के अधीन वह समय जिस तक किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद धारण करता रहेगा ।

240. विनियम बनाने की शक्ति—(1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस संहिता और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 3 खंड (9) के उपखंड (क) के अधीन वित्तीय सूचना के इलेक्ट्रानिकी रूप में प्रस्तुत करने को स्वीकार करने का प्ररूप और रीति;

(ख) धारा 3 के खंड (9) के उपखंड (घ) के अधीन वे व्यक्ति, जिन्हें सूचना उपयोगिता के पास भंडारित सूचना तक पहुंच का उपबंध किया जा सकेगा;

(ग) धारा 3 के खंड (13) के उपखंड (च) के अधीन कोई अन्य सूचना;

(घ) धारा 5 के खंड (13) के उपखंड (ङ) के अधीन अन्य लागतें;

(ङ) समापक द्वारा समापन कालावधि के दौरान उपगत लागत, जो धारा 5 के खण्ड (16) के अधीन समापन लागत होगी;

(च) खंड (क) के अधीन व्यतिक्रम के अन्य अभिलेख या साक्ष्य और धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन कोई अन्य सूचना;

[1]* * * * * *

(ज) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन कालावधि;

(झ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निगमित ऋणी को अनिवार्य वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति;

[2][(झक) वे परिस्थितियां, जिनमें महत्वपूर्ण माल या सेवाओं का प्रदाय, धारा 14 की उपधारा (2क) के अधीन अधिस्थगन की अवधि के दौरान पर्यवसित, निलंबित या विच्छिन्न किया जा सकेगा ;]

(ञ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन लोक घोषणा करने की रीति;

[3][(ञक) धारा 15 की उपधारा (1) के ख ं (ग) के अधीन दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;]

(ट) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई करने की रीति और उन पर निर्बंधन;

---

[1]2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 35 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 2020 के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 36 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

(ठ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य व्यक्ति;

(ड) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अन्य विषय;

(ढ) खंड (क) के उपखंड (iv) के अधीन अन्य विषय और धारा 18 के खंड (छ) के अधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कर्तव्य;

[1][(ढक) धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग के भीतर लेनदारों की संख्या;

(ढख) धारा 21 की उपधारा (6ख) के परंतु के खंड (ii) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि को संदेय पारिश्रमिक;

(ढग) धारा 21 की उपधारा (7) के अधीन वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान और मतदान शेयर का अवधारण करने की रीति;]

(ण) धारा 21 की उपधारा (8) के परंतुक के अधीन व्यक्ति, जो लेनदारों की समिति में होंगे, ऐसी समितियों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य तथा रीति, जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा;

(त) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन अन्य इलेक्ट्रानिकी माध्यम, जिनके द्वारा लेनदारों की समिति के सदस्य बैठक करेंगे;

(थ) धारा 24 की उपधारा (7) के अधीन प्रत्येक लेनदार को मतदान अंश समनुदेशित करने की रीति;

(द) धारा 24 की उपधारा (8) के अधीन लेनदारों की समिति की बैठकें संचालित करने की रीति;

(ध) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन लेखाकारों, वकीलों और अन्य सलाहकारों को नियुक्त करने की रीति;

[1][(धक) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन अन्य शर्तें;]

(न) धारा 25 की धारा (2) के खंड (ट) के अधीन अन्य कार्रवाइयां;

(प) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा सूचना ज्ञापन तैयार किया जाएगा;

(फ) धारा 29 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के अधीन निगमित ऋणी से संबंधित अन्य विषय;

(ब) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय करने की रीति, खंड (ख) के अधीन [2][ऋणों का संदाय करने की रीति] और अन्य अपेक्षाएं जिनके अनुरूप समाधान योजना खंड (घ) के अधीन होगी;

[1][(बक) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन अन्य अपेक्षाएं ;]

(भ) धारा 34 की उपधारा (8) के अधीन समापन कार्यवाहियों के संचालन की फीस तथा समापन संपदा आस्तियों के मूल्य का अनुपात;

(म) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निगमित ऋणी की आस्तियों और संपत्ति का मूल्यांकन करने की रीति, खंड (च) के अधीन पार्सलों में संपत्ति विक्रय करने की रीति, खंड (ढ) के अधीन समापन प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट करने की रीति और खंड (ण) के अधीन निष्पादित किए जाने चाले अन्य कृत्य;

(य) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन अन्य पणधारियों को अभिलेख उपलब्ध कराने की रीति;

(यक) धारा 36 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अन्य साधन;

(यख) धारा 36 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन अन्य आस्तियां;

(यग) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन अन्य स्रोत;

(यघ) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन निगमित ऋणी से संबंधित वित्तीय सूचना प्रदान करने की रीति;

(यङ) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन दावा साबित करने के लिए प्रचालन लेनदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समर्थनकारी दस्तावेजों का प्ररूप और रीति;

(यच) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसमें समापक दावों का सत्यापन करेगा;

(यछ) धारा 41 के अधीन दावों के मूल्य को अवधारित करने की रीति;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 26 की धारा 9 द्वारा "प्रचालन लेनदारों के ऋणों का प्रतिसंदाय करने की रीति" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(यज) धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समापन संपदा के प्रतिभूति हित का त्यजन तथा समापक द्वारा आस्तियों की बिक्री से आगमों को प्राप्त करने की रीति और खंड (ख) के अधीन प्रतिभूति हितों को आप्त करने की रीति;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(यझ) धारा 52 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अन्य साधन;

(यञ) धारा 52 उपधारा (9) के अधीन समापक द्वारा प्रतिभूत लेनदार को संदाय करने की रीति;

(यट) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन कालावधि और विक्रय के आगमों के वितरण की रीति;

(यठ) धारा 57 के खण्ड (क) के अधीन अन्य साधन और खंड (ख) के अधीन अन्य सूचना;

(यड) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन शर्तें और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं;

(यढ) धारा 95 की उपधारा (7) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेज;

(यण) धारा 105 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अन्य विषय;

(यत) धारा 107 की उपधारा (4) के अधीन प्राक्सी मतदान की रीति और प्ररूप;

(यथ) धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन लेनदार को मतदान शेयर समनुदेशित करने की रीति;

(यद) धारा 133 की उपधारा (3) के अधीन प्राक्सी मतदान की रीति और प्ररूप;

(यध) धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस;

(यन) धारा 194 की उपधारा (2) के अधीन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(यप) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन अन्य सूचना;

(यफ) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (द) के अधीन अंतराल, जिसमें आवधिक अध्ययन, कार्यकरण का अनुसंधान और संपरीक्षा तथा दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं का कार्य निष्पादन और खण्ड (न) के अधीन आस्तियों के व्ययन के लिए तन्त्र;

(यब) धारा 196 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने का स्थान तथा समय;

(यभ) धारा 197 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली अन्य समितियां तथा ऐसी समितियों के अन्य सदस्य;

(यम) धारा 200 के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन अन्य व्यक्ति;

(यय) धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति, उसमें अंतर्विष्ट विशिष्टियां तथा उसके साथ संलग्न फीस;

(ययक) धारा 201 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप और रीति तथा उसके निबंधन और शर्तें;

(ययख) धारा 201 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति तथा उसके लिए फीस;

(ययग) धारा 201 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य आधार;

(ययघ) धारा 202 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप तथा वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अपील फाइल की जाएगी;

(ययङ) धारा 204 के खंड (छ) के अधीन अन्य सूचना;

(ययच) धारा 196 के स्पष्टीकरण के अधीन अन्य आधार;

(ययछ) धारा 196 के खंड (ङ) के अधीन उसके आंतरिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए शासी बोर्ड की स्थापना; खंड (ठ) के अधीन पाठयचर्या, खंड (ड) के अधीन परीक्षा संचालित करने की रीति;

(ययज) धारा 207 की उपधारा (1) के अधीन दिवाला वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस तथा वह समय, जिसके भीतर और वह रीति जिसमें ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा;

(ययझ) धारा 207 की उपधारा (2) के अधीन वृत्तिकों या व्यक्तियों के प्रवर्ग, उनकी अर्हताएं और अनुभव तथा वे क्षेत्र;

COURT BOOK

(ययञ) धारा 208 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन वह रीति और शर्तें, जिनके अधीन दिवाला वृत्तिक अपने कृत्य का निष्पादन करेगा;

(ययट) धारा 210 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप और रीति तथा फीस;

(ययठ) धारा 210 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप और रीति तथा उसके निबंधन और शर्तें

(ययड) धारा 210 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति और उसके लिए फीस;

(ययढ) धारा 210 की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अन्य आधार;

(ययण) धारा 211 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील फाइल करने का प्ररूप, अवधि तथा रीति;

(ययत) धारा 212 के अधीन स्वतंत्र सदस्यों की संख्या;

(ययथ) धारा 213 के अधीन सूचना उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं तथा उनके निबंधन और शर्तें;

(ययद) धारा 214 के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन वित्तीय सूचना के इलैक्ट्रानिक प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने का प्ररूप और रीति;

(ययध) धारा 214 के खंड (घ) के अधीन न्यूनतम सेवा क्वालिटी मानक;

(ययन) धारा 214 के खंड (च) के अधीन पहुंच की जाने वाली सूचना तथा ऐसी सूचना तक पहुंच करने की रीति;

(ययप) धारा 214 के खंड (छ) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय सूचना;

(ययफ) धारा 215 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने या उस तक पहुंच का प्ररूप, फीस और रीति;

(ययब) धारा 215 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने और आस्तियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति;

(ययभ) धारा 216 के अधीन वह रीति और समय, जिसके भीतर वित्तीय सूचना को अद्यतन किया जा सकेगा या उपांरित किया जा सकेगा या उसकी त्रुटियों को ठीक किया जा सकेगा;

(ययम) धारा 217 के अधीन शिकायत फाइल करने का प्ररूप, रीति और समय;

(ययय) धारा 218 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण करने का समय और रीति;

(यययक) धारा 219 के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्त्विक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण करने की रीति और उत्तर देने के लिए समय;

(यययख) धारा 220 की उपधारा (6) के अधीन वापस करने का दावा करने की प्रक्रिया, वह अवधि जिसमें ऐसी वापसी का दावा किया जा सकेगा और वह रीति जिसमें उपधारा (7) के अधीन रकम वापस की जा सकेगी;

(यययग) धारा 222 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अन्य निधियां।

[1][**240क. इस संहिता का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लागू होना**—(1) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 29क के खंड (ग) और खंड (ज) के उपबंध किसी सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित समाधान आवेदक को लागू नहीं होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार लोक हित में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस संहिता का कोई उपबंध,—

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लागू नहीं होगा; या

(ख) ऐसे उपांतरणों सहित सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों को लागू होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना के प्रारूप को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो अथवा अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी।

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 26 की धारा 37 द्वारा अंत:स्थापित।

(4) यदि दोनों सदन अधिसूचना के जारी किए जाने को नामंजूर किए जाने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत होते हैं तो यथास्थिति अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही, जिस पर दोनों सदन सहमत हो जाएं, जारी की जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि में ऐसी कोई अवधि सम्मिलित नहीं की जाएगी, जिसके दौरान उपधारा (4) में निर्दिष्ट सदन का चार से अधिक लगातार दिवसों के लिए सत्रावसान या उसे स्थगित किया जाता है ।

(6) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2000 का 27) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत उद्यमों का कोई एक वर्ग या वर्ग अभिप्रेत है ।]

241. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस संहिता के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम को बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम या विनियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम या विनियम को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम या विनियम उसके पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं रहेगा तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस नियम या विनियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

242. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस संहिता के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को, उसे किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

243. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और व्यावृत्ति—(1) प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) को निरसित किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरसन के होते हुए भी—

(i) इस संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन और उनसे संबंधित लंबित सभी कार्यवाहियां पूर्व उल्लिखित अधिनियमों के अधीन शासित होती रहेंगी और उनकी सुनवाई तथा निपटारा संबद्ध न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो पूर्व उल्लिखित अधिनियमों को निरसित न किया हो;

(ii) किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन या उसके अनुसण में किया गया कोई आदेश, नियम, अधिसूचना, विनियम, नियुक्ति, हस्तांतरण, बंधक, विलेख, दस्तावेज या किया गया करार, निदेशित फीस, पारित संकल्प, दिया गया निदेश, की गई कार्यवाही, निष्पादित या जारी लिखत या की गई कोई बात, जो इस संहिता के आरंभ के समय प्रवृत्त है, प्रवृत्त बनी रहेगी और इस प्रकार प्रभावी होगी मानो पूर्व उल्लिखित अधिनियमों को निरसित न किया गया हो;

(iii) निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात या की गई या तात्पर्यित रूप से किए जाने की कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या दी गई या जारी की गई कोई सूचना या कोई नियुक्ति या की गई कोई घोषणा या प्रारंभ किया गया कोई प्रचालन या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित कोई शास्ति, दंड, समपहरण या जुर्माना भी है, विधिमान्य समझी जाएगी;

(iv) किसी सिद्धांत या विधि के नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन का प्ररूप या क्रम, व्यवहार या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन या छूट पर इस बात के होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसे क्रमश: किसी रीति में निरसित अधिनियमितियों द्वारा उनमें पुष्ट किया गया है या मान्यता प्रदान की गई या व्युत्पन्न किया गया है;

(v) निरसित अधिनियमितियों के अधीन संस्थित ऐसे किसी अभियोजन की, जो इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित है, इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संबद्ध न्यायालय या अधिकरण द्वारा सुनवाई जारी रखी जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा;

(vi) किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन या उसके आधार पर किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे समय तक पद धारण करता रहेगा जो विहित किया जाए; और

(vii) किसी अधिकारिता, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य विषय अथवा बात को, जो अस्तित्व में अथवा प्रवृत्त नहीं है, पुनरीक्षित या प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा ।

COURT BOOK

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट मामलों के उल्लेख के बारे में यह अभिनिर्धारित किया जाएगा कि वे निरसित अधिनियमितियों के निरसन के प्रभाव या अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों के उपबंधों के निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।

244. संक्रमणकालीन उपबंध—(1) धारा 195 के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड का गठन या वित्तीय क्षेत्र के विनियामक को पदाभिहित किए जाने तक, बोर्ड या ऐसे वित्तीय क्षेत्र के विनियामक की शक्तियों और कृत्यों का, जिसके अंतर्गत उसकी विनियम बनाने की शक्ति भी है, प्रयोग केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार विनियमों द्वारा निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी,—

(क) व्यक्तियों, वृत्तिकों के प्रवर्गों और वित्त, विधि, प्रबंध या दिवाला के क्षेत्र में ऐसी अर्हताएं और अनुभव, जो वह आवश्यक समझे, रखने वाले व्यक्तियों को, जिन्हें इस संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिकों और दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के रूप में मान्यता;

(ख) प्रौद्योगिकीय, सांख्यिकीय और डाटा संरक्षण में ऐसी सामर्थ्य, जो वह आवश्यक समझे, रखने वाले व्यक्तियों को इस संहिता के अधीन सूचना उपयोगिता के रूप में मान्यता; और

(ग) इस संहिता के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, दिवाला समाधान प्रक्रिया, समापन प्रक्रिया, नए सिरे से आरंभ की प्रक्रिया और शोधन अक्षमता प्रक्रिया का संचालन ।

245. 1932 के अधिनियम 9 का संशोधन—भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 को, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

246. 1944 के अधिनियम 1 का संशोधन—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 को, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

247. 1961 के अधिनियम 43 का संशोधन—आय-कर अधिनियम, 1961 को, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

248. 1962 के अधिनियम 52 का संशोधन—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 को, चौथी अनुसूची में विनिदिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

249. 1993 के अधिनियम 51 का संशोधन—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 को, पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशांधित किया जाएगा ।

250. 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन—वित्त अधिनियम, 1994 को, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

251. 2002 के अधिनियम 54 का संशोधन—वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

252. 2004 के अधिनियम 1 का संशोधन—रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 को, आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

253. 2007 के अधिनियम 51 का संशोधन—संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को, नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

254. 2009 के अधिनियम 6 का संशोधन—सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 को, दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

255. 2013 के अधिनियम 18 का संशोधन—कंपनी अधिनियम, 2013 को, ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 245 देखिए)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का संशोधन

(1932 का 9)

1 धारा 41 के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दूसरी अनुसूची

(धारा 246 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 का संशोधन

(1994 का 1)

1. धारा 11ङ में, "और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

तीसरी अनुसूची

(धारा 247 देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन

(1961 का 43)

धारा 178 की उपधारा (6) में, "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के सिवाय तत्समय प्रवृत्त" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

चौथी अनुसूची

(धारा 248 देखिए)

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन

(1962 का 52)

धारा 142क में, "और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 248 देखिए)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन

(1993 का 51)

1. दीर्घ शीर्ष में "बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों" शब्दों के पश्चात्, "दिवाला समाधान और व्यष्टिकों तथा भागीदारी फर्मों की शोधन अक्षमता" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

2. धारा 1 में,—

(क) उपधारा (1) में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली" शब्दों के स्थान पर "और शोधन अक्षमता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) में, "इस संहिता के उपबंध" शब्दों के स्थान पर, "जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस संहिता के उपबंध" शब्द रखे जाएंगे ।

3. धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 द्वारा या उसके अधीन ऐसे अधिकरण को निर्दिष्ट न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्रयोग करने के लिए ऐसी संख्या में ऋण वसूली अधिकरण और उसकी शाखाएं स्थापित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।" ।

4. धारा 8 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी संख्या में ऋण वसूली अपील अधिकरण स्थापित करेगी, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भाग 3 के अधीन अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करेंगे ।" ।

5. धारा 17 में,—

(I) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, —

(क) अधिकरण, ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भाग 3 के अधीन आवेदन ग्रहण करने और विनिश्चित करने की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा;

(ख) अधिकरण सभी जिला मुख्यालयों में सर्किट बैठक करेंगे ।" ।

(II) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

"(2क) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपील अधिकरण, ऐसी तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भाग 3 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध अपील ग्रहण करने की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।" ।

6. धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"19क. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकरण को किए गए आवेदनों को उक्त संहिता के अधीन यथा उपबंधित रीति में निपटाया जाएगा ।" ।

7. धारा 20 की उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 181 की उपधारा (1)" शब्द अंक, और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

छठी अनुसूची

(धारा 250 देखिए)

वित्त अधिनियम, 1994 का संशोधन

(1994 का 32)

धारा 88 में, "और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

सातवीं अनुसूची

(धारा 251 देखिए)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन

(2002 का 54)

धारा 13 की उपधारा (9) में "एक से अधिक प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के वित्त पोषण या प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के संयुक्त वित्त पोषण की दशा में" शब्दों के स्थान पर "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक से अधिक प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के वित्त पोषण या प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी आस्ति के संयुक्त वित्त पोषण की दशा में" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

आठवीं अनुसूची

(धारा 252 देखिए)

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 का संशोधन

(2004 का 1)

धारा 4 के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी तारीख से, जो अधिसूचित की जाए, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) के अधीन अपील अधिकरण को की गई कोई अपील या बोर्ड को या उसके समक्ष कोई निर्देश या लंबित कोई जांच या अपील अधिकरण या बोर्ड के समक्ष कोई कार्यवाही चाहे वह किसी भी प्रकृति की हो, उपशमित हो जाएगी:

परंतु कोई कंपनी जिसके संबंध में ऐसी अपील या निर्देश या जांच का इस खंड के अधीन उपशमन हो गया है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अनुसरण में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर निर्देश कर सकेगी:

परंतु यह और कि ऐसी कंपनी द्वारा, जिसकी अपील या निर्देश या जांच का इस खंड के अधीन उपशमन हो गया है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन ऐसा निर्देश करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी ।"।

COURT BOOK

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

नवीं अनुसूची

(धारा 253 देखिए)

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन

(2007 का 51)

1. धारा 23 की उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में, "बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10)" "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

2. धारा 23क की उपधारा (3) में, "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

दसवीं अनुसूची

(धारा 254 देखिए)

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का संशोधन

(2009 का 6)

धारा 64 के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

ग्यारहवीं अनुसूची

(धारा 255 देखिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 का संशोधन

(2013 का 18)

1. धारा 2 में,—

(क) खंड (23) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(23) "कंपनी समापक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिकरण द्वारा धारा 275 के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के परिसमापन के लिए कंपनी समापक के रूप में नियुक्त किया गया है।;"

(ख) खण्ड (94) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(94क) "परिसमापन" से इस अधिनियम के अधीन परिसमापन या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, जो भी लागू हो, के अधीन समापन अभिप्रेत है।"।

2. धारा 8 की उपधारा (9) में "धारा 269 के अधीन बनाई गई पुनर्वास और दिवाला निधि" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 224 के अधीन बनाई गई दिवाला और शोधन अक्षमता निधि" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. धारा 66 की उपधारा (8) में "धारा 271 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत अपने ऋण या दावे की रकम का संदाय करने में असमर्थ है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "उसके ऋण या दावे की रकम के संबंध में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 6 के अर्थान्तर्गत कोई व्यतिक्रम करता है" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

4. धारा 77 की उपधारा (3) में "समापक" शब्द से पूर्व, ",यथास्थिति, इस अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन नियुक्त" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

5. धारा 117 की उपधारा (3) के खंड (च) में "धारा 304" शब्द और अंकों के स्थान पर "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 59" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

6. धारा 224 की उपधारा (2) में "इस अधिनियम के अधीन समापन" शब्दों के पश्चात् "या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की अधीन समापन" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

7. धारा 230 में,—

(क) उपधारा (1) में "समापक" शब्द के पश्चात् "यथास्थिति, इस अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन नियुक्त" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

COURT BOOK

(ख) उपधारा (6) में "परिसमापक पर" शब्दों के पश्चात् "यथास्थिति, इस अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन नियुक्त" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

8. धारा 249 में, उपधारा (1) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ) इस अधिनियम के अध्याय 20 के अधीन या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन उसका परिसमापन किया जा रहा है ।" ।

9. धारा 253 से धारा 269 का लोप किया जाएगा ।

10. धारा 270 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"270. **अधिकरण द्वारा परिसमापन**—भाग 1 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा किसी कंपनी के परिसमापन को लागू होंगे ।" ।

11. धारा 271 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"271. **वे परिस्थितियां जिनमें अधिकरण द्वारा किसी कंपनी का परिसमापन किया जा सकेगा**—किसी कंपनी का धारा 272 के अधीन याचिका पर अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा,—

(क) यदि कंपनी ने एक विशेष संकल्प द्वारा यह संकल्प लिया है कि कंपनी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाए;

(ख) यदि कंपनी ने भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हितों के विरुद्ध कार्य किया है;

(ग) यदि रजिस्ट्रार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन पर, अधिकरण की यह राय है कि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन कपटपूर्ण रीति में किया गया है या कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण और विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए किया गया था या उसके निर्माण या उसके कार्यकलापों के प्रबंध से संबद्ध व्यक्ति उसके संबंध में कपट, अपकरण या कदाचार के दोषी रहे है और यह उचित हैं कि कंपनी का परिसमापन किया जाए;

(घ) यदि कंपनी ने ठीक पूर्ववर्ती पांच क्रमवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों या वित्तीय विवरणियों को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में व्यतिक्रम किया है; या

(ङ) यदि अधिकरण की यह राय है कि यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण होगा कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए ।"।

12. धारा 272 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"**272. परिसमापन के लिए याचिका**—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी के परिसमापन के लिए अधिकरण को कोई याचिका निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जाएगी,—

(क) कंपनी द्वारा;

(ख) किसी अभिदाता या अभिदाताओं द्वारा;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी व्यक्ति द्वारा;

(घ) रजिस्ट्रार द्वारा;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; या

(च) धारा 271 के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ।

(2) कोई अभिदाता किसी कंपनी के परिसमापन के लिए इस बात के होते हुए भी याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा कि वह पूर्ण समादत्त शेयरों का धारक हो सकता है या कंपनी के पास अंतत: कोई आस्तियां न हों या उसके पास, उसके दायित्वों और ऐसे शेयरों का, जिसके संबंध में वह अभिदाता है, का समाधान करने के पश्चात् शेयर धारकों के बीच वितरण के लिए कोई अधिशेष आस्तियां नहीं बची हों या परिसमापन के प्रारंभ से ठीक पूर्व अठारह मास के दौरान कम से कम छह मास के लिए उनमें से कुछ मूल रूप से उसे अबंटित की गई थी या उसके द्वारा धारित और उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई है या किसी पूर्वधारक की मृत्यु के कारण उसको न्यागत हुई है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) रजिस्ट्रार धारा 271 के अधीन परिसमापन के लिए कोई, सिवाय उसके खंड (क) या खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों के, याचिका प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा:

परंतु रजिस्ट्रार याचिका प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा:

परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार तब तक अपनी मंजूरी नहीं देगी जब तक कि कंपनी को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) अधिकरण के समक्ष परिसमापन के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका केवल तभी ग्रहण की जाएगी यदि उसके साथ ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, कार्यकलापों का विवरण होगा ।

(5) इस धारा के अधीन की गई याचिका की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भी फाइल की जाएगी और रजिस्ट्रार अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी याचिका की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपने विचार प्रस्तुत करेगा ।

13. धारा 275 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) अधिकरण द्वारा, यथास्थिति, अनंतिम समापक या कंपनी समापक की नियुक्ति, दिवाला और शोधन अक्ष मता संहिता, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दिवाला वृत्तिकों में से की जाएगी;"

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

14. धारा 280 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"280. **अधिकरण की अधिकारिता**—अधिकरण को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता होगी,—

(क) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही;

(ख) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा, जिसके अंतर्गत भारत में उसकी किसी शाखा द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए दावे भी हैं;

(ग) धारा 233 के अधीन किया गया कोई आवेदन;

(घ) पूर्विकताओं का कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का अन्य कोई प्रश्न, चाहे विधि का हो या तथ्य का, जिसके अंतर्गत आस्तियां, कारबार, कार्रवाइयां, अधिकार, हकदारियां, विशेषाधिकार, फायदे, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, बाध्यताएं भी हैं, या ऐसे मामले भी हैं, जो कंपनी के परिसमापन से संबंधित या उसके अनुक्रम में उद्भूत मामले भी हैं,

चाहे ऐसे वाद या कार्यवाही को संस्थित किया गया है या वह संस्थित है या ऐसा दावा या प्रश्न उद्भूत हुआ है या उद्भूत होता है या ऐसा आवेदन किया गया है या किया जाता है या ऐसी स्कीम को प्रस्तुत किया गया है या प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा कंपनी के परिसमापन का आदेश किए जाने से पूर्व या पश्चात् किया जाता है ।"।

15. धारा 289 का लोप किया जाएगा ।

16. शीर्ष "भाग-2—स्वैच्छिक परिसमापन" का लोप किया जाएगा ।

17. धारा 304 से धारा 323 का लोप किया जाएगा ।

18. धारा 325 का लोप किया जाएगा ।

19. धारा 326 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"326. **अध्यारोही अधिमानी संदाय**—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के परिसमापन में निम्नलिखित ऋणों को अन्य सभी ऋणों से पूर्विकता प्रदान करते हुए संदत्त किया जाएगा:—

(क) कर्मकारों का बकाया; और

(ख) जहां किसी प्रतिभूत लेनदार ने किसी प्रतिभूत आस्ति को आप्त कर लिया है वहां ऐसे प्रतिभूत लेनदार को देय ऋणों में से उतने को, जितने को उसके द्वारा आप्त नहीं किया जा सका या उसकी प्रतिभूति (यदि विधि के अधीन संदेय है) में कर्मकारों के भाग की रकम, इनमें से जो भी कम हो, कर्मकारों के बकायों की मात्रा के अनुसार:

परंतु किसी कंपनी के परिसमापन की दशा में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट राशियों को, जो परिसमापन आदेश से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिए या ऐसी अन्य अवधि के लिए, जो विहित भी जाए, संदेय हैं, आस्तियों के

विक्रय से तीस दिन की अवधि के भीतर, अन्य सभी ऋणों (जिसके अंतर्गत प्रतिभूत लेनदारों के बकाया ऋण भी हैं) की पूर्विकता में संदत्त की जाएंगी और वे प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूति पर ऐसे प्रभार के अध्यधीन होंगी, जो विहित की जाएं ।

COURT BOOK

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संदेय ऋणों का, प्रतिभूत लेनदारों को कोई संदाय किए जाने से पूर्व पूर्णतया संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् उस उपधारा के अधीन संदेय ऋणों का, जब तक कि उनको पूरा करने के लिए आस्तियां अपर्याप्त न हों, जिस दशा में उन्हें समान अनुपात में कम किया जाएगा, पूर्णतया संदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 327 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी कंपनी के संबंध में "कर्मकार" से कंपनी के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 4) की धारा 2 के खंड (ध) के अर्थान्तर्गत कर्मकार हैं;

(ख) किसी कंपनी के संबंध में "कर्मकार के बकाया" से कंपनी द्वारा उसके कर्मकारों को बकाया निम्नलिखित राशियों का कुल योग अभिप्रेत है, अर्थात्:—

(i) सभी मजदूरियां या वेतन, जिसके अंतर्गत कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी कर्मकार द्वारा किसी समय या किसी कार्य के लिए संदेय मजदूरी भी है और कमीशन के रूप में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अर्जित वेतन और किसी कर्मकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 4) के किन्हीं उपबंधों के अधीन संदेय कोई प्रतिकर;

(ii) परिसमापन आदेश या समाधान के पूर्व या उसके प्रभाव के कारण किसी कर्मकार के नियोजन की समाप्ति पर उसके अधिकार में किसी कर्मकार को या उसकी मृत्यु की दशा में किसी अन्य व्यक्ति को संदेय होने वाला समस्त प्रोद्भूत अवकाश पारिश्रमिक ;

(iii) जब तक कि कंपनी का परिसमापन स्वैच्छिक रूप से केवल पुनर्गठन या किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन के प्रयोजनों के लिए न किया जा रहा हो या जब तक कि कंपनी के पास, परिसमापन के प्रारंभ पर किसी बीमाकर्ता के साथ ऐसी किसी संविदा के अधीन, जो कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 14 में यथा उल्लिखित है, कर्मकार को अंतरित और उसमें निहित करने के सामर्थ्य का अधिकार न हो तब तक उक्त अधिनियम के अधीन कंपनी के किसी कर्मकार की मृत्यु या नि:शक्तता के संबंध में प्रतिकर या प्रतिकर के लिए दायित्व के संबंध में सभी बकाया राशिशयां;

(iv) किसी कर्मकार को भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या कर्मकार के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखी गई किसी अन्य निधि से शोध्य सभी राशियां;

(ग) किसी कंपनी के प्रतिभूत लेनदार की किसी प्रतिभूति के संबंध में "कर्मकार के भाग" से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो प्रतिभूति के मूल्य में वही अनुपात धारण करती है, जो अनुपात किसी कर्मकार को बकाया किसी रकम का कर्मकारों को बकाया रकमों और प्रतिभूत लेनदारों के बकाया ऋणों की रकमों के कुल योग में है ।

दृष्टान्त

किसी कंपनी के प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूति का मूल्य एक लाख रुपए है । कर्मकारों को कुल शोध्य रकम भी एक लाख रुपए है । कंपनी द्वारा उसके प्रतिभूत लेनदारों को बकाया ऋण की रकम तीन लाख रुपए है । कर्मकारों को बकाया रकम और प्रतिभूत लेनदारों को बकाया ऋण की रकम का कुल योग चार लाख रुपए है । अत: कर्मकारों का प्रतिभूति में भाग प्रतिभूति के कुल मूल्य का एक चौथाई अर्थात् पच्चीस हजार रुपए है ।"।

20. धारा 327 में,—

(क) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित, अर्थात्:—

"(7) धारा 326 और धारा 327, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन समापन की दशा में लागू नहीं होंगी ।" ;

(ख) स्पष्टीकरण में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) "सुसंगत तारीख" पद से ऐसी किसी कंपनी की दशा में, जिसका परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जा रहा है, किसी अनंतिम समापक की नियुक्ति या प्रथम नियुक्ति की तारीख अभिप्रेत है या यदि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी तो परिसमापन आदेश की तारीख अभिप्रेत है, जब तक कि, किसी भी दशा में, कंपनी ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन उस तारीख से पूर्व स्वैच्छिक रूप से परिसमापन न कर दिया था ।' ।

21. धारा 329 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"329. असद्भावपूर्वक अन्तरणों का शून्य होना—कंपनी द्वारा किया गया जंगम या स्थावर संपत्ति का ऐसा कोई अंतरण या माल का ऐसा कोई परिदान, जो उसके कारबार के सामान्य अनुक्रम में अथवा सद्भावपूर्ण तथा मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी क्रेता या विल्लंगमदार के पक्ष में किया गया कोई अंतरण या परिदान नहीं है, कंपनी समापक के विरुद्ध उस दशा में शून्य होगा यदि वह अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन परिसमापन के लिए किसी याचिका के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है ।"।

22. धारा 334 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"334 परिसमापन के आरम्भ होने के पश्चात् अंतरण, आदि का शून्य होना—अधिकरण द्वारा परिसमापन की दशा में, किसी संपत्ति का कोई व्ययन, जिसके अंतर्गत कंपनी के अनुयोज्य दावे भी हैं और कंपनी में शेयरों का कोई अंतरण या उसके सदस्यों की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन, जिसे परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् किया गया है, जब तक कि अधिकरण अन्यथा आदेश न करे, शून्य होगा ।"।

23. धारा 336 की उपधारा (1) में आरंभिक पैरा में "चाहे अधिकरण के द्वारा या स्वेच्छया परिसमापन किया जा रहा है या तत्पश्चात् उसका अधिकरण द्वारा परिसमापन किए जाने का आदेश किया जाता है या जो बाद में यह संकल्प पारित करती है कि उसका स्वेच्छया परिसमापन किया जाए" शब्दों के स्थान पर अधिकरण" द्वारा परिसमापन किया जा रहा है या तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उसका अधिकरण द्वारा परिसमापन किए जाने का आदेश किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ।

24. धारा 337 में, "जिसका बाद में परिसमापन किए जाने का अधिकरण द्वारा आदेश किया गया है या जिसने स्वेच्छया परिसमापन के लिए कोई संकल्प पारित किया है" शब्दों के स्थान पर "जिसका बाद में इस अधिनियम के अधीन परिसमापन किए जाने का अधिकरण द्वारा आदेश किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ।

25. धारा 342 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

26. धारा 343 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जब कंपनी का परिसमापन अधिकरण द्वारा किया जा रहा है तो कंपनी समापक अधिकरण की मंजूरी से,—

(i) किसी प्रवर्ग के लेनदारों को पूरा संदाय कर सकेगा;

(ii) लेनदारों से अथवा ऐसे व्यक्तियों से जो लेनदार होने का दावा करते हैं, या कंपनी के विरुद्ध अपना कोई वर्तमान या भावी कोई निश्चित या आकस्मिक दावा करते हैं या जिसके द्वारा कंपनी दायी ठहराई जा सकती है, कोई समझौता या ठहराव कर सकेगा; या

(iii) किसी मांग या मांग से संबंधित दायित्व का, ऋण का और ऐसे दायित्व का, जिसके परिणामस्वरूप कोई ऋण हो सकता है तथा वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक या केवल नुकसानी के रूप में निश्चित या आकस्मिक किसी दावे का, जो कंपनी के और अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋण या कंपनी के प्रति दायित्वाधीन होने की आशंका रखने वाले व्यक्ति के बीच विद्यमान है और कंपनी की आस्तियों या दायित्वों के परिसमापन से किसी रूप में संबंधित या उस पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रश्नों के विषय में, ऐसे निबंधनों पर, जो सहमत किए जाएं, समझौता कर सकेगा और किसी ऐसी मांग, ऋण, दायित्व या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति ले सकेगा तथा उसकी बाबत पूर्ण उन्मुक्ति दे सकेगा ।"।

27. धारा 347 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जब किसी कंपनी के कार्यकलापों का पूर्णतया परिसमापन हो गया है और उसका विघटन होने वाला है तब ऐसी कंपनी और कंपनी समापक की बहियों और कागज-पत्रों का उस रीति में व्ययन किया जाएगा जैसा कि अधिकरण निदेश दे ।"।

28. धारा 348 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) यदि किसी कंपनी का परिसमापन, उसके प्रारंभ के पश्चात् एक वर्ष के भीतर समाप्त नहीं होता है तो कंपनी समापक, जब तक कि उस वर्ष की समाप्ति के दो मास की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा या तो पूर्णतया या भागत: ऐसा करने की छूट न दे दी गई हो और तत्पश्चात् परिसमापन पूरा होने तक एक वर्ष से अधिक के या ऐसे अल्पतर अंतरालों पर, यदि कोई हों, जो विहित किए जाएं, अधिकरण को ऐसे प्रारूप में और समापन की कार्यवाहियों और उसकी स्थिति के संबंध में ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण फाइल करेगा, जो कि कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से लेखापरीक्षित होगा:

परंतु इस उपधारा में यथानिर्दिष्ट ऐसी लेखापरीक्षा उस समय आवश्यक नहीं होगी, जब धारा 294 के उपबंध लागू हों ।"।

29. धारा 357 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"357. अधिकरण द्वारा परिसमापन का प्रारंभ—इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन उस समय से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा, जिस समय परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है ।" ।

COURT BOOK

30. धारा 370 के परंतुक में, "कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश अभिप्राप्त किया जा सकेगा" शब्दों से पहले "इस अधिनियम के या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अनुसार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

31. धारा 372 में, "इस अधिनियम के उपबंध," शब्दों के स्थान पर ",यथास्थिति, इस अधिनियम के या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंध" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

32. धारा 419 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अधिकरणों की पीठों की उतनी संख्या में स्थापना कर सकेगी, जितनी वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भाग 2 के द्वारा या उसके अधीन ऐसे अधिकरण को प्रदत्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझती है ।" ।

33. धारा 424 में,—

(i) उपधारा (1) में "और इस अधिनियम के अन्य" शब्दों के स्थान पर "और इस अधिनियम के या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अन्य" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन" शब्द और अंक को रखा जाएगा ।

34. धारा 429 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी परिसमापन हेतु किन्हीं कार्यवाहियों या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, सभी संपत्ति, लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में लेने या अपने नियंत्रणाधीन करने, उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए लिखित में ऐसे मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर को अनुरोध कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता के अधीन इस अधिनियम के अधीन ऐसी कंपनी की या उक्त संहिता के अधीन किन्हीं निगमित व्यक्तियों की ऐसी कोई संपत्ति, लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज अवस्थित हैं या पाए जाते हैं, और, यथास्थिति, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर, उसे ऐसा अनुरोध किए जाने पर,—

(क) ऐसी संपत्ति, लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को कब्जे में लेगा; और

(ख) उन्हें अधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों को सौंपा जाना कारित करेगा ।" ।

35. धारा 434 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अथात्:—

"434. कतिपय लंबित कार्यवाहियों का अंतरण—(1) ऐसी तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए,—

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ङ की उपधारा (1) के अधीन गठित कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कंपनी विधि बोर्ड कहा गया है) के समक्ष लंबित सभी विषय, कार्यवाहियां या मामले, ऐसी तारीख से ठीक पूर्व अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और अधिकरण ऐसे विषयों, कार्यवाहियों या मामलों का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारा करेगा;

(ख) ऐसी तारीख से पहले कंपनी विधि बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, कंपनी विधि बोर्ड के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, उस आदेश से उद्भूत होने वाले विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर पर्याप्त कारणों से अपील फाइल करने से निवारित किया गया था तो वह उसे साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा; और

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन सभी कार्यवाहियां, जिनके अंतर्गत माध्यस्थम्, समझौता, ठहराव और पुनर्गठन और कंपनी के परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जो उस तारीख से ठीक पूर्व किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी और अधिकरण उन कार्यवाहियों पर उनके अंतरण से पहले के प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा :

परन्तु कंपनियों के परिसमापन से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाहियां ही अधिकरण को अन्तरित की जाएंगी, जो ऐसे प्रक्रम पर हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) केंद्रीय सरकार, कंपनी विधि बोर्ड या न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी विषयों, कार्यवाहियों या मामलों का इस धारा के अधीन अधिकरण को समय पर अंतरण सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी।"।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

36. धारा 468 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से किसी या सभी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(i) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा किसी कंपनी का परिसमापन करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की रीति;

(ii) धारा 230 के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लेनदारों और सदस्यों की बैठकों का आयोजन करने के लिए;

(iii) पूंजी को कम करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए;

(iv) साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिकरण को किए जाने वाले सभी आवेदनों के लिए;

(v) लेनदारों और अभिदाताओं की आकांक्षाओं का अभिनिश्चय करने के लिए बैठकों का आयोजन और उनका संचालन;

(vi) अभिदाताओं की सूची तय करना और सदस्यों के रजिस्टर में, जहां कहीं अपेक्षित हो, सुधार करना और आस्तियों का संग्रहण तथा उपयोजन करना;

(vii) समापक को संदाय, परिदान, अभिहस्तांतरण, अभ्यर्पण या धन, संपत्ति, बहियों या कागज-पत्रों का अंतरण;

(viii) कॉल करना;

(ix) वह समय नियत करना जिसके भीतर ऋणों और दावों को साबित किया जाएगा।"।

37. अनुसूची 5 के भाग 2 के खंड 3 में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) जहां कंपनी,—

(i) निगमन की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए एक नई निगमित कंपनी है, या

(ii) कोई रुग्ण कंपनी है, जिसके लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा पुनरुज्जीवन की स्कीम की मंजूरी की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या किसी पुनरुज्जीवन या पुनर्वास स्कीम का आदेश किया गया है, या

(iii) ऐसी कोई कंपनी है, जिसके संबंध में राष्ट्रीय कंपनी निधि अधिकरण द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कोई समाधान योजना अनुमोदित की गई है और ऐसी योजना, ऐसे अनुमोदन की तारीख से पांच वर्ष के लिए होगी,

वहां वह खंड 2 के अधीन अनुज्ञेय रकम के दोगुना तक पारिश्रमिक का संदाय का सकेगी।"।

[1][बारहवीं अनुसूची]

[धारा 29क खंड (घ) को देखें]

(1) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1922 (1922 का 22);

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2);

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1);

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37);

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10);

(6) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) ;

[1] 2018 के अधिनियम 26 की धारा 38 द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(7) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) ;

(8) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

(9) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6);

(10) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52);

(11) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14);

(12) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1985 का 1);

(13) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29);

(14) बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45);

(15) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49);

(16) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) ;

(17) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) ;

(18) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2002 का 12)

(19) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15);

(20) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6);

(21) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42);

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या कोई पूर्ववर्ती कंपनी विधि;

(23) कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22);

(24) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31);

(25) केंद्रीय माल और सेवा-कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और राज्य माल और सेवा-कर को अधिरोपित करने वाले संबंधित राज्य अधिनियम ;

(26) ऐसा कोई अन्य अधिनियम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

इस अनुसूची के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को, उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

———